



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04042024-253554  
CG-DL-E-04042024-253554

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1  
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 81]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 28, 2024/चैत्र 8, 1946

No. 81]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 28, 2024/CHAITRA 8, 1946

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(व्यापार उपचार महानिदेशालय)

अधिसूचना

अंतिम जांच परिणाम

नई दिल्ली, 28 मार्च, 2024

मामला सं. एडी (ओआई) -1/2023

विषय: चीन जन. गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यातित " 401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) के माप के इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ईटीपी) सहित ईजी ओपन एंड ऑफ टिन प्लेट" के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच।

क. मामले की पृष्ठ भूमि

फा. सं. 6/1/2023-डीजीटीआर.—1. मै० ईजी ओपनएंड्स इंडिया प्रा० लि० (एक एमएसएमई इकाई) (जिसे आगे "आवेदक" अथवा "याचिकाकर्ता" के रूप में भी कहा गया है) ने चीन जन. गण. (इसके बाद इसे "संबद्ध देश" के रूप में कहा गया है) के मूल के अथवा वहां से निर्यातित "401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) के माप के इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ईटीपी) सहित ईजी ओपन एंड ऑफ टिन प्लेट" (इसके बाद इसे "संबद्ध वस्तु" अथवा

“विचाराधीन उत्पाद” अथवा “पीयूसी” के रूप में कहा गया है) के आयातों के संबंध में एक पाटनरोधी जांच शुरू करने के लिए समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (इसके बाद इसे “अधिनियम” के रूप में भी कहा गया है) और सीमा शुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण के लिए (नियमावली, 1995 (इसके बाद इसे “नियमावली” के रूप में भी कहा गया है) के अनुसार, निर्दिष्ट प्राधिकारी (इसके बाद इसे “प्राधिकारी” के रूप में भी कहा गया है) के समक्ष एक आवेदन/याचिका दायर किया है।

2. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा प्रस्तुत किए गए पर्याप्त *प्रथम दृष्ट्या* साक्ष्य के आधार पर, संबद्ध देश के मूल के अथवा वहां से निर्यातित संबद्ध वस्तुओं के कथित पाटन की मौजूदगी, मात्रा और प्रभाव का निर्धारण करने के लिए और पाटनरोधी शुल्क की उतनी मात्रा की सिफारिश करने के लिए, जो यदि लगायी जाती है, तो घरेलू उद्योग की कथित क्षति को दूर करने के लिए पर्याप्त होगा, नियमावली के नियम 5 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क के अनुसार संबद्ध जांच शुरू करते हुए भारत के राजपत्र-असाधारण में प्रकाशित दिनांक 31 मार्च, 2023 की अधिसूचना फा. सं. 6/1/2023-डीजीटीआर के महत् एक सार्वजनिक सूचना जारी की।

#### ख. प्रक्रिया

3. निम्नलिखित प्रक्रिया का अनुसरण संबद्ध जांच के संबंध में किया गया है:
  - क. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच शुरू करने की कार्यवाही करने के पूर्व वर्तमान पाटनरोधी आवेदन के प्राप्त होने के बारे में भारत में संबद्ध देश के दूतावास को अधिसूचित किया।
  - ख. प्राधिकारी ने संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच की शुरुआत करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित दिनांक 31 मार्च, 2023 को एक सार्वजनिक सूचना जारी की।
  - ग. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा उपलब्ध कराए गए पते के अनुसार भारत में संबद्ध देश के दूतावास, संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, ज्ञात आयातकों, आयातक/प्रयोक्ता संघों, घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों को दिनांक 31 मार्च, 2023 की जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना की एक प्रति भेजी। हितबद्ध पक्षकारों को सलाह दी गई थी कि वे इस नियमावली के नियम 6(2) और 6(4) के अनुसार निर्धारित रूप में और तरीके से संगत सूचना उपलब्ध कराएं तथा निर्धारित समय सीमा के भीतर लिखित रूप में अपने अनुरोधों से अवगत कराएं।
  - घ. प्राधिकारी ने उपर्युक्त नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार भारत में इसके दूतावास के माध्यम से संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों तथा सरकार को आवेदन के अगोपनीय पाठ की एक प्रति उपलब्ध कराई।
  - ड. भारत में संबद्ध देश के दूतावास से यह भी अनुरोध किया गया था कि वे अपने देश के निर्यातकों/उत्पादकों को निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने की सलाह दें। उत्पादकों/निर्यातकों को भेजे गए पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी उन्हें संबद्ध देश के ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों के नाम और पते के साथ भेजी गई थी।
  - च. प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों और संबंधित मंत्रालय को दिनांक 05.04.2023 को आर्थिक हित प्रश्नावली(ईआईक्यू) जारी किया। ईआईक्यू का उत्तर घरेलू उद्योग और हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किया गया था।
  - च. प्राधिकारी ने पाटनरोधी नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार संबद्ध देश के निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों/निर्यातकों को प्रश्नावलियां भेजी;
    - i. फुजियान जियांगडा इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट कंपनी लिमिटेड
    - ii. गुआंगडोंग ऐनपैक पैकेजिंग कंपनी लिमिटेड

- iii. झेजियांग चांगहोंग कैन एंड मेकिंग कंपनी लिमिटेड
- ज. इसके जवाब में, संबद्ध देश के निम्नलिखित निर्यातकों/उत्पादकों ने निर्यातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया:
- i. ईजी ओपन लिड इंडस्ट्री कार्पो. यीवऊ
- झ. उत्पादक/निर्यातकों के अलावा, “चाइना चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी एंड इलैक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स (सीसीसीएमई)” द्वारा भी अनुरोध किए गए थे।
- ञ. प्राधिकारी ने इस नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना की मांग करते हुए भारत में संबद्ध वस्तुओं के निम्नलिखित ज्ञात आयातकों/प्रयोक्ताओं को आयातक की प्रश्नावलियां भेजी:
- i. रग्स ईजी पैक प्राइवेट लिमिटेड
- ii. हिंदुस्तान टिन वर्क्स लिमिटेड
- iii. शेट्टान लिमिटेड
- iv. एसीई कान्स मैन्यु. कं.
- v. जे जे इंटरप्राइज
- vi. ए जे पैकेजिंग लिमिटेड
- vii. सीसीएल प्रोडक्ट्स इंडिया लिमिटेड
- viii. कारशनी पैक्स प्राइवेट लिमिटेड
- ix. पटसन फूड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
- x. इंडुस कॉफी प्राइवेट लिमिटेड
- xi. कैरा कैन कंपनी लिमिटेड
- xii. विमल एग्रो प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
- xiii. हल्दीराम फूड्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड
- ट. उत्तर में, निम्नलिखित आयातकों/प्रयोक्ताओं जिन्होंने निर्धारित और विस्तारित समय अवधि के भीतर उत्तर दिया है और आयातक की प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है, पर विचार किया गया था;
- i. जे जे इंटरप्राइज
- ii. कैरा कैन कंपनी लिमिटेड
- iii. शेट्टान लिमिटेड
- iv. ए जे पैकेजिंग लिमिटेड
- v. हिंदुस्तान टिन वर्क्स लिमिटेड
- vi. विकट्री फूड स्पेशिलिटीज एफ जेड ई

- ठ. प्राधिकारी ने प्रस्ताव करने के लिए समय सीमा का निर्धारण कर दिनांक 31 मार्च, 2023 की जांच की शुरुआत संबंधी अधिसूचना में विचाराधीन उत्पाद की उचित तुलना के लिए उत्पाद नियंत्रण संख्या (पीसीएन), यदि कोई हो, का प्रस्ताव करने के लिए विशिष्ट रूप से एक अवसर उपलब्ध कराया।
- ड. पीसीएन प्रस्ताव के उत्तर में, आवेदक ने इस बात को दोहराया कि मामले के तथ्य इस तरह के किसी उत्पाद नियंत्रण संख्या बनाने को आवश्यक नहीं बनाते हैं और प्राधिकारी से अनुरोध किया कि वे आवेदन में यथा-प्रस्तावित मॉडल टू मॉडल तुलना पर विचार करें। हालांकि, कुछ अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने केवल पीसीएन प्रस्ताव पर टिप्पणियां प्रस्तुत करने के लिए समय विस्तार का अनुरोध किया। इस प्रकार के अनुरोध पर विचार करते हुए, 27.04.2023 तक एक सप्ताह का अतिरिक्त समय पीसीएन प्रस्ताव बनाने के लिए दिया गया था।
- ढ. यद्यपि समय का विस्तार किसी पीसीएन का प्रस्ताव करने के लिए दिया गया था तथापि ऐसा कोई प्रस्ताव किसी भी हितबद्ध पक्षकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया था।
- ण. घरेलू उद्योग को छोड़कर हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किसी विशिष्ट पीसीएन प्रस्ताव के नहीं होने पर, रिकॉर्ड में उपलब्ध सूचना को पीसीएन के लिए संगत पाया गया और उसकी जांच की गई है तथा पीसीएन पद्धति का निर्धारण प्राधिकारी द्वारा किया गया है तथा इसे दिनांक 8 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से सभी हितबद्ध पक्षकारों को अनुसूचित किया गया था।
- त. हितबद्ध पक्षकारों से यह अनुरोध किया गया था कि वे पीसीएन की सूचना दिए जाने की तिथि से दो सप्ताह अर्थात् 8 मई, 2023 तक अधिसूचित पीसीएन के अनुसार प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत करें। उसके बाद, अतिरिक्त समय के लिए अनुरोध हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किया गया था और इस प्रकार के अनुरोधों पर विचार करते हुए, उत्तर/अनुरोध प्रस्तुत करने के लिए 5 जून, 2023 तक समय विस्तार दिया गया था।
- थ. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा अन्य पक्षकारों को दिए गए/किए गए साक्ष्य का अगोपनीय पाठ इन पक्षकारों को डीजीटीआर की वेबसाइट पर सभी संबंधित पक्षकारों को उपलब्ध कराई गई संबद्ध जांच के लिए संगत हितबद्ध पक्षकारों की सूची के आधार पर ईमेल के द्वारा ऐसे अनुरोधों का आदान-प्रदान करने के लिए निदेश देकर उपलब्ध कराया।
- द. वाणिज्यिक आसूचना और सांख्यिकी महानिदेशालय (डीजीसीआईएंडएस) को पिछले तीन वर्षों और जांच की अवधि के लिए संबद्ध वस्तुओं के आयातों का लेन-देनवार विवरण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था जो प्राधिकारी को प्राप्त हो गया है। प्राधिकारी ने आयातों की मात्रा की गणना और लेन-देन की उचित जांच के बाद इसके विश्लेषण के लिए आयात के आंकड़ों का डीजीसीआईएंडएस लेन-देनवार विवरण पर विश्वास किया है।
- ध. सामान्य रूप से स्वीकार की गई लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के आधार पर भारत में संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करने तथा बिक्री करने की लागत और उत्पादन की लागत के आधार पर क्षति रहित कीमत (एनआईपी) का निर्धारण किया गया है ताकि इस बात का पता लगाया जा सके कि क्या पाटन मार्जिन की तुलना में कमतर पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को क्षति समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।
- न. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर, 2022 (12 महीने) की है। तथापि, क्षति की जांच की अवधि 1 अप्रैल, 2019-31 मार्च, 2020, 1 अप्रैल 2020-31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 – 31 मार्च, 2022 की अवधि और जांच की अवधि के रूप में मानी गई है।
- प. संबद्ध देश के आवेदक, उत्तर देने वाले उत्पादक और निर्यातक द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना का डेस्क सत्यापन/सत्यापन प्राधिकारी द्वारा उस सीमा तक किया गया था जिस सीमा तक उसे आवश्यक माना

गया। जहां कहीं भी लागू हुआ आवश्यक संशोधन/सुधार के साथ केवल इस प्रकार से सत्यापित सूचना पर वर्तमान अधिसूचना के प्रयोजन से विश्वास किया गया है।

- फ. इस नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार, प्राधिकारी ने सभी हितबद्ध पक्षकारों को अपने विचार आयोजित सुनवाई में मौखिक रूप से हाइब्रिड मोड में 21 जुलाई, 2023 को प्रस्तुत करने के लिए अवसर भी दिया। सभी पक्षकारों, जो मौखिक सुनवाई में उपस्थित हुए थे, को 28 जुलाई, 2023 तक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करने, उसके बाद 4 अगस्त, 2023 तक प्रति उत्तर, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर भी दिया गया था।
- ब. अब तक इस जांच की प्रक्रिया के दौरान, हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर उपयुक्त रूप से विचार किया गया है और उसका समाधान प्राधिकारी द्वारा इस अंतिम जांच परिणाम में किया गया है, जिस सीमा तक वर्तमान जांच से संबंधित साक्ष्य द्वारा समर्थित था।
- भ. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर उपलब्ध कराई गई सूचना की जांच गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी जहां कहीं भी आवश्यक हो, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को प्रकट न की गई सूचना माना गई है। जहां कहीं भी संभव हुआ, गोपनीय आधार पर सूचना उपलब्ध कराने वाले पक्षकारों को निदेश दिया गया था कि वे गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई सूचना का पर्याप्त अगोपनीय रूपांतर उपलब्ध कराएं।
- म. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान सूचना देने से इंकार किया है अथवा अन्य प्रकार से आवश्यक सूचना उपलब्ध नहीं कराई है या इस जांच में बहुत अधिक हद तक बाधा पहुंचाई है, प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी के रूप में माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर इस अंतिम जांच परिणाम को रिकॉर्ड किया।
- य. इस अंतिम जांच परिणाम में ‘\*\*\*’ चिन्ह हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत की गई और प्राधिकारी द्वारा नियमावली के अंतर्गत गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।
- कक. प्राधिकारी द्वारा संबद्ध जांच के लिए अपनाई गई विनिमय दर 1 अमरीकी डॉलर = 79 . 26रुपए है।

#### ग. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु

4. जांच की शुरुआत के चरण में विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु निम्नानुसार परिभाषित किए गए थे:

3. आवेदन में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) “401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) के माप के इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ईटीपी) सहित ईजी ओपन एंड ऑफ टिन प्लेट” हैं।

4. संबद्ध वस्तुएं आवश्यक रूप से ढक्कनों अथवा केंस/कंटेनरों के छोरों को खोलने में आसान हैं जिनका उपयोग उपयोज्य और अन्य वस्तुओं जैसे ताजा और संरक्षित खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों की पैकेजिंग में किया जाता है। संबद्ध वस्तुओं से आसान खुले सिरों (ईजी ओपन एंड) को ढका जाता है, जिनका निर्माण इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ईटीपी) सहित टिन प्लेट का उपयोग करके किया जाता है और ये पूर्ण अपर्चर अथवा पूरी तरह खोलने योग्य प्रकृति के होते हैं और ये सामान्यतः लेकर लगाए जाते हैं और इन पर आसान खुले सिरों (ईजी ओपन एंड)/ ढक्कन (लिड) के टॉप पर खोलने संबंधी अनुदेश मुद्रित होते हैं। पैकेजिंग में डिब्बे/ कंटेनर पर प्रयोग किए/ लगाए जाने वाले परंपरागत ढक्कन (लिड) में एक बाहरी उपकरण (टूल) अथवा ढक्कन को खोलने के लिए बल की आवश्यकता होती है, जबकि ईजी ओपनएंड को ईजी ओपन एंड के ही बाहर की ओर लगी रिंग को खींचकर निर्बाध रूप से खोला जा सकता है।

5. साथ ही, संबद्ध वस्तुएं केवल ऐसे आसान खुले सिरों (ईजी ओपन एंड) को कवर करती हैं, जो 401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) के माप के हैं, जिनमें कि 401 व्यास 4 इंच को दर्शाता है और एक इंच का 1/16वां भाग तथा 300 व्यास 3 इंच को दर्शाता है। ये माप व्यापक रूप से डिब्बों/ कंटेनरों और ढक्कन के उत्पादकों द्वारा अपनाए गए यूनिवर्सल मापों के अनुरूप हैं ताकि डिब्बों/ कंटेनरों के साथ ढक्कनों (लिड) को उचित तरीके से सीवन (सीमिंग) किया जा सके। उत्पाद को आम तौर पर उत्पाद के माप को दर्शा करके कारोबार किया जाता है और मिलीमीटर (एमएम) के संदर्भ में भी माप का उल्लेख करने की घटनाएं अक्सर होती हैं।

6. स्पष्टता के लिए, विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:-

- क) ऐसे आसान खुले सिरे (ईजी ओपन एंड), जो टिन प्लेट के अलावा अन्य सामग्रियों से निर्मित होते हैं, जैसे एल्युमिनियम, टिन फ्री शीट आदि।
- ख) किसी भी मेक/ इनपुट सामग्री के ऐसे आसान खुले सिरे (ईजी ओपन एंड), जिनका माप 401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) के अलावा अन्य माप का है।
- ग) किसी भी मेक और माप के आंशिक या लघु छिद्र (अपर्चर) के आसान खुले सिरे (ईजी ओपन एंड)

7. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 83 और आगे सीमा शुल्क उप शीर्ष सं. 83099020 के तहत बेस मेटल की विविध वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं, जो कि विचाराधीन उत्पाद के लिए एक समर्पित वर्गीकरण नहीं है। तथापि, आवेदक ने यह दावा किया है कि किसी अन्य शीर्ष/ टैरिफ मद के तहत विचाराधीन उत्पाद के आयात की संभावना है। विचाराधीन उत्पाद के लिए एचएस वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी तरह से उत्पाद के दायरे के संबंध में बाध्यकारी नहीं है।

समान वस्तु

8. आवेदक ने यह दावा किया है कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों ही वस्तुएं भौतिक और रासायनिक गुणों, कार्यों और उपयोगों, कीमत, वितरण और विपणन, तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनात्मक हैं। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि दोनों उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने दोनों उत्पादों को एक दूसरे के स्थान पर बदल-बदल कर प्रयोग किया है और प्रयोग कर रहे हैं। अतः वर्तमान जांच के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुएं संबद्ध देश से आयात की जा रही संबद्ध वस्तुओं के 'समान वस्तु' मानी जा रही हैं।

#### ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

5. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. यह विचाराधीन उत्पाद तीन प्लेट से निर्मित 401 और 300 व्यास के ईओई )को कवर करता है। हालांकि, याचिकाकर्ता ईओई के तथा एल्युमिनियम ईओई के अन्य व्यास का भी उत्पादन करता है। यह स्पष्ट नहीं है कि क्यों इस प्रकार के सभी ईओई को विचाराधीन उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता है।
- ii. आवेदक द्वारा निर्मित उत्पाद समान वस्तु नहीं हैं क्योंकि यह निम्न गुणवत्ता की है। इस कारण से, प्रयोक्ताओं को आयात करना पड़ता है।
- iii. आवेदक विचाराधीन उत्पाद का निर्माण करने के लिए बैच एनीलिंग (बीए) टिनप्लेट निर्माण प्रक्रिया का उपयोग करता है जबकि उत्पादक/निर्यातक सतत एनीलड (सीए) टिन प्लेट निर्माण प्रक्रिया का उपयोग करते हैं। सीए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए निर्माण किए गए टिनप्लेट (विचाराधीन उत्पाद के लिए

कच्चा माल) आवेदक द्वारा उपयोग किए गए बीए प्रौद्योगिकी टिनप्लेट की तुलना में उत्कृष्ट कोटि के होते हैं।

## ग.2 घरेलू उद्योग का अनुरोध

6. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

- i. विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए "401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) के माप के इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ईटीपी) सहित ईजी ओपन एंड ऑफ टिन प्लेट" हैं।
- ii. संबद्ध वस्तुएं आवश्यक रूप से ढक्कनों अथवा केंस/कंटेनरों के छोरों को खोलने में आसान है जिनका उपयोग उपयोग्य और अन्य वस्तुओं जैसे ताजा और संरक्षित खाद्य पदार्थों और अन्य वस्तुओं जैसे ताजा और संरक्षित खाद्य पदार्थ, पेय पदार्थ, पान मसाला आदि की पैकेजिंग में उपयोग किया जाता है। संबद्ध वस्तु बाजार की भाषा में केंस के लिए ढक्कन, ईओई, ईजी ओपन्स अथवा रिंग पुल्स के रूप में भी जाना जाता है।
- iii. निम्नलिखित को विचाराधीन उत्पाद के कार्य क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है: क) आसान खुला छोर जिनका निर्माण टिनप्लेट को छोड़कर अन्य सामग्रियों जैसे एल्युमिनियम, टिन फ्री शीट आदि से किया जाता है; ख) किसी निर्माण/इनपुट सामग्री के 401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) को छोड़कर अन्य परिमाण वाले ईजी ओपन छोरों, ग) किसी निर्माण और परिमाण के आंशिक अथवा लघु अपर्चर का ईजी ओपन छोर।
- iv. ढक्कन से संबद्ध रिंग/टैप के बिना उत्पाद के किसी आयात के संबंध में, रिंग (ढक्कन को खोलने के लिए रिंग) विचाराधीन उत्पाद का एक अभिन्न और अंतर्निहित हिस्सा है तथा रिंग के न होने पर, ईओई का उद्देश्य पूरा नहीं हो पाएगा और इसकी परिभाषा भी पूरी नहीं होगी। आवेदक को रिंग के बिना और इस समय भारत में आयात के बाद संबद्ध वस्तुओं पर रखे जाने वाले रिंग के बिना ईओई के किसी आयात की जानकारी नहीं है। हालांकि, याचिकाकर्ता किसी शुल्क को लगाए जाने की स्थिति में किसी ऐसे क्रियाकलापों से इंकार नहीं कर सकते हैं।
- v. प्रश्रुत व्यास अर्थात् 401 और 300 व्यास की प्रवंचना की संभावनाओं के संबंध में, ईओई के संबंध में व्यास बिल्कुल सही है और इसका वैश्विक रूप से अनुसरण के निर्माताओं द्वारा भी किया जाता है। इस कारण से, ऐसी संभावनाओं से इस चरण में इंकार नहीं किया जा सकता है।
- vi. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तुओं और संबद्ध देश से आयातित संबद्ध वस्तुओं में कोई ज्ञात अंतर नहीं है। दोनों ही वस्तुएं भौतिक और रासायनिक गुणों, कार्यों और उपयोगों, कीमत, वितरण और विपणन, तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के संदर्भ में तुलनात्मक हैं। दोनों उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक दृष्टि से प्रतिस्थापनीय हैं। उपभोक्ताओं ने दोनों उत्पादों को एक दूसरे के स्थान पर बदल-बदल कर प्रयोग किया है और प्रयोग कर रहे हैं। आयात की गई सामग्री के लिए पसंदगी का कारण कुछ भी नहीं है बल्कि निर्यातकों द्वारा पेशकश की जा रही पाटित कीमतें हैं।
- vii. यह तर्क दिया गया है कि आवेदक द्वारा निर्मित उत्पाद समान वस्तु नहीं हैं क्योंकि यह निम्न गुणवत्ता की है और आवेदक विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए बैच एनील्ड (बीए) टिनप्लेट का उपयोग करते हैं जबकि उत्पादक/निर्यातक विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए सतत एनील्ड (सीए) टिन प्लेट का उपयोग करते हैं और सीए प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए निर्माण किए गए टिनप्लेट (विचाराधीन उत्पाद के लिए कच्चा माल) बीए प्रौद्योगिकी टिनप्लेट की तुलना में उत्कृष्ट कोटि के होते हैं। इन तर्कों का कोई आधार नहीं है।

- viii. बैच एनीलिंग (बीए) प्रौद्योगिकी और सतत एनीलिंग (सीए) प्रौद्योगिकी संबद्ध वस्तुओं अर्थात् टिनप्लेट का उत्पादन करने के लिए और न कि संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करने के लिए कच्चे माल के उत्पादन के संबंध में है। कच्चे माल का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी में अंतर संबद्ध वस्तुओं के संबंध में अपरिणामी है और ऐसा कुछ भी यह दर्शाने के लिए प्रस्तुत नहीं किया गया है कि कच्चे माल का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी में अंतर में आयात किए गए ईओई और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए गए ईओई की भौतिक गुणों, एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाने की क्षमता अथवा उपयोगों के संदर्भ में इन उत्पादों की तुलनीयता को प्रभावित किया है।
- ix. प्रौद्योगिकी अथवा इनपुट अथवा उत्पादन की प्रक्रिया में केवल अंतर इस उत्पाद को अलग नहीं बनाता है, यदि अंतिम उत्पाद में विनिर्देशों में परिवर्तन उस सीमा तक नहीं हो कि वे एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाने लायक अथवा प्रतिस्थापनीय नहीं हों। वर्तमान मामले में, आयात किए गए ईओई और घरेलू स्तर पर उत्पादन किए गए ईओई एक दूसरे के स्थान पर उपयोग किए जाने योग्य अथवा प्रतिस्थापनीय हैं तथा टिनप्लेट का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी में कोई अंतर ईओई पर कोई प्रभाव नहीं डालता है।
- x. संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए आवेदक और उत्पादकों द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया तथा निर्माण प्रौद्योगिकी तुलनीय हैं और यह भी दावा नहीं किया जाता है कि संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी अलग हैं। जब संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करने के लिए अपनाई गई ऐसी निर्माण प्रौद्योगिकी और प्रक्रिया तुलनीय हों तब विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल का उत्पादन करने के वास्ते प्रौद्योगिकी में अंतर का संबद्ध वस्तुओं पर कोई अधिक प्रभाव नहीं होता है और उसका कोई अर्थ नहीं है।
- xi. निर्यातक द्वारा प्रस्तुत किया गया उत्तर यह कहता है कि विचाराधीन उत्पाद से किसी भी प्रकार से कोई अंतर नहीं है और न तो कोई इसकी विशिष्ट विशेषताएं अथवा उपयोग हैं जो इस उत्पाद से उन्हें अलग करें। जब विदेशी उत्पादक ने कोई दावा नहीं किया है अथवा संबद्ध वस्तुओं जिनका उत्पादन और निर्यात उनके द्वारा किया गया है तथा जिनकी खरीद और बिक्री आवेदक द्वारा की गई है, में निर्यातक की प्रश्नावली के उत्तर के संगत भाग में प्रौद्योगिकी अथवा गुणवत्ता के कारण किसी अंतर का दावा नहीं किया है अथवा उसे सिद्ध नहीं किया है, आयात किए गए और घरेलू स्तर पर उत्पादन किए गए ईओई में अंतरों के बारे में दावे करने वाले आयातकों के पास कोई साक्ष्य संबंधी मूल्य नहीं हैं।
- xii. प्राधिकारी ने यूरोपीय संघ, जापान, यूएसए और कोरिया गणराज्य के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए कोटेड/प्लेटेड टिन मिल फ्लैट रोल्ड स्टील उत्पादों के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच में अंतिम जांच परिणाम 17 जून, 2020 को जारी किया है [फा.सं. 6/9/2019-डीजीटीआर] और उक्त जांच परिणाम में भारत में टिन प्लेट के उत्पादन में शामिल किसी ऐसी प्रौद्योगिकी तथा टिन प्लेट के अंतिम उपयोग में उनके महत्व का संज्ञान नहीं लिया है। विचाराधीन उत्पाद स्पष्ट रूप से टिन प्लेट का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी पर विचार किए बिना टिन प्लेट के संबद्ध वस्तुओं को शामिल करता है क्योंकि टिन प्लेट का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी ईओई के उत्पादन और खपत में एक निर्धारक कारक नहीं है।
- xiii. प्रयोक्ता जो आवेदक से संबद्ध वस्तुओं की खरीद की, ने किसी विशिष्ट प्रौद्योगिकी के टिन प्लेट से उत्पादन किए गए ईओई के लिए किसी पसंदगी को कभी नहीं दर्शाया है। ईओई का उत्पादन और बिक्री उनके गुणों, अंतिम प्रयोक्ता की पसंदगी और ईओई के लिए संगत विशेषताओं के आधार पर किया गया था। केवल सीए प्रौद्योगिकी के टिन प्लेट से निर्मित ईओई पसंद करने वाले और आवेदक द्वारा उत्पादित बीए प्रौद्योगिकी से टिन प्लेट से निर्मित ईओई को अस्वीकार करने वाले उपभोक्ता का कोई उदाहरण नहीं रहा है। इसके साथ ही, आयात आंकड़े बीए अथवा सीए प्रौद्योगिकी के टिन प्लेट से निर्मित ईओई के बीच टिन प्लेट का उत्पादन करने के लिए कोई अंतर नहीं करता है और न ही ईओई जो टिन प्लेट के उत्पादन में



शामिल प्रौद्योगिकी पर विचार किए बिना टिन प्लेट का एक मूल्यवर्धित उत्पाद है, का वर्णन करने का कोई कारक है।

- xiv. इसके अलावा, प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित व्यापार उपचार जांचों के लिए प्रचालन कार्य-पद्धतियों का मैन्युअल यह कहता है कि "समान वस्तु" का निर्धारण करते समय जांच किए जाने के लिए अपेक्षित महत्वपूर्ण विशेषताएं भौतिक विशेषताओं, उत्पाद के अंतिम उपयोग, उपभोक्ता की पसंद और टैरिफ वर्गीकरण आदि की समानता। दो उत्पाद उत्पादन, डिजाइन, शैली, गुणवत्ता आदि के संदर्भ में अलग नहीं हो सकते हैं फिर भी उन पर जांच के उद्देश्य से समान रूप से विचार किया जा सकता है, जहां तक वे कार्यात्मक रूप से बाजार में समान अंतिम उपयोग और उपभोक्ता की पसंद के कारण प्रतिस्थापनीय हैं।
- xv. प्राधिकारी ने अनेक मामलों में यह व्यवस्था दी है कि न तो प्रौद्योगिकी में अंतर और न ही गुणवत्ता में कथित अंतर अपने आप में किसी उत्पाद के अपवर्जन के लिए अथवा या तो पाटन मार्जिन या क्षति विश्लेषण और प्रौद्योगिकी अथवा संबद्ध वस्तुओं का निर्माण करने के लिए उपयोग की गई प्रक्रिया के लिए आधार हो सकता है और इसका बहुत कम महत्व है, जब तक परिणामी उत्पाद एक ही हो। यह भी व्यवस्था दी गई है कि प्रक्रिया अथवा प्रौद्योगिकी में अंतर पर इस उत्पाद में अंतर स्थापित करने के लिए एक आधार के रूप में विचार नहीं किया जा सकता है क्योंकि आयात किए गए उत्पादों और उन उत्पादों जिन्हें घरेलू स्तर पर उत्पादन किया गया है, के अंतिम उपयोग एक ही हैं और उपभोक्ता इन दोनों का एक दूसरे के स्थान पर उपयोग कर रहे हैं।
- xvi. आवेदक दि टिनप्लेट कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड (बीए प्रौद्योगिकी) से टिनप्लेट खरीदते आ रहे हैं और कंपनी द्वारा पेशकश की जा रही टिनप्लेट ईओई का उत्पादन करने के लिए आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। कंपनी विशेष रूप से यह दावा करती है कि वे प्रोसेस्ड खाद्य प्रयोग के लिए टिनप्लेट की लगभग 47% मांग को पूरा करते हैं, जहां ईजी ओपन एंड भी आता है और ऐसा विश्वास नहीं किया जा सकता है कि प्रोसेस्ड खाद्य उद्योग खराब गुणवत्ता के टिनप्लेट का उपयोग करता है। इस प्रकार, यह तर्क कि बीए प्रौद्योगिकी टिनप्लेट से निर्मित ईओई निम्न गुणवत्ता की है, का कोई अर्थ नहीं है।
- xvii. यह स्पष्ट है कि प्रौद्योगिकी में अंतर को आयात किए गए और घरेलू उत्पादों के बीच अंतर करने के लिए किसी आधार के रूप में नहीं माना जा सकता है जब तक कि विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु का एक ही अंतिम उपयोग हो और उसका उपयोग एक दूसरे के स्थान पर किया जाता हो। जब स्वयं विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी में किन्ही अंतरों की ऐसी स्थिति रही है, तब विचाराधीन उत्पाद का उत्पादन करने के लिए कच्चे माल का उत्पादन करने हेतु प्रौद्योगिकी में कथित अंतर को बिल्कुल नहीं माना जा सकता है।
- xviii. जब आवेदक ने 2016 में उत्पादन शुरू किया, टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया एकमात्र उपलब्ध स्रोत था जिससे घरेलू स्तर पर टिनप्लेट की खरीद की जा सकती थी, यद्यपि भारत में अब सीए प्रौद्योगिकी वाले टिनप्लेट के कई उत्पादक हैं। लेकिन वह चिंता जिसका उल्लेख किया गया है, वह यह है कि पाटित आयात आवेदक द्वारा कीमत में वृद्धि को और अधिक तर्कसंगत स्तरों तक लाने से रोक रहे हैं।
- xix. इसके साथ ही, गुणवत्ता में कोई कथित अंतर समान वस्तु के निर्धारण में संगत भी नहीं है। यह आरोप कि आवेदक द्वारा उत्पादन किए गए ईओई निम्न गुणवत्ता के हैं, का कोई आधार नहीं है। हमारे ग्राहकों में से किसी के द्वारा अब तक कोई गंभीर गुणवत्ता संबंधी मुद्दे उठाए नहीं गए हैं और उत्पादों को प्रयोक्ताओं द्वारा अच्छे तरीके से स्वीकार किया गया है। घरेलू उद्योग सुनिश्चित करता है कि प्रयोक्ताओं का छोटी से छोटी चिंता को भी दूर किया जाता है और ऐसा कोई उदाहरण नहीं रहा है कि घरेलू उद्योग ने किसी निरंतर गुणवत्ता संबंधी चिंताओं के कारण ऑर्डर का नुकसान उठाया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित और बेचे गए ईओई अच्छी गुणवत्ता के हैं और वे विश्व में उपलब्ध सर्वश्रेष्ठ उत्पादों के बराबर हैं।

- xx. आवेदक द्वारा उत्पादन किए गए ईओई का उपयोग खाद्य और भोज्य पदार्थ उद्योग में बहुराष्ट्रीय कंपनी सहित ख्याति प्राप्त कंपनियों द्वारा उपयोग किया जाता है और ऐसे ग्राहकों ने दुबारा आदेश नहीं दिया होता, यदि इसकी गुणवत्ता निम्न होती। यह गुणवत्ता नहीं बल्कि पाटित कीमत है जो चीन जन.गण. की ओर आयातकों को आकर्षित कर रहा है और यह आवश्यक है कि कुछ समान अवसर सुनिश्चित किया जाता है ताकि घरेलू उद्योग भारत में आम ग्राहकों की मांग को पूरा कर बाजार में बने भी रह सकते हैं।
- xxi. एल्युमिनियम कुछ फ्लैट रोल्ड उत्पादों के मामले में प्राधिकारी द्वारा जांच परिणाम यह है कि विचाराधीन उत्पाद के कार्य-क्षेत्र का आकलन करने के लिए गुणवत्ता एक कारण नहीं है तथा गुणवत्ता में अंतर उत्पाद के अपवर्जन के लिए पर्याप्त औचित्य नहीं है।
- xxii. समान वस्तु के कार्य-क्षेत्र से उत्पाद के अपवर्जन के लिए गुणवत्ता के पहलू का एक कारक नहीं होने की चर्चा माननीय सेस्टेट द्वारा डीएसएम इंडेमिट्सु लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में किया गया है जिसमें यह माना गया था कि गुणवत्ता में अंतर किसी वस्तु को अलग नहीं करेगा तथा निर्दिष्ट प्राधिकारी की टिप्पणी सही थी कि “यह तथ्य कि गुणवत्ता अलग अलग हो सकती है, का आशय यह नहीं है कि आयात किए गए उत्पाद और घरेलू उत्पाद, दोनों समान वस्तु नहीं हैं।”
- xxiii. आवेदक द्वारा खरीदी गई टिनप्लेट में गुणवत्ता प्रत्यायन हैं। ईटीपी-आईएस 1993/आईएसओ 11949, जेआईएस जी 3303, ईएन 10202, एएसटीएम ए 624, ईटीपी (एसआर), एएसटीएम ए 626-ईटीपी (डीआर) के समतुल्य गुणवत्ता प्रत्यायन प्रतीत होता है, जो टिनप्लेट आपूर्तिकर्ता के पास है जो ईओई के लिए भी संगत है। तत्पश्चात्, टिनप्लेट का उत्पादन करने के लिए लागू गुणवत्ता मापदंडों के अनुसार टिनप्लेट से उत्पादन किए गए ईओई किसी निम्न मानदंड के नहीं हो सकते हैं और चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए एल्युमिनियम के कुछ फ्लैट रोल्ड उत्पादों के आयात के संबंध में पाटनरोधी जांच में प्राधिकारी की टिप्पणी के अनुरूप नहीं हो सकती है – फा.सं. 6/27/2020-डीजीटीआर में यह टिप्पणी की यदि सरकार ने किसी उत्पाद के कुछ मानकों को तय किया है और घरेलू उद्योग द्वारा आपूर्ति किया गया उत्पाद ऐसे मानकों के अनुरूप हैं, उपभोक्ता यह तर्क नहीं दे सकते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किया गया उत्पाद अपेक्षित मानकों को पूरा नहीं करता है।
- xxiv. जब आवेदक द्वारा खरीदा गया टिनप्लेट का उत्पादन टिन प्लेट का उत्पादन करने में निर्धारित मानकों के अनुसार किया गया हो तब ऐसी टिनप्लेट का उपयोग करते हुए उत्पादन किए गए ईओई जो मूल्यवर्धित उत्पाद हैं, निम्न कोटि अथवा टिनप्लेट की निम्न गुणवत्ता के कारण प्रयोक्ताओं द्वारा उपयोग न किए जाने योग्य गुणवत्ता का नहीं हो सकता है।
- xxv. घरेलू उद्योग टिनप्लेट और एल्युमिनियम ईओई को दो अलग अलग उत्पादों के रूप में मानता है और इस कारण से एल्युमिनियम ईओई को वर्तमान आवेदन के कार्य-क्षेत्र में शामिल नहीं किया जाता है। एल्युमिनियम और टिनप्लेट का ईओई भौतिक गुणों, मूल कच्चे माल, अंतिम प्रयोक्ताओं, कीमत निर्धारण आदि के मामले में अलग अलग हैं तथा टिनप्लेट और एल्युमिनियम के ईओई को एक दूसरे के स्थान पर उपयोग नहीं किया जाता है और उन्हें नियम 2(घ) के आशय से अलग-अलग उत्पादों के रूप में अवश्य माना जाना चाहिए। इसके साथ ही, जांच की अवधि के दौरान 307 व्यास का कोई उत्पादन नहीं हुआ है।

### ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

- वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) “401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) के माप के इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ईटीपी) सहित ईजी ओपन एंड ऑफ टिन प्लेट” हैं।
- संबद्ध वस्तुएं ऐसे डिब्बे केन/कंटेनरों के ढक्कन खोलने या सिरों को खोलने में आसानी के लिए आवश्यक होती हैं, जिनका उपयोग उपयोज्य और अन्य वस्तुओं जैसे ताजा और संरक्षित खाद्य पदार्थों और पेय पदार्थों की पैकेजिंग में

किया जाता है। संबद्ध वस्तुओं से आसान खुले सिरों (ईजी ओपन एंड) को ढका जाता है, जिनका निर्माण इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ईटीपी) सहित टिन प्लेट का उपयोग करके किया जाता है और ये पूर्ण अपर्चर अथवा पूरी तरह खोलने योग्य प्रकृति के होते हैं और ये सामान्यतः लैकर लगाए जाते हैं और इन पर आसान खुले सिरों (ईजी ओपन एंड)/ ढक्कन (लिड) के टॉप पर खोलने संबंधी अनुदेश मुद्रित होते हैं। पैकेजिंग में डिब्बे/ कंटेनर पर प्रयोग किए/ लगाए जाने वाले परंपरागत ढक्कन (लिड) में एक बाहरी उपकरण (टूल) अथवा ढक्कन को खोलने के लिए बल की आवश्यकता होती है, जबकि ईजी ओपन एंड को ईजी ओपन एंड के ही बाहर की ओर लगी रिंग को खींचकर निर्बाध रूप से खोला जा सकता है।

9. साथ ही, संबद्ध वस्तुएं केवल ऐसे आसान खुले सिरों (ईजी ओपन एंड) को कवर करती हैं, जो 401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) के माप के हैं, जिनमें कि 401 व्यास 4 इंच को दर्शाता है और एक इंच का 1/16वां भाग तथा 300 व्यास 3 इंच को दर्शाता है। ये माप व्यापक रूप से डिब्बों/ कंटेनरों और ढक्कन के उत्पादकों द्वारा अपनाए गए यूनिवर्सल मापों के अनुरूप हैं ताकि डिब्बों/ कंटेनरों के साथ ढक्कनों (लिड) को उचित तरीके से सीवन (सीमिंग) किया जा सके। उत्पाद को आम तौर पर उत्पाद के माप को दर्शा करके कारोबार किया जाता है और प्रायः मिलीमीटर (एमएम) के संदर्भ में भी माप का उल्लेख किया जाता है।
10. स्पष्टता के लिए, विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के दायरे में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:-
  - क) ऐसे आसान खुले सिरे (ईजी ओपन एंड), जो टिन प्लेट के अलावा अन्य सामग्रियों से निर्मित होते हैं, जैसे एल्यूमिनियम, टिन फ्री शीट आदि।
  - ख) किसी भी मेक/ इनपुट सामग्री के ऐसे आसान खुले सिरे (ईजी ओपन एंड), जिनका माप 401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) के अलावा अन्य माप का है।
  - ग) किसी भी मेक और माप के आंशिक या लघु छिद्र (अपर्चर) के आसान खुले सिरे (ईजी ओपन एंड)
11. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 के अध्याय 83 और आगे सीमा शुल्क उप शीर्ष सं. 83099020 के तहत बेस मेटल की विविध वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं, जो कि विचाराधीन उत्पाद के लिए एक समर्पित वर्गीकरण नहीं है। विचाराधीन उत्पाद के लिए एचएस वर्गीकरण केवल संकेतात्मक है और यह किसी भी तरह से उत्पाद के दायरे के संबंध में बाध्यकारी नहीं है।
12. यह भी नोट किया जाता है कि यद्यपि समुचित अवसर उपलब्ध कराए जाने के बाद भी किसी भी हितबद्ध पक्षकारों से किसी पीसीएन पद्धति के लिए कोई प्रस्ताव नहीं रहा है, प्राधिकारी ने दिनांक 8 मई, 2023 के पत्र के माध्यम से 401 और 300 व्यास के विचाराधीन उत्पाद की कीमतों में बहुत अधिक भिन्नता पर विचार करते हुए एक पीसीएन पद्धति निर्धारित की। तदनुसार, शामिल किए गए उत्पाद का व्यास अर्थात् 401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) को पाटन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के लिए संगत पीसीएन का निर्धारण करने के लिए आधार के रूप में माना गया है और निर्धारित पीसीएन निम्नानुसार रहा है:

क्र.सं.	व्यास	पीसीएन
1.	401व्यास (99 एमएम)	401
2.	300व्यास (73 एमएम)	300

13. प्राधिकारी ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों पर भी विचार किया है और रिकॉर्ड पर उपलब्ध संगत सूचना के आधार पर और हितबद्ध पक्षकारों से आगे आवश्यक पाई गई सूचना की जांच की है।

14. विरोधी पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि याचिकाकर्ता ईओई के अन्य व्यासों का उत्पादन करता है और एल्युमिनियम के ईओई का भी उत्पादन करता है और ऐसे सभी ईओई को विचाराधीन उत्पाद में शामिल नहीं किया जाता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि विचाराधीन उत्पाद का दायरा परिमाण में 401 व्यास (99 एमएम) और 300 व्यास (73 एमएम) के माप के इलैक्ट्रोलाइटिक टिप प्लेट (ईटीपी) सहित टिन प्लेट के आसान खुले छोरों तक सीमित हैं। इसके साथ ही, याचिकाकर्ता द्वारा आयात किए गए उत्पाद और उत्पादन किए गए तथा बेचे गए उत्पाद भी मूल उत्पाद गुणों, उपयोगों, कच्चे मालों, निर्माण प्रक्रिया आदि के संदर्भ में तुलनीय हैं।
15. घरेलू उद्योग द्वारा निर्मित वस्तुओं की गुणवत्ता के मुद्दे के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि गुणवत्ता अपने आप में विचाराधीन उत्पाद के दायरे से उत्पाद के अपवर्जन पर विचार करने के लिए एक पाटनरोधी जांच में मुद्दा नहीं है। माननीय सेस्टेट ने डीसीएम इडेमिस्तु लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी में यह माना कि यह तथ्य कि गुणवत्ता अलग अलग हो सकती हैं, का यह आशय नहीं है कि आयात किया उत्पाद और घरेलू उत्पाद समान वस्तु नहीं हैं। अनुरोधों से यह नोट किया जाता है कि प्रयोक्ता आवेदक से तथा संबद्ध देश से भी संबद्ध वस्तुओं की खरीद करते रहे हैं तथा आवेदक ने अनुरोध किया है कि गुणवत्ता के मुद्दों के लिए प्रयोक्ताओं द्वारा आवेदक द्वारा उत्पादन की गई संबद्ध वस्तुओं को अस्वीकार करने का कोई उदाहरण नहीं रहा है।
16. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक बैच एनीलिंग टिनप्लेट निर्माण प्रक्रिया द्वारा उत्पादित टिनप्लेट का उपयोग करता है जबकि आयात किए गए उत्पाद सतत अनीलिंग प्रौद्योगिकी के माध्यम से उत्पादन किए गए टिनप्लेट का है, जिसे उत्कृष्ट होने का दावा किया जाता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रौद्योगिकी में अंतर, जैसा कि विरोधी पक्षकारों द्वारा तर्क दिया गया है, टिनप्लेट के उत्पादन से संबंधित है, जो संबद्ध वस्तुओं का उत्पादन करने के लिए और न कि अपने आप में संबद्ध वस्तुओं का कच्चा माल मात्र है। इसके साथ ही, यह नहीं दर्शाया गया है कि कच्चे माल का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी में अंतर ने ऐसे कच्चे माल से उत्पादन किए गए ईओई को अंतिम प्रयोगों के संदर्भ में दो अतुलनीय उत्पाद बना दिया है। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए गए और बेचे गए संबद्ध वस्तु और संबद्ध देश से आयात की गई संबद्ध वस्तु को समान अंतिम प्रयोग तथा उपभोक्ता की पसंद के कारण बाजार में कार्यात्मक रूप से प्रतिस्थापनीय के रूप में नोट किया जाता है। आवेदक द्वारा यह भी दावा किया गया है कि आवेदक ने भारत में टिनप्लेट के सबसे बड़े उत्पादकों में से एक उत्पादक दि टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया से टिन प्लेट की खरीद की और साक्ष्य यह दर्शाता है कि उक्त उत्पादक द्वारा आपूर्ति किया गया टिन प्लेट गुणवत्ता संबंधी अपेक्षाओं को टिन प्लेट का उत्पादन करने के लिए पूरा करता है। इसको देखते हुए, कच्चे माल का उत्पादन करने के लिए प्रौद्योगिकी में अंतर, जैसा कि दावा किया गया है, को आयात किए गए उत्पाद और आवेदक द्वारा उत्पादन किए गए उत्पाद के बीच अंतर करने के लिए किसी आधार के रूप में नहीं माना जा सकता है।
17. समान वस्तु के संबंध में पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) में निम्नानुसार व्यवस्था है:-  

*“समान वस्तु” से ऐसी वस्तु अभिप्रेत है जो भारत में पाटन के कारण जांच के अंतर्गत वस्तु के सभी प्रकार से समरूप या समान है अथवा ऐसी वस्तु के न होने पर अन्य वस्तु जोकि यद्यपि सभी प्रकार से समनुरूप नहीं है परंतु जांचाधीन वस्तुओं के अत्यधिक सदृश विशेषताएं रखती हैं;*
18. रिकॉर्ड पर सूचना पर विचार करते हुए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन किए गए विचाराधीन उत्पाद और संबद्ध देश से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद भौतिक और रसायनिक विशेषताओं, कार्यों और उपयोगों, उत्पाद विनिर्देशों, कीमत निर्धारण, वितरण और वितरण तथा इन वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण के मामले में तुलनीय हैं। घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादन की गई वस्तु और संबद्ध देश से आयात की गई वस्तु नियमावली के संदर्भ में समान वस्तु हैं। ये दोनों तकनीकी रूप से और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। इस प्रकार, प्राधिकारी यह मानते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध वस्तु पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(घ) के क्षेत्र और आशय से संबद्ध देश से आयात किए गए विचाराधीन उत्पाद की समान वस्तु हैं।

**घ. घरेलू उद्योग का दायरा और आधार****घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

19. घरेलू उद्योग के पहलू और उसके आधार के संबंध में अनुरोध जो कि अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, निम्नानुसार हैं:

- i. आवेदक ने अपने आवेदन में स्वीकार किया है कि इसने चीन जन.गण. से विचाराधीन उत्पाद का आयात किया है। ऐसे मामले में, प्राधिकारी को नियम 2(ख) के संदर्भ में आवेदक को एक घरेलू उद्योग के रूप में नहीं मानना चाहिए और इस जांच को तत्काल समाप्त कर देना चाहिए।

**घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

20. घरेलू उद्योग द्वारा घरेलू उद्योग के क्षेत्र और आधार के संबंध में किए गए अनुरोध निम्नानुसार हैं:

- i. आवेदन जिसके आधार पर वर्तमान जांच शुरू की गई थी, मैसर्स ईजी ओपनएंड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एक एमएसएमई इकाई (द्वारा दायर किया गया है। आवेदक भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक है। आवेदक संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक या भारत में विचाराधीन उत्पाद के किसी आयातक से संबंधित भी नहीं है।
- ii. जांच की शुरुआत के समय में निर्णय लिए गए अनुसार जांच की अवधि में 401 डीआईए ईओई (पीयूसी) के आयात का एक उदाहरण रहा है। किया गया बहुत कम आयात पाटित स्तरों पर निर्यातकों द्वारा पेशकश किए जा रहे उत्पादों और आयात की वास्तविक स्थिति का आकलन करने के लिए था। आवेदक की आयात को जारी रखने की कोई योजना नहीं है और न ही उसे जारी रखा गया है और एक उत्पादक के रूप में इसकी साख अभी भी बनी हुई है और किया गया आयात पाटित उत्पादों में व्यापक वृद्धि की स्थिति का समग्र रूप से आकलन करने के लिए एक अपवाद मात्र था। फिर भी, किया गया आयात बहुत कम था जिसके फलस्वरूप एक पात्र घरेलू उद्योग के रूप में आवेदक की अयोग्यता नहीं होनी चाहिए।
- iii. यह स्पष्ट होगा कि आवेदकों द्वारा किया गया आयात चीन जन.गण. से भारत में संबद्ध वस्तुओं के कुल आयात का \*\*\*% से कम है और ऐसे आयात बहुत अधिक नहीं हैं। इस दावे की पुष्टि करने के लिए कि आवेदक द्वारा किए गए आयात बहुत अधिक नहीं हैं, प्राधिकारी द्वारा चीन जन.गण. के मूल के अथवा वहां से निर्यात किए गए “प्राकृतिक माइका आधारित पर्ल इंडस्ट्रियल पिगमेंट, जिसमें कॉस्मेटिक ग्रेड शामिल नहीं हैं” के आयातों के संबंध में पाटनरोधी जांच के मामले में निर्णय पर विश्वास किया गया है। [फा.सं. 6/8/2020 –डीजीटीआर, 8 जून, 2021] जिसमें उक्त मामले में घरेलू उद्योग द्वारा आयात संबद्ध देश से कुल आयातों का लगभग 5% रहा है।
- iv. याचिकाकर्ता संबद्ध वस्तुओं के संबंध में घरेलू उद्योग के रूप में विचार किए जाने के लिए नियम 2(ख) के अंतर्गत मापदंड को पूरा करते हैं।

**घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच**

21. पाटनरोधी नियमावली के नियम 2(ख) के तहत घरेलू उद्योग को इस तरह से परिभाषित किया गया है:-

“)(ख) “घरेलू उद्योग” का तात्पर्य ऐसे समग्र घरेलू उत्पादकों से है जो समान वस्तु के विनिर्माण और उससे जुड़े किसी कार्यकलाप में संलग्न हैं अथवा ऐसे उत्पादकों से है जिनका उक्त वस्तु का सामूहिक उत्पादन उक्त वस्तु के कुल घरेलू उत्पादन का एक बड़ा भाग बनता है सिवाए उस स्थिति के जब ऐसे उत्पादक आरोपित पाटित वस्तु के निर्यातकों या आयातकों से संबंधित होते हैं अथवा वे स्वयं उसके आयातक होते हैं, तो ऐसे मामले में “घरेलू उद्योग” पद का अर्थ शेष उत्पादकों के संदर्भ में लगाया जा सकता है।”

22. यह नोट किया जाता है कि यह आवेदन मैसर्स ईजी ओपनएंड्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है और प्रमाणन जिसे प्रस्तुत किया गया है, यह दर्शाता है कि यह आवेदक एक एमएसएमई इकाई है। आवेदक ने

दावा किया है कि वे भारत में संबद्ध वस्तुओं का अकेला उत्पादक है और आवेदक के इस दावे का किसी अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रति तथ्यों से खंडित नहीं किया गया है। उसको देखते हुए, आवेदक को भारत में संबद्ध वस्तुओं का एकमात्र उत्पादक के रूप में माना गया है।

23. आगे यह भी नोट किया जाता है कि आवेदक संबद्ध देश में संबद्ध वस्तुओं के किसी निर्यातक अथवा उत्पादक या भारत में पीयूसी के किसी आयातक से संबंधित नहीं है। हालांकि यह नोट किया जाता है कि आवेदक ने जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं का आयात किया है, जैसा कि आवेदन में माना गया है।
24. प्राधिकारी ने आवेदक द्वारा किए गए आयातों के संबंध में हितबद्ध पक्षकारों के तर्कों पर विचार किया और वे यह नोट करते हैं कि जांच की अवधि के दौरान आवेदक द्वारा किया गया आयात भारत की कुल मांग का \*\*\*% और कुल आयातों का \*\*\*% है जो अधिक नहीं है जिससे कि आवेदक को घरेलू उद्योग के रूप में माने जाने के अधिकार से वंचित किया जाए।
25. इस कारण से, रिकॉर्ड पर उपलब्ध सूचना पर विचार करते हुए, प्राधिकारी यह मानते हैं कि यह आवेदक/याचिकाकर्ता इस नियमावली के नियम 2(ख) के आशय से पात्र घरेलू उद्योग है और यह कि यह आवेदन इस नियमावली के नियम 5(3) के संदर्भ में आधार के मापदंड को पूरा करता है।

## ड. गोपनीयता संबंधी मुद्दे

### ड.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

26. गोपनीयता के मुद्दे के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
  - i. आवेदक ने दिनांक 07 सितंबर, 2018 की व्यापार नोटिस सं. 10/2018 और पाटनरोधी नियमावली के नियम 7 का पूर्ण उल्लंघन करते हुए गोपनीयता का दावा किया है।
  - ii. एनआईपी +10% उपलब्ध नहीं कराया गया है और व्यापार नोटिस का उल्लंघन करते हुए कुल आयातों का % के रूप में स्वयं के द्वारा किए गए आयातों का विवरण +5% के रूप में उपलब्ध नहीं कराया गया।
  - iii. स्टर्लाइट इंडस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी 2003 (158) ई.एल.टी 673 (एस.सी) में पाटनरोधी शुल्क मामलों में गोपनीयता के संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय का निर्णय सीधे तौर पर वर्तमान मामले में लागू है। उक्त मामले में, गोपनीयता की सूचना के विवेचन के मुद्दे पर, माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह माना कि गोपनीयता अपने आप नहीं दी जानी थी और यह पूरी छानबीन पर आधारित होनी चाहिए।
  - iv. वर्तमान मामले में ऐसा प्रतीत होता है कि गोपनीयता के ये दावे उस सूचना जिससे गोपनीयता के दावे संबंधित हैं, का समग्र मूल्यांकन के बिना अपने आप किया गया है।
  - v. इस मामले में अत्यधिक गोपनीयता ने उच्चतम न्यायालय, सेस्टेट के निर्णयों द्वारा घोषित कानून, प्राधिकारी की अपनी व्यापार नोटिस तथा नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करते समय सही तरीके से अपने हित का बचाव करने के लिए हितबद्ध पक्षकारों के अधिकारों का उल्लंघन किया है।
  - vi. आवेदक ने गौण स्रोतों से आयात संबंधी आंकड़े दिए हैं और इन आंकड़ों को गोपनीय के रूप में नहीं माना जा सकता क्योंकि यह चीन के निर्यातकों द्वारा किए गए निर्यातों से संबंधित हैं।

### ड.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

27. घरेलू उद्योग द्वारा गोपनीयता के मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
  - i. विरोधी पक्षकारों ने इस मामले में अत्यधिक गोपनीयता अपनाई है जिसने आवेदक की क्षमता को उनके दावों पर उपयुक्त खंडन करने की क्षमता को सीमित कर दिया है।

- ii. आयातकों/प्रयोक्ताओं ने आयात किए गए ईओई की मात्रा और कीमत के विवरण से संबंधित सूचना का कोई सूचीबद्ध सार उपलब्ध नहीं कराया है। यही है जब आवेदक ने एक सूचीबद्ध रूप में अपनी क्षति संबंधी मापदंडों का सार उपलब्ध कराया है।
- iii. आवेदक ने स्पष्ट रूप से मात्रा बताई है और डाउनस्ट्रीम प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभावों पर अपने अनेक दावे दिए हैं और दावों का विवरण भी दिया गया है ताकि इसे हर किसी के द्वारा आसानी से समझा जाए। लेकिन आयातकों/प्रयोक्ताओं द्वारा दिए गए उत्तर ने बिना किसी सार के ऐसे दावे को गोपनीय माना है।
- iv. एनसीवी उत्तर आवेदक को अपने उत्पाद में विचाराधीन उत्पाद की भूमिका को समझने की अनुमति नहीं देता है ताकि प्रभावी खंडन पाटनरोधी शुल्क के किसी प्रभाव के दावे के संबंध में दिया जा सके।
- v. भारत को ईजी ओपन एलआईडी इंडस्ट्री कार्पो. यिव्यू द्वारा निर्यातों में किसी अन्य निर्यातकों की संलिप्तता की जांच उत्तर में अपनाई गई अत्यधिक गोपनीयता को देखते हुए किए जाने की आवश्यकता है।
- vi. यद्यपि आवेदक ने इस नियम में यथा-अनुमत्य लेन-देनवार आंकड़ों के संबंध में गोपनीयता का दावा किया है, क्षति की समग्र अवधि के लिए आयातों की मात्रा और मूल्य को दर्शाते हुए उसका सार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को दिया गया है। इस कारण से, गोपनीयता के प्रावधान का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है।
- vii. यह भी तर्क दिया गया है कि आवेदक ने दिनांक 07 सितंबर 2028 के व्यापार नोटिस 10/2018 का उल्लंघन करते हुए अत्यधिक गोपनीयता का दावा किया। इस तर्क का कोई आधार नहीं है क्योंकि आवेदक ने कुछ सूचना के गोपनीय होने का दावा इस संबंध में स्थापित विधि न्याय के साथ पठित नियम के अंतर्गत यथा-अनुमत्य वैध कारण देकर किया और इसके साथ ही, जहां कहीं भी संभव हुआ अन्य पक्षकारों को सार उपलब्ध कराया गया है।

### ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

28. सूचना की गोपनीयता के संबंध में इस नियमावली के नियम 7 में प्रावधान निम्नानुसार है:

*“गोपनीय सूचना”(1) नियम 6 के उपनियमों (2), (3) और (7), नियम 12 के उपनियम (2), नियम 15 के उप नियम (4) और नियम 17 के उपनियम (4) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जांच की प्रक्रिया में नियम 5 के उपनियम (1) के अंतर्गत प्राप्त आवेदनों के प्रतियां या किसी पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर निर्दिष्ट प्राधिकारी को प्रस्तुत किसी अन्य सूचना के संबंध में निर्दिष्ट प्राधिकारी उसकी गोपनीयता से संतुष्ट होने पर उस सूचना को गोपनीय मानेंगे और ऐसी सूचना देने वाले पक्षकार से स्पष्ट प्राधिकार के बिना किसी अन्य पक्षकार को ऐसी किसी सूचना का प्रकटन नहीं करेंगे।*

*(2) निर्दिष्ट प्राधिकारी गोपनीय अधिकारी पर सूचना प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से उसका अगोपनीय सारांश प्रस्तुत करने के लिए कह सकते हैं और यदि ऐसी सूचना प्रस्तुत करने वाले किसी पक्षकार की राय में उस सूचना का सारांश नहीं हो सकता है तो वह पक्षकार निर्दिष्ट प्राधिकारी को इस बात के कारण संबंधी विवरण प्रस्तुत करेगा कि सारांश करना संभव क्यों नहीं है।*

*(3) उप नियम (2) में किसी बात के होते हुए भी यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी इस बात से संतुष्ट है कि गोपनीयता का अनुरोध अनावश्यक है या सूचना देने वाला या तो सूचना को सार्वजनिक नहीं करना चाहता है या उसकी सामान्य रूप में या सारांश रूप में प्रकटन नहीं करना चाहता है तो वह ऐसी सूचना पर ध्यान नहीं दे सकते हैं।”*

29. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई सूचना की जांच इस नियमावली के नियम 7 के अनुसार गोपनीयता के दावे की पर्याप्तता के संबंध में की गई थी। संतुष्ट होने

पर, प्राधिकारी ने जहां कहीं भी आवश्यक हुआ, गोपनीयता के दावे को स्वीकार किया है और इस तरह की सूचना को गोपनीय माना गया है।

30. इस तर्क के संबंध में याचिकाकर्ता ने भारत में कुल आयातों के प्रतिशत के रूप में अपने आयातों की रेंज और क्षतिरहित कीमत की रेंज उपलब्ध नहीं कराई है, यह नोट किया जाता है कि इस तरह की सूचना को इस अधिसूचना में नियम 7 के अंतर्गत अनुमत्य सीमा तक प्रकट नहीं किया जाता है।

## च. विविध अनुरोध

### च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

31. निर्यातक/उत्पादक/अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा विभिन्न मुद्दों के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. प्रतिवादी ईमानदारीपूर्वक प्राधिकारी से अनुरोध करते हैं कि वे विभिन्न मापदंडों और विश्लेषण को समझने के लिए आवेदक की परियोजना रिपोर्ट की शुरु से अंत तक जांच करें जिसे विचाराधीन उत्पाद के व्यापार की व्यवहार्यता के संबंध में निर्णय लेने के लिए विचार किया गया था।
- ii. जैसा कि सुनवाई के दौरान आवेदक द्वारा दावा किया गया है, इसकी क्षमता केवल 60 मिलियन पीस है। तदनुसार, यह बिल्कुल स्पष्ट है कि आवेदक भारतीय मांग का केवल लगभग 15% को ही पूरा कर सकता है।
- iii. आवेदक ने निर्धारित और परिवर्तनीय खर्च में निर्माण और वेतन/मजदूरी का वर्गीकरण किया है। हमारी आशंका है कि आवेदक का उद्देश्य अपने कुछ निर्माण और वेतन/मजदूरी को स्वीकार करवाना है क्योंकि यह बिना आदर्श स्थिति के परिवर्तनीय के रूप में उसका दावा किया गया है।
- iv. वर्तमान जांच की शुरुआत पूर्ण रूप से आधारहीन है क्योंकि याचिकाकर्ता ने जांच की शुरुआत के लिए शर्तों को सिद्ध करने के लिए कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है।
- v. आवेदक द्वारा विचार किया गया आयात आंकड़ा अविश्वसनीय स्रोतों से लिया गया है और प्राधिकारी को जांच की शुरुआत के समय डीजीसीआईएंडएस के अनुसार आयात आंकड़े लेने चाहिए थे।
- vi. पाटनरोधी शुल्क लगाना घरेलू उद्योग के एकाधिकार को स्थापित करेगा, जो जनहित में नहीं होगा।

### च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

32. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

- i. यद्यपि मांग इतनी अधिक रही है और आवेदक के पास उपलब्ध क्षमता समग्र मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी, घरेलू उद्योग अपनी क्षमता उपयोग को किसी सार्थक स्तरों तक बढ़ा नहीं सका और जांच की अवधि के दौरान क्षमता का उपयोग भारत में मांग की तुलना में बहुत कम था।
- ii. घरेलू उद्योग को बहुत अधिक अप्रयुक्त क्षमताओं के साथ नहीं छोड़ा जाना चाहिए था जब उपलब्ध क्षमता समग्र भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस प्रकार, मांग-आपूर्ति में अंतर के बारे में तर्कों में कोई दम नहीं है और यह केवल पाटन को न्यायोचित ठहराने के लिए तर्क है।
- iii. घरेलू उद्योग और अधिक भारतीय मांग को पूरा कर सकता है और क्षमता में वृद्धि होगी अगर पाटित आयातों को रोककर कुछ समान अवसर दिए जाएं। यह एक स्थापित विधि शास्त्र है कि मांग-आपूर्ति में अंतर पाटित आयातों को न्यायोचित नहीं ठहरा सकता है और डीएसएम इंडेमिट्सु लिमिटेड बनाम निर्दिष्ट प्राधिकारी के मामले में माननीय सेस्टेट का इस संबंध में फैसला इस मामले में भी लागू है।
- iv. पाटनरोधी शुल्क अनेक मामलों में लगाया गया है जिनमें मांग-आपूर्ति में अंतर बहुत हाल के जांच परिणामों में भी बहुत अधिक के रूप में पाया गया था। इस प्रकार, वर्तमान मामला मांग-आपूर्ति में अंतर



के बारे में नहीं है बल्कि भारतीय उत्पादक की किसी विवेकपूर्ण स्तर तक अपनी क्षमता का उपयोग करने की असमर्थता के बारे में है जब मांग भारत में बहुत अधिक हो।

- v. आवेदक को गौण उपलब्ध स्रोतों के अनुसार आयात संबंधी आंकड़ों पर विश्वास करना था क्योंकि डीजीसीआईएंडएस के अनुसार इन आंकड़ों को नियामक कारणों से इसके द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सका।
- vi. सीसीसीएमई का अनुरोध दर्शाता है कि सीसीसीएमई ने एक हितवद्ध पक्षकार के रूप में अपने दर्जे को नहीं दर्शाया है क्योंकि सीसीसीएमई ने न केवल यह उल्लेख किया है कि वे तीन पक्षकारों के हित का प्रतिनिधित्व करते हैं। सीसीसीएमई ने यह नहीं दर्शाया है कि विचाराधीन उत्पाद के कितने उत्पादकों, निर्यातकों की संख्या क्या है और उनमें से अधिकांश का प्रतिनिधित्व सीसीसीएमई द्वारा किया जा रहा है। यदि सीसीसीएमई इस नियम की शर्तों को पूरा कर एक हितवद्ध पक्षकार के रूप में अपनी साख को दर्शाता है तब सीसीसीएमई के अनुरोधों को अधिकारिक दृष्टिकोण और चिंताओं के रूप में रिकॉर्ड पर अवश्य नहीं लिया जाना चाहिए।
- vii. यह तर्क कि देश में एकमात्र उत्पादक द्वारा प्रस्तुत किए गए आवेदन में अनेक खामियां हैं, इस बात में कोई दम नहीं है और इसे अवश्य अस्वीकार किया जाना चाहिए। इस आवेदन में पाटनरोधी जांच के लिए संगत सभी पहलुओं पर तथ्यात्मक रूप से सही सूचना थी।
- viii. यह तर्क कि घरेलू उद्योग की परियोजना रिपोर्ट की शुरु से अंत तक जांच करने की आवश्यकता है और अव्यवहार्य परियोजना को प्रस्तुत करने के लिए आवेदक के लिए प्राथमिक कारण कुछ व्यापार करार था जो या तो पूरा नहीं हो सका अथवा खत्म हो गया और यह क्षति का कारण है लेकिन इसमें कोई दम नहीं है। परियोजना रिपोर्ट की वास्तविक क्षति के दावे के मामले में कोई संगतता नहीं है क्योंकि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई वास्तविक क्षति इस मामले में विवाद का मुद्दा है। माननीय सेस्टेट द्वारा निम्नो ज़िओन मामले में यह निर्णय लिया गया है कि घरेलू उद्योग को क्षति के प्रश्न के बारे में आदर्श स्थितियों को मानकर निर्णय नहीं लिया जा सकता है बल्कि सही का समायोजन देते हुए वर्तमान परिस्थितियों के संबंध में निर्णय लिया जाना है। जब क्षति की समग्र अवधि के लिए क्षति संबंधी सूचना के साथ जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा उठाई गई वास्तविक क्षति को प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है तब परियोजना रिपोर्ट को कोई भूमिका निभानी नहीं है, जैसा कि आयातकों द्वारा तर्क दिया गया है।

### च.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

33. प्राधिकारी ने निम्नलिखित रूप में हितवद्ध पक्षकारों के मतों पर विचार किया है:

- i. मांग-आपूर्ति अंतराल की वृद्धि के संदर्भ में प्राधिकारी मानते हैं कि मांग और आपूर्ति में अंतराल को क्षति पहुंचाने वाले पाटित आयातों के विरुद्ध समाधान की मांग करने से घरेलू उद्योग को वंचित करने का कारण नहीं माना जा सकता है। वर्तमान मामले के तथ्य से यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान उत्पाद के लिए मांग \*\*\*लाख पीस थी, जिसके विरुद्ध घरेलू उद्योग का उत्पादन \*\*\*लाख (\*\*\*)% पर क्षमता उपयोग) पीस रही है जिसमें याचिकाकर्ता/घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध क्षमता \*\*\*लाख पीस नोट की जाती है। इस प्रकार, भारतीय उत्पादन और कुल उपलब्ध क्षमता जांच की अवधि के दौरान पूरी भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं थी। उल्लिखित क्षमता जांच की अवधि के दौरान पाई गई भारतीय मांग के लगभग \*\*\*% को पूरा कर सकती है।
- ii. तथापि, इस संबंध में प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में उत्पाद के लिए उपलब्ध क्षमता का पर्याप्त हिस्सा जांच की अवधि के दौरान काफी कम उपयोग किया गया है, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा \*\*\*% क्षमता उपयोग से सिद्ध है। यहां तक कि यद्यपि वर्तमान क्षमता वर्तमान भारतीय मांग को पूरा करने के पर्याप्त नहीं है, तथापि घरेलू उद्योग द्वारा यह स्पष्ट किया गया था कि वह खुद ही वर्तमान क्षमता से काफी अधिक उत्पादन हासिल कर सकता है, यदि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामानों में बेहतर उठान हो।

- iii. वर्तमान में, क्षमता का निर्धारण \*\*\*% की दक्षता दर पर 12 प्रचालनात्मक घंटा प्रति दिन पर माने गए मशीनी घंटों के आधार पर किया जाता है, जबकि उद्योग लगभग 24 घंटे प्रचालित हो सकते हैं और वर्तमान प्रचालनात्मक क्षमता निर्धारण के प्रयोजन के लिए मानी गई \*\*\*% दक्षता के पारंपरिक अनुमान के विरुद्ध \*\*\*% से अधिक की है। घरेलू उद्योग यह दावा करता है कि ऐसे परिदृश्य में वास्तविक उत्पादन उपलब्ध वर्तमान क्षमता का लगभग दुगुना हो सकती है। साथ ही, स्थल सत्यापन के दौरान यह दावा किया गया है कि अनुकूल बाजार स्थितियां होने होने पर घरेलू उद्योग के पास उपलब्ध भूमि के बहुत ही कम समय में नई उत्पादन सुविधा जोड़ी जाएगी।
- iv. इस तर्क के संबंध में कि आवेदन-पत्र में मजदूरी संबंधी दावों के आधार के आधार सहित क्षति मानदंडों के संबंध में गलत और असंगत सूचना निहित है, यह नोट किया जाता है कि लाभप्रदता और अन्य दावे सत्यापन और जांच के अधीन रखे गए थे और केवल संबद्ध सामानों से संबंधित ऐसे सत्यापित आंकड़ों पर ही वर्तमान अंतिम जांच परिणाम में विचार किया गया है।
- v. इस तर्क के संबंध में कि पाटनरोधी शुल्क से याचिकाकर्ता का एकाधिकार होगा और ऐसे कोई भी उपाय जनहित के विरुद्ध होंगे, यह माना जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाने से संबद्ध सामानों का प्रयोग करके विनिर्मित उत्पाद के कीमत स्तर प्रभावित हो सकते हैं तथा परिणामस्वरूप इस उत्पाद की सापेक्ष प्रतिस्पर्धात्मकता पर कुछ प्रभाव पड़ सकता है। तथापि, भारतीय बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा पाटनरोधी उपाय से कम नहीं होगी, विशेष रूप से यदि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना घरेलू उद्योग को क्षति का समाधान करने के लिए आवश्यक राशि तक प्रतिबंधित किया जाए। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपाय लगाए जाने से पाटन की परिपाटियों द्वारा प्राप्त अनुचित लाभ समाप्त होंगे, घरेलू उद्योग के निष्पादन में गिरावट रुकेगी और संबद्ध सामानों के उपभोक्ताओं को व्यापक विकल्प की उपलब्धता बनाए रखने में मदद मिलेगी।
- vi. इस तर्क के संबंध में कि आवेदक द्वारा माना गया आयात आंकड़ा अविश्वसनीय स्रोतों से है और प्राधिकारी को जांच की शुरुआत के समय डीजीसीआईएंडएस के अनुसार आयात आंकड़े मंगाने चाहिए थे, यह नोट किया जाता है कि आवेदक ने आयात आंकड़ों के लिए सहायक स्रोत पर विश्वास किया है क्योंकि वह डीजीसीआईएंडएस से उपर्युक्त आंकड़े प्राप्त नहीं कर पाया। तथापि, प्राधिकारी ने जांच की शुरुआत के समय ही डीजीसीआईएंडएस के आंकड़ों पर विश्वास किया और वही आंकड़े इस अंतिम जांच परिणाम के लिए भी प्रयुक्त किए गए हैं।

**छ. बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार (एमईटी), सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण**

**छ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

34. सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के निर्धारण के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:
  - i. 11 दिसंबर, 2016 के बाद कोई भी सदस्य देश चीन जन.गण. से आयातों के साथ व्यवहार करते समय पाटनरोधी करार के अनुच्छेद-2 में शामिल सामान्य मूल्य के निर्धारण के संबंध में मानक नियमों से कम करने में सक्षम नहीं होगा।
  - ii. प्राधिकारी चीन जन.गण. की बाजार अर्थव्यवस्था के विकास के आधार पर चीन जन.गण. "बाजार अर्थव्यवस्था स्तर" प्रदान करें, पाटनरोधी करार के अनुच्छेद 2 के अनुसार कोई सामान्य मूल्य परिकलन करें और तदनुसार सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए अपने उत्तर में उत्तरदाता कंपनी द्वारा की गई लागत और कीमत संबंधी आंकड़े लागू करें।

**छ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध**

35. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. पाटन मार्जिन *न्यूनतम* शुरुआत से अधिक ही नहीं है बल्कि समग्र रूप से और निकाले गए पीसीएन के लिए अलग अलग के लिए बहुत अधिक सकारात्मक भी है।
- ii. चीन जन.गण. को गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माना जाना चाहिए और चीन जन.गण. से उत्पादकों/निर्यातकों के मामले में सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8(2) और (3) के साथ पठित पैरा 7 के अनुसार निर्धारित किया जाना चाहिए। नियमावली के अनुबंध 1 में पैरा 8 के अनुसार यह माना जाता है कि चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों के उत्पादन गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालन कर रहे हैं। अतः, चीन जन.गण. में संबद्ध सामानों का सामान्य मूल्य नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार आकलित किया गया है।
- iii. प्राधिकारी नोट करें कि उत्तरदाता निर्यातक ने लागू प्रश्नावली के उत्तर दायर करके बाजार अर्थव्यवस्था व्यवहार का दावा नहीं किया है और इस संदर्भ में पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 और 8 के आधार पर सामान्य मूल्य का निर्धारण बहुत अनिवार्य है।
- iv. सामान्य मूल्य कोई भी उपलब्ध आधार उपलब्ध होने पर भारत सहित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में निर्मित मूल्य अथवा तीसरे देश से अन्य देश से कीमत के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता। इस आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विशिष्ट आंकड़ों की आवश्यकता होती है, जो उपलब्ध नहीं है। यहां तक कि भारत में आयात प्रमुख रूप से चीन जन.गण. से रहे हैं और संयुक्त अरब अमीरात से छोटे से आयात को छोड़कर किसी अन्य देश से प्रमुख आयात नहीं हैं। इसको ध्यान में रखते हुए आवेदक को भारत में प्रदत्त अथवा देय वास्तविक कीमत, उपयुक्त लाभ मार्जिन शामिल करके विधिवत समायोजित, के आधार पर सामान्य मूल्य का दावा करना है।

**छ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच****सामान्य मूल्य**

36. धारा 9क(1)(ग) के तहत किसी वस्तु के संबंध में सामान्य मूल्य से तात्पर्य है:

- (i) व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की तुलनीय कीमत जब वह उप धारा (6) के तहत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र में खपत के लिए नियत हो, अथवा
- (ii) जब निर्यातक देश या क्षेत्र के घरेलू बाजार में व्यापार की सामान्य प्रक्रिया में समान वस्तु की कोई बिक्री न हुई हो अथवा जब निर्यातक देश या क्षेत्र की बाजार विशेष की स्थिति अथवा उसके घरेलू बाजार में कम बिक्री मात्रा के कारण ऐसी बिक्री की उचित तुलना न हो सकती हो तो सामान्य मूल्य निम्नलिखित में से कोई एक होगा:-
  - (क) समान वस्तु की तुलनीय प्रतिनिधिक कीमत जब उसका निर्यात उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित निर्यातक देश या क्षेत्र से किसी उपयुक्त तीसरे देश को किया गया हो; अथवा
  - उप-धारा (6) के अंतर्गत बनाए गए नियमों के अनुसार यथानिर्धारित प्रशासनिक, बिक्री और सामान्य लागत एवं लाभ हेतु उचित वृद्धि के साथ उद्गम वाले देश में उक्त वस्तु के उत्पादन की लागत;
  - (ख) बशर्ते कि उक्त वस्तु का आयात उद्गम वाले देश से भिन्न किसी देश से किया गया है और जहां उक्त वस्तु को निर्यात के देश से होकर केवल स्थानांतरण किया गया है अथवा ऐसी वस्तु का

उत्पादन निर्यात के देश में नहीं होता है, अथवा निर्यात के देश में कोई तुलनीय कीमत नहीं है, वहां सामान्य मूल्य का निर्धारण उद्भूत वाले देश में उसकी कीमत के संदर्भ में किया जाएगा।

बशर्ते कि मूल देश के अलावा किसी अन्य देश से वस्तु के आयात के मामले में और जहां वस्तु को निर्यात के देश के माध्यम से केवल ट्रांसशिप किया गया हो या ऐसी वस्तु का निर्यात के देश में उत्पादन नहीं किया गया हो या वहां कोई तुलनीय कीमत न हो निर्यात के देश में सामान्य मूल्य मूल देश में इसकी कीमत के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा।

### चीनी उत्पादकों के लिए बाजार अर्थव्यवस्था स्तर

37. डब्ल्यूटीओ में चीन के अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15 में निम्नलिखित प्रावधान है: “जीएटीटी 1994 का अनुच्छेद VI प्रशुल्क एवं व्यापार संबंधी सामान्य करार (पाटनरोधी करार) और एससीएम करार 1994 के अनुच्छेद VI के कार्यान्वयन संबंधी करार निम्नलिखित के अनुरूप डब्ल्यूटीओ सदस्य पर चीनी मूल के आयातों में शामिल कार्यवाहियों में लागू होगा:

(क) “जीएटीटी 1994 के अनुच्छेद- VI और पाटनरोधी करार के तहत कीमत तुलनात्मकता का निर्धारण करने में, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे अथवा उस पद्धति का उपयोग करेंगे, जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर घरेलू कीमतों या चीन में लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने पर आधारित नहीं है:

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती हैं तो निर्यात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन के मूल्यों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त अनुपालन पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग हैं।

(ख) एससीएम समझौते के पैरा II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राजसहायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए तब पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखती है और चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती हैं। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो, आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों का उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यमान निबंधन और शर्तों को ठीक करना चाहिए।

(ग) आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैरा (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी कार्य समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को कमिटी ऑन सब्सिडीज और काउंटर वेलिंग मैसर्स के लिए अधिसूचित करेगा।

(घ) आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य को राष्ट्रीय कानून के तहत चीन ने एक बार यह सुनिश्चित कर लिया है कि यह एक बाजार अर्थव्यवस्था है, तो उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में प्राप्ति की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क) (II) के प्रावधान प्राप्ति की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त होंगे। इसके अलावा, आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के

द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

38. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(ii) (में निहित प्रावधान दिनांक 11.12.2016 को समाप्त हो चुके हैं, लेकिन अभिगम नयाचार के अनुच्छेद 15(क)(i) (के अन्तर्गत दायित्व के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1 के तहत प्रावधान में, बाजार अर्थव्यवस्था स्थिति का दावा करने के संबंध में अनुपूरक प्रश्नावली में प्रदान की जाने वाली सूचना/डेटा के माध्यम से नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 8 में निर्दिष्ट मानदंड को पूरा किया जाना अपेक्षित है। यह नोट किया जाता है कि चूंकि चीन जन.गण. से उत्तरदाता उत्पादकों/निर्यातकों ने निर्धारित रूप में और निर्धारित तरीके से प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत नहीं किया है, अतः सामान्य मूल्य की गणना नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के प्रावधानों के अनुसार की जानी आवश्यक है।

39. तदनुसार, संबद्ध देश के सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया गया है।

#### **चीन जन.गण. के सभी उत्पादकों के लिए सामान्य मूल्य**

40. चूंकि चीन जन.गण. से किसी भी उत्पादक ने निर्धारित प्रश्नावली में उत्तर देकर अपने डेटा/सूचना के आधार पर सामान्य मूल्य के निर्धारण का दावा नहीं किया है, अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-1 के पैरा 7 के अनुसार किया गया है, जो इस प्रकार है:

गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देशों से आयात के मामले में, उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान किया गया अथवा भुगतान योग्य, आवश्यकतानुसार पूर्णतया समायोजित कीमत रहित, सामान्य मूल्य का निर्धारण तीसरे देश के बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर अथवा भारत सहित ऐसे किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं है, या किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबद्ध देश के विकास के स्तर तथा संबद्ध उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति द्वारा एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा और चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समयानुरूपी मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के उपर्युक्त चयन में अनुचित विलंब के बिना सूचित किया जाएगा और अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।

41. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में उत्पाद की कीमत तथा निर्मित मूल्य अथवा ऐसे तीसरे देश से अन्य देशों को कीमतों के आधार पर निर्धारित नहीं किया जा सकता क्योंकि संगत सूचना न तो आवेदक द्वारा अथवा किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार द्वारा उपलब्ध कराई गई है और न ही किसी सार्वजनिक स्रोत से प्राधिकारी के पास उपलब्ध है। साथ ही, भारत में संबद्ध सामानों का आयात प्रमुख रूप से संबद्ध देश से रहा है और किसी अन्य देश से बहुत कम आयात ही रहे हैं, अतः बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश से भारत में कीमत पर विचार करना व्यवहार्य नहीं होगा। इस प्रकार, सामान्य मूल्य लाभ को शामिल करने के लिए विधिवत् समायोजित, भारत में प्रदत्त अथवा देय कीमत के आधार पर ही निर्धारित किया जा सकता है जिसे बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक खर्च और उपयुक्त लाभ जोड़ने के बाद भारत में उत्पादन लागत पर विचार करते हुए निर्धारित किया गया है। इस प्रकार, प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के अनुसार और निर्धारित पीसीएन के आधार पर भारत में प्रदत्त प्रमुख कच्ची सामग्री की कीमतों और अन्य लागतों पर विचार करते हुए अनुकूलित उत्पादन लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्मित किया है। इसके अतिरिक्त, सामान्य मूल्य के निर्धारण के प्रयोजन के लिए उत्पादन लागत में उपयुक्त लाभ जोड़ा गया है। सामान्य मूल्य चीन जन.गण. के सभी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्धारित किया गया है और पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित किया गया है।

**सहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए निर्यात कीमत का निर्धारण****i. निर्यात कीमत****क) ईजी ओपन एलआईडी इंडस्ट्री कोर्प यिव्यू**

42. ईजी ओपन एलआईडी इंडस्ट्री कोर्प यिव्यू, जो संबद्ध सामानों का उत्पादक एवं निर्यातक है, के निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर से यह नोट किया जाता है जांच की अवधि के दौरान कंपनी के अपनी असंबद्ध कंपनी अर्थात् मै. विकट्री फूड स्पेशलिटीज एफजेडई के माध्यम से \*\*\* अम.डालर मूल्य के सीधे ही और अप्रत्यक्ष रूप से भारत को \*\*\* लाख पीस का निर्यात किया है और एंड मै. लैमी इंटरनेशनल लिमिटेड ने \*\*\* अम.डालर मूल्य के भारत को \*\*\* लाख पीस का निर्यात किया। यह पाया जाता है कि उत्पादक/निर्यातक की असंबद्ध कंपनियों ने निर्धारित समय सीमा के भीतर प्राधिकारी के समक्ष प्रश्नावली के कोई उत्तर दायर नहीं किए। प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन के दौरान आंकड़ों और अन्य समर्थक दस्तावेजों का सत्यापन किया है। यह नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान असंबद्ध कंपनियों के माध्यम से निर्यात भारत को निर्यातित संबद्ध सामानों का \*\*\*% था, जिसका उत्तर संबद्ध देश के निर्यातक/उत्पादक द्वारा दायर नहीं किया गया है।
43. प्राधिकारी द्वारा यह भी नोट किया जाता है कि ऐसे असहयोगी निर्यातकों के माध्यम से भारत को किए गए निर्यात भारत को कुल निर्यातों के संदर्भ में काफी महत्वपूर्ण हैं। चूंकि इन अन्य निर्यातकों द्वारा उत्तर दायर नहीं किया गया है अतः मूल्य श्रृंखला पूर्ण नहीं है। तदनुसार, प्राधिकारी निर्यातक/उत्पादक के उत्तर को स्वीकार नहीं करते और सर्वोत्तम उपलब्ध सूचना के आधार पर कंपनी के लिए निर्यात कीमत निर्धारित करते हैं तथा यह निम्नलिखित पाटन मार्जिन तालिका में दर्शाई गई है।

**चीन जन.गण. में सभी असहयोगी उत्पादकों और निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण**

44. चीन.जन. गण के अन्य असहयोगी निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत असहयोगी निर्यातकों के लिए जांच किए गए आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए उपलब्ध तथ्यों के अनुसार निर्धारित की गई है और वह पाटन मार्जिन तालिका में उल्लिखित है।

**पाटन मार्जिन**

45. संबद्ध सामानों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत को ध्यान में रखते हुए संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के लिए पाटन मार्जिन निम्नलिखित रूप में निर्धारित किया गया है:

**पाटन मार्जिन तालिका**

क्र.सं.	देश	उत्पादक	व्यास/पीसीएन	सामान्य मूल्य यूएसडॉलर/प्रति लाख पीस	निवल निर्यात कीमत यूएसडॉलर/प्रति लाख पीस	पाटन मार्जिन यूएसडॉलर/प्रति लाख पीस	पाटन मार्जिन %	पाटन मार्जिन (रेंज %)
1	चीन जन.गण.	कोई	300	***	***	***	***	15-25
			401	***	***	***	***	25-35
			भारित औसत	***	***	***	***	20-30

**ज. क्षति का मूल्यांकन और कारणात्मक संपर्क****ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

46. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. आवेदक ने यह बताने का प्रयास किया है कि मानों उनकी समस्याएं चीन से तथाकथित पाटन के कारण है। यह मामले के तथ्यों से उत्पन्न नहीं होता। यदि कोई क्षति है तो वह स्पष्ट रूप से अन्य कारकों के कारण से है।

- ii. एनपीयूसी उत्पादन में काफी गिरावट आई है और निर्यात बिक्री शून्य तक कम हुई है। यह स्पष्ट है कि विचाराधीन उत्पाद की निर्यात बिक्री और एनपीयूसी के उत्पादन में गिरावट से अन्य क्षति कारक प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए हैं और इससे विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में गिरावट आई है, क्षमता उपयोग में परिणामस्वरूप गिरावट आई, उत्पादन लागत में वृद्धि हुई क्योंकि उत्पादन में गिरावट से सीधे ही निर्धारित उत्पादन लागत प्रति यूनिट यथा मूल्यहास, व्याज लागत, आदि में वृद्धि होती है।
- iii. कच्ची सामग्री की उच्च लागत तथाकथित क्षति का प्रमुख कारण है। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश में टिनप्लेट/टिन-मुक्त स्टील जैसे उद्योग के प्रमुख इनपुट पर अनिवार्य बीआईएस प्रमाणन लगाया। ईओई उद्योग के लिए इस प्रमुख कच्ची सामग्री के आयात के सामने यह अस्थायी बाधा आ रही है।
- iv. आवेदक स्क्रोल शीट की बजाए आयताकार शीट का प्रयोग कर रहा है, इसके परिणामस्वरूप चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रयुक्त की जा रही स्क्रोल शीट के प्रयोग की तुलना में 10% तक टिन प्लेट की खपत में वृद्धि होती है।
- v. आवेदक के पास पूर्णतः स्वचालित उच्च गति की उत्पादन लाइनें नहीं हैं, जिसके परिणामस्वरूप चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रयुक्त एकीकृत उच्च गति लाइनों की तुलना में कम उत्पादकता और अधिक लागत होती है।
- vi. आवेदक बैच एनील्ड (बीए) टिनप्लेट का प्रयोग कर रहा है जबकि चीन जन.गण. के उत्पादक/निर्यातक सतत एनील्ड (सीए) टिनप्लेट का प्रयोग कर रहे हैं। उत्पादन गुणवत्ता में सततता बीए प्रौद्योगिकी में चिंता है।
- vii. उत्तरदाताओं की बाजार आसूचना के अनुसार आवेदक पुरानी कम गति वाली पुरानी मशीनों का प्रयोग कर रहा है, जिसके परिणामस्वरूप कम उत्पादकता होती है और अधिक लागत आती है। यह आवेदक को हुई क्षति, यदि कोई है, का कारण है।
- viii. आवेदक के पास आंतरिक बेतरतीब और मुद्रण सुविधाएं नहीं हैं, जो उनकी उत्पादन लागत बढ़ाते हैं और उनकी प्रतिस्पर्धात्मकता को कम करते हैं। आवेदक टाटा के जमशेदपुर संयंत्र से अपने उत्पाद को बेतरतीब और मुद्रित करवाते हैं जबकि आवेदक का कारखाना नोएडा में स्थित है।
- ix. चीन जन.गण. से आयात मांग के अनुसार चले हैं और वे आयात मांग को पूरा करने के लिए रहे हैं।
- x. यह नोट किया जा सकता है कि बिक्री कीमत में वृद्धि लागत में वृद्धि से अधिक रही है। इससे लाभ हो सकता है। इस प्रकार, जांच की अवधि के दौरान कोई कीमत प्रभाव नहीं है।
- xi. विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन उत्पाद दोनों की मदों के उत्पादन में भारी गिरावट है। गैर-विचाराधीन उत्पाद के उत्पादन में गिरावट के लिए कोई कारण नहीं दिया गया है।
- xii. यह समझ में नहीं आता कि आवेदक की बिक्री में गिरावट क्यों आई जबकि संबद्ध सामानों के लिए मांग में वृद्धि रही है। क्षति का कारण कोई अन्य कारण हो सकते हैं। आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि के दौरान मालसूची में गिरावट आई।
- xiii. आवेदक को इसकी शुरुआत से हानियां हुई हैं। उत्पादन शुरू होने से पूर्व किसी भी हानि को अलग किया जाना चाहिए। आवेदक उसी संयंत्र में विचाराधीन उत्पाद और गैर-विचाराधीन उत्पाद का उत्पाद कर रहा है। प्राधिकारी इस बात की जांच करें कि क्या गैर-विचाराधीन उत्पाद की लागत हानियों का कारण है।

- xiv. निवल अचल परिसंपत्ति आंकड़ों, औसत नियोजित पूंजी, मूल्यहास और संस्थापित क्षमता के बीच कोई सह-संबंध नहीं है, जिसकी जांच किए जाने की आवश्यकता है। आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट और आर्थिक मानदंडों के बीच कोई सह-संबंध नहीं है।
- xv. आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पादों का प्रयोग महत्वपूर्ण क्षेत्र के लिए नहीं किया जा सकता। अतः, 80% से अधिक आयात नाजुक उद्योग में है। आवेदक की ब्याज की लागत में वृद्धि हुई है जिस पर घरेलू उद्योग से स्पष्टीकरण की आवश्यकता है।
- xvi. घरेलू उद्योग भारत में टिन प्लेट के केवल आपूर्तिकर्ता (दि टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया –टीसीआईएल) पर विश्वास कर रहा है और घरेलू उद्योग का मुद्दा यह है कि टिन प्लेट आपूर्तिकर्ता ने पूर्व में सब्सिडी प्रदान की इससे घरेलू उद्योग ईओई की बिक्री कर सकते हैं और उपर्युक्त कंपनी ने अब सब्सिडी बंद कर दी है तथा दरें बढ़ा दी हैं और साथ ही, इन्हीं कंपनियों ने नहीं बढ़ाई हैं, जो क्षति का कारण हो सकती हैं।
- xvii. ऐसा प्रतीत होता है कि निवल अचल परिसंपत्ति में वृद्धि अब सामान्य रूप से उच्च गैर-क्षतिकारक कीमत (एनआईपी) और निर्मित सामान्य मूल्य (सीएनवी) का दावा करने के लिए गलत ढंग से सूचित की गई है इससे से सीधे ही पाटन तथा क्षति मार्जिन का सतर प्रभावित होता है।
- xviii. प्राधिकारी कृपया विद्यमान दर और ब्याज दर ढांचे को ध्यान में रखते हुए 22% आरओसीई लागू करने की की परिपाटी में संशोधन करें।

## ज.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

47. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- i. घरेलू उद्योग को नियमावली में परिकल्पितानुसार वास्तविक क्षति और बहुत अधिक स्वरूप की मात्रा और कीमत क्षति प्रदर्शित है।
- ii. संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयात आधार वर्ष में जांच की अवधि तक भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में तथा पूर्ण मात्रा में और साथ ही तत्काल पूर्व वर्ष की तुलना में वृद्धि हुई है।
- iii. आयातों के बाजार हिस्से में क्षति की अवधि में और जांच की अवधि में वृद्धि हुई जबकि घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में पूर्व वर्ष तथा आधार वर्ष की तुलना में जांच की अवधि में गिरावट आई। घरेलू उद्योग का बाजार हिस्सा जांच की अवधि के दौरान न्यूनतम स्तर पर था और पाटित आयातों का बाजार हिस्सा जांच की अवधि के दौरान उच्चतम स्तर पर रहा है।
- iv. घरेलू उद्योग की क्षमता वही रही है, यहां तक कि यद्यपि बाद के लिए मांग अत्यधिक बढ़ी हुई रही है। घरेलू उद्योग काफी अपर्युक्त क्षमताओं पर रह गया था क्योंकि प्रमुख बाजार हिस्सा पाटित आयातों ने ले लिया था।
- v. घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री में तत्काल पूर्व वर्ष और आधार वर्ष में भी जांच की अवधि के दौरान गिरावट आई। यहां तक कि मालसूची स्तर जांच की अवधि के दौरान काफी रहा। यह तब है जब देश में उत्पाद के लिए मांग में वृद्धि रही है और देश में क्षमता उस उत्पाद के लिए समग्र मांग से कम रही है।
- vi. पहुंच कीमत काफी सकारात्मक कीमत कटौती स्तरों पर रही है और काफी कीमत न्यूनीकरण प्रभाव ही बने हैं। घरेलू उद्योग को उचित स्तरों तक कीमतें बढ़ाने से रोका गया था ताकि पूरी लागत वसूल सकें और उपयुक्त लाभ अर्जित कर सकें।
- vii. घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक आरओआई सहित नकारात्मक पीबीटी, नकारात्मक पीबीआईटी, नकारात्मक पीबीडीआईटी और सतत हानियों में दर्शाए गए अनुसार वित्तीय हानियां हुई। वस्तुतः निवेश पर आय, जो आधार वर्ष और तत्काल पूर्व वर्ष के बीच सुधरती हुई प्रवृत्ति



- पर रही है, एक बार फिर जांच की अवधि में काफी नकारात्मक हो गई जो घरेलू उद्योग पर पाटन की बहुत अधिक मात्रा और उसके प्रभावों को दर्शाती है।
- viii. घरेलू उद्योग में रोजगार का स्तर प्रभावित हुआ क्योंकि घरेलू उद्योग को उत्पादन में आई गिरावट से कर्मचारियों को कम करने के लिए मजबूर किया गया था। यदि स्थिति में सुधार नहीं होता तो घरेलू उद्योग को और अधिक कर्मचारी कम करने पड़ेंगे।
- ix. जांच की अवधि के दौरान अधिकतर क्षति मानदंडों में वृद्धि को नकारात्मक नोट किया जा सकता है। वस्तुतः जो वृद्धि पूर्व वर्ष तक कई मानदंडों तक सकारात्मक थी वह चीन जन.गण. से संबद्ध सामानों के पाटन के प्रभाव के बाद जांच की अवधि में एक बार फिर बहुत नकारात्मक हो गई। पूंजी निवेश बढ़ाने की घरेलू उद्योग की क्षमता काफी प्रभावित हुई है और पहले से ही किए गए निवेशों को गंभीर रूप से हानि होती रही है। इस प्रकार, कीमत पर मात्रात्मक मानदंड दोनों यह दर्शाते हैं कि पाटनरोधी नियमावली के परिकल्पितानुसार घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।
- x. याचिका में यह भी दर्शाया गया है कि घरेलू उद्योग को क्षति किसी अन्य कारक के कारण नहीं हुई है तथा पाटित आयातों और आवेदक को हुई क्षति के बीच सीधा कारणात्मक संबंध है।
- xi. इस तर्क के संबंध में कि पूर्णतः प्रचालित उच्च गति वाली उत्पादन लाइनों का अभाव, जिसके परिणामस्वरूप चीन जन.गण. के उत्पादकों/निर्यातकों द्वारा प्रयुक्त एकीकृत उच्च गति लाइनों की तुलना में कम उत्पादकता होती है, आवेदक का उत्पादन अर्ध-स्वचालित है और घरेलू उद्योग की उत्पादकता पूर्ण स्वचालन के अभाव के कारण प्रभावित नहीं थी।
- xii. इस तर्क के संबंध में कि बेकार प्रौद्योगिकी (बीए –बैच एनीलिंग प्रोसेसिंग), का प्रयोग, जिसमें उत्पादन/गुणवत्ता में सततता एक संबंध है, यह नोट किया जाए कि इस तर्क का कोई अर्थ नहीं है। बीए और सीए प्रौद्योगिकियां इन प्लेटों के उत्पादन के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकियां हैं न कि ईओई के लिए। बीए प्रौद्योगिकी द्वारा टिन प्लेट खाद्य सामग्री सहित पैकेजिंग प्रयोजनों के लिए भारत में व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाती है और आवेदक द्वारा खरीदी गई टिन प्लेटें स्पष्ट रूप से टिन प्लेटों का उत्पादन करने के लिए निर्धारित मानदंडों को पूरा करती हैं। घरेलू उद्योग का उत्पाद टिनप्लेट प्रौद्योगिकी के कारण कभी रद्द नहीं किया गया था।
- xiii. इस तर्क के संबंध में कि पुरानी कम गति वाली पुरानी मशीनों के प्रयोग से, जिससे कम उत्पादन होता है, आवेदक ने सभी नई मशीनों के साथ 2016 में उत्पादन आरंभ किए और 2018 में कंपनी द्वारा खरीदी गई केवल कन्वर्जन प्रैस ब्रांड-न्यू नहीं थी जो प्रमुख रूप से कंपनी की विद्यमान प्रचालनात्मक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए थी। ब्रांड-न्यू न होने वाली मशीन का अर्थ यह नहीं है कि मशीन उत्पादन के लिए अनफिट थी अथवा घटिया निष्पादन वाली थी, जैसा कि विरोधी पक्षकारों द्वारा बताया जा रहा है। उपर्युक्त मशीन इसलिए खरीदी गई थी क्योंकि उसकी प्रौद्योगिकी उत्पादन लाइन को बहुत अच्छी तरह से पूरा करती थी और मशीन की स्थितियों का परीक्षण करने के बाद उस समय नई मशीन लेना विवेकपूर्ण नहीं था। यह मशीन संयंत्र में सुदृढ़ निष्पादन कर रही थी।
- xiv. इस तर्क के संबंध में कि कोई आंतरिक बेतरतीब और मुद्रण सुविधाएं नहीं थी जो उत्पादन लागत बढ़ाती हैं, यह नोट किया जाए कि आवेदक की उत्पादन के आरंभिक वर्षों के भीतर अपने उत्पादन लाइन के बेतरतीब और मुद्रण लाइन एकीकृत करने की योजना थी। परंतु चीन जन.गण. से निर्यातकों द्वारा किए जा रहे आक्रामक पाटन के कारण आगे निवेश में देरी की गई थी ताकि कमी वाले और मुद्रित स्थिति में टिनप्लेट उपलब्ध है तथा इन प्रक्रियाओं का एकीकरण तब होगा जब बाजार में प्रतिस्पर्धा की स्थितियां क्षति कारक पाटन बंद करके अनुकूल हो जाएं।
- xv. इस तर्क के संबंध में कि टिन प्लेट के एकमात्र आपूर्तिकर्ता, जो बीए प्रौद्योगिकी का प्रयोग कर रहा है, जो आवेदक उद्योग की सौदेबाजी ताकत को कम करता है और परिणामस्वरूप उत्पादन लागत बढ़ाता है,

यह नोट किया जाए कि भारत में टिन प्लेट के एक से अधिक उत्पादक हैं और भारत में टिन प्लेट प्रतिस्पर्धी दरों पर उपलब्ध हैं।

- xvi. इस तर्क के संबंध में आवेदक के पास उत्पादन लाभ नहीं है क्योंकि वे स्क्रोल कट शीटों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, यह नोट किया जाए कि पूरी क्षति अवधि के लिए कच्ची सामग्री को खपतकारक किया गया है और यह नोट किया जा सकता है कि कच्ची सामग्री के प्रयोग में कोई विसंगति आवेदक को क्षति का कारण नहीं रही है। जांच की अवधि और पूर्व वर्षों के दौरान कच्ची सामग्री के प्रयोग का कारक यह दर्शाएगा कि इस तर्क का कोई अर्थ नहीं है।
- xvii. इस तर्क के संबंध में कि गैर-विचाराधीन उत्पाद के क्षमता उपयोग में भी गिरावट आई है और इसके लिए कोई कारण घरेलू उद्योग द्वारा नहीं दिया गया है, प्राधिकारी नोट करें कि विचाराधीन उत्पाद की क्षमता और क्षमता उपयोग संबंधी सूचना अलग से दी गई है और विचाराधीन उत्पाद की प्रवृत्ति क्षति जांच में संगत है क्योंकि अकेले समान वस्तु से संबंधित क्षति पाटनरोधी नियमावली के अनुसार संगत है।
- xviii. इस तर्क के संबंध में कि बिक्री में गिरावट उस समय क्यों हुई है जब मांग में वृद्धि रही है और बिक्री में गिरावट अन्य कारणों से हो सकती है, प्राधिकारी नोट करें कि यह स्पष्ट रूप से घरेलू उद्योग का मामला है कि घरेलू उद्योग ने बाजार हिस्सा खोया, पाटित आयातों द्वारा बेकार/अनुपयुक्त क्षमता पर बैठने के लिए रखा गया था तथा उस समय उसे मात्रात्मक और कीमत क्षति का सामना करना पड़ा जब देश में इस उत्पाद के लिए मांग में काफी वृद्धि रही है तथा यह प्रतिकूल स्थिति अटूट तरीके से देश में हो रहे पाटित आयातों के कारण भी रही है।
- xix. कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट से ली गई आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट के आधार पर क्षति संबंधी तर्क के संबंध में प्राधिकारी नोट करें कि आवेदन पत्र और वार्षिक रिपोर्ट में प्रस्तुत आंकड़े अन्य उत्पादों के कारण समान नहीं हैं।
- xx. इस तर्क के संबंध में आवेदक की ब्याज लागत बढ़ी है जिसे घरेलू उद्योग से स्पष्ट किए जाने की आवश्यकता है, पूर्ण दृष्टि से ब्याज लागत जांच की अवधि में काफी कम हुई है (प्रपत्र IV में दर्शाए गए अनुसार लगभग \*\*\*% गिरावट) और प्रति यूनिट उत्पादन पर ब्याज लागत में देखी गई वृद्धि जांच की अवधि के दौरान उत्पादन में भारी गिरावट के कारण है जो पाटित आयातों में वृद्धि के कारण थी।
- xxi. इस तर्क के संबंध में कि औसत नियोजित पूंजी बढ़ी जब क्षमता में कोई वृद्धि नहीं थी और आंकड़ों में कुछ त्रुटि दिखाई देती है, प्राधिकारी नोट करें कि नियोजित पूंजी अकेले क्षमता वृद्धि से नहीं जुड़ी है, जैसा कि तर्क दिया गया है और विद्यमान क्षमता के लिए भी संयंत्र और मशीनरी आदि में निवेशों की आवश्यकता है तथा ऐसी स्थिति में नियोजित पूंजी किसी क्षमता वृद्धि के अभाव में भी अलग अलग हो सकती है क्योंकि नियोजित पूंजी निवल अचल परिसंपत्ति और कार्यशील पूंजी की राशि होती है।
- xxii. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादों का प्रयोग गैर-महत्वपूर्ण प्रयोगों के लिए ही किया जा सकता है और लोग महत्वपूर्ण प्रयोजनों के लिए ही चीन जन.गण. से आयात करते हैं, घरेलू उद्योग द्वारा आसान खुले सिरों की आपूर्ति विशेष रूप से 'रिटोर्ट टाइप' अनुप्रयोग के लिए की जाती हैं जहां भारी हुई केन हमारे ग्राहकों द्वारा उल्लिखितानुसार 121 डिग्री के तापमान पर 45-90 मिनट के लिए रिटोर्ट स्थितियों में रखा जाता है। घरेलू उद्योग के उत्पाद फल, सब्जी, मीट आदि जैसे किसी महत्वपूर्ण उत्पाद को रिटोर्ट के लिए उपयुक्त हैं। वस्तुतः रिटोर्ट परीक्षण यह मूल्यांकन करने के लिए उपयुक्त पद्धति है कि क्या उत्पाद नाजुक उपयोग के लिए उपयुक्त है अथवा नहीं और हमारे ईओई इस परीक्षण को सतत रूप से पास करते हैं तथा पूरी तरह से पास होते हैं।
- xxiii. इस तर्क के संबंध में कि घरेलू उद्योग केवल एक आपूर्तिकर्ता पर विश्वास कर रहा है और उपर्युक्त आपूर्तिकर्ता ने अब सब्सिडी बंद कर दी है जबकि चीनी लागत बढ़ी नहीं है, ईओई के चीनी उत्पादक स्वीकार्य रूप से गैर-बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियों में प्रचालन करते हैं और यह कथन कि उनकी

लागत नहीं बढ़ी है, समझने वाली बात नहीं है। साथ ही, भारत की टिन प्लेट कंपनी टिन प्लेटों की एकमात्र आपूर्तिकर्ता थी जब घरेलू उद्योग ने उत्पादन शुरू किया था, यद्यपि अब और अधिक उत्पादक हैं और घरेलू उद्योग ने टिन प्लेट की बाजार कीमत के आधार पर दि टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया से टिन प्लेट खरीदी तथा घरेलू उद्योग ने उस समय कभी भी कोई सब्सिडी नहीं ली। असली मुद्दा यह है कि निर्यातक इतनी कम कीमतों पर ईओई की बिक्री कैसे करते हैं। साथ ही, टीसीआईएल द्वारा घरेलू उद्योग को पेश की गई टिन प्लेट की कीमत एचआरसी और अन्य प्रमुख कच्ची सामग्री के अनुरूप चली और यह नहीं कहा जा सकता कि घरेलू उद्योग को क्षति टीसीआईएल द्वारा कच्ची सामग्री की किसी अनैतिक कीमत के कारण हुई है।

### ज.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

48. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और विरोधी पक्षकारों के विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकॉर्ड में उपलब्ध तथ्यों और लागू कानूनों पर विचार करके उनका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा नीचे किए गए क्षति विश्लेषण से हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों का यथा-तथ्यपः समाधान हो जाता है।
49. अनुबंध-II के साथ पठित नियमावली के नियम 11 में यह प्रावधान है कि क्षति के निर्धारण में “.....पाटित आयातों की मात्रा, समान वस्तुओं के लिए घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर इस प्रकार के आयातों का परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत तथ्यों पर विचार करते हुए ...” घरेलू उद्योग को क्षति दर्शाने वाले कारकों की जांच शामिल होगी। कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, इस बात की जांच करना आवश्यक माना गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों द्वारा कीमत में बहुत अधिक कटौती हुई है अथवा यह कि क्या इस प्रकार के आयातों के प्रभाव से अन्यथा कीमतों का बहुत अधिक मात्रा में ह्रास हुआ है अथवा कीमत में वृद्धि रूक जाती जो अन्यथा बहुत अधिक मात्रा में हुई होती। भारत में घरेलू उद्योगों पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, इन सूचकांकों जिनका उद्योग की स्थिति पर प्रभाव पड़ता हो जैसे उत्पादन, क्षमता का उपयोग, बिक्री की मात्रा, मालसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री प्राप्ति, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि पर विचार पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II के अनुसार किया गया है।
50. क्षति और कारणात्मक संपर्क संबंधी विभिन्न तर्कों के संबंध में, विरोधी पक्षकारों का महत्वपूर्ण अनुरोध यह है कि आवेदक द्वारा दावा की गई क्षति अन्य कारणों से है और यह तर्क नहीं है कि घरेलू उद्योग को पाटनरोधी नियमावली में परिकल्पनानुसार कतई क्षति नहीं हुई। यह तर्क दिया जाता है कि उत्पाद के गुणवत्ता संबंधी मुद्दे संबद्ध सामानों का उत्पादन करने के लिए कच्ची सामग्री का उत्पादन करने हेतु मुख्य रूप से प्रौद्योगिकी में अंतर के कारण है अर्थात् घरेलू उद्योग को क्षति का मुख्य कारण टिन प्लेट रही है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि न तो उस प्रौद्योगिकी में अंतर और न ही गुणवत्ता में तथाकथित अंतरों को या तो पाटन मार्जिन अथवा क्षति विश्लेषण के प्रयोजनों के लिए किसी उत्पाद को हटाए जाने हेतु आधार माना जा सकता है। यह भी नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग भारी संख्या में ग्राहकों को संबद्ध सामानों की आपूर्ति कर रहा है और बाजार द्वारा उनकी गुणवत्ता को स्वीकार किया गया है, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा की गई बिक्री से सिद्ध है। किसी भी दशा में किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने अपने इस दावे को सिद्ध करने के लिए कोई साक्ष्य नहीं दिया है कि विद्यमान प्रौद्योगिकी से घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित सामान गुणवत्ता और अन्य तकनीकी मुद्दों के कारण उनके द्वारा प्रयुक्त नहीं किए जा सकते। अतः, प्राधिकारी मानते हैं कि विचाराधीन उत्पाद के लिए कच्ची सामग्री का उत्पादन करने की प्रौद्योगिकियों में अंतर तब तक क्षति संबंधी किसी निष्कर्ष का आधार नहीं बन सकते जब तक उत्पाद तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं।
51. यह भी तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग को क्षति अन्य कारणों से है, यथा – घरेलू उद्योग का संयंत्र पूर्णतः स्वचालित नहीं है, घरेलू उद्योग पुरानी मशीन का प्रयोग कर रहा है, घरेलू उद्योग के पास आंतरिक बेतरतीब और मुद्रण सुविधाएं नहीं हैं, घरेलू उद्योग आयातित कच्ची सामग्री और उपभोक्ता वस्तुओं का प्रयोग कर रहा है। घरेलू उद्योग के पास उत्पादन लाभ नहीं है क्योंकि वे स्क्रोल शीटों का प्रयोग नहीं कर रहे हैं और घरेलू उद्योग भारत में

टिन प्लेट के केवल एक आपूर्तिकर्ता पर विश्वास करता है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग को क्षति का प्रश्न आदर्श स्थितियों को लेकर निर्धारित नहीं किया जा सकता बल्कि उपयुक्त समायोजन देकर विद्यमान स्थितियों पर निर्धारित किया जाना होता है। प्राधिकारी ने अपने वित्तीय आंकड़ों सहित घरेलू उद्योग के दावों को नियमावली के अनुसार कठोर जांच के अधीन रखा है और केवल कच्ची सामग्री, यूटिलिटीयों आदि के सर्वाधिक दक्ष प्रयोग पर ही क्षति का निर्धारण करते समय स्वीकार किया गया है।

52. इस तर्क के संबंध में कि कच्ची सामग्री की उच्च लागत तथाकथित क्षति का प्रमुख कारण है, प्राधिकारी ने निम्नलिखित बातें नोट की हैं। संबद्ध सामानों के उत्पादन में प्रमुख कच्ची सामग्री टिनप्लेट है और घरेलू उद्योग ने घरेलू आपूर्तिकर्ता से ही कोटेड/बेतरतीब और मुद्रित स्थिति में टिनप्लेट खरीदी। यह भी जांच की जाती है कि क्या टिनप्लेट की लागत में वृद्धि के कारण तथाकथित क्षति है, जैसा कि नीचे दी गई सूचना के आधार पर तर्क दिया गया है;

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
प्रमुख कच्ची सामग्री लागत कोटेड और प्रिंटेड टिनप्लेट	लाख रु.	***	***	***	***
उत्पादन	पीस	***	***	***	***
प्रमुख कच्ची सामग्री लागत कोटेड और प्रिंटेड टिनप्लेट	रु./पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	102	136	146
बिक्री लागत	रु./पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	82	103	136
कुल लागत में टिनप्लेट लागत का हिस्सा	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	123	130	106
पीबीटी (कर पूर्व लाभ)	रु./पीस	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(16)	(22)	(124)
पहुंच कीमत (एलवी)	रु./पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	107	120	135

53. उपर्युक्त बिक्री कीमत तालिका यह दर्शाती है कि जहां तक कि जब टिनप्लेट का हिस्सा, जो प्रमुख कच्ची सामग्री है, घरेलू उद्योग की कुल लागत में 33 सूचकांकों तक जांच की अवधि और तत्काल पूर्व वर्ष के बीच कम हुआ तो घरेलू उद्योग के लाभ में लगभग 124 अंक तक गिरावट आई। इस संबंध में यह भी नोट किया जाता है कि जांच की अवधि के दौरान आयातों की पहुंच कीमत बिक्री लागत और घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम रही है। इस प्रकार, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग के लाभ में गिरावट अकेले कच्ची सामग्री लागत में किसी वृद्धि से नहीं जोड़ी जा सकती, जैसा कि तर्क दिया गया है।

54. विरोधी पक्षकारों के इस तर्क के संबंध में कि क्षति का कारण गैर-विचाराधीन मदों के उत्पादन में गिरावट हो सकती है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि इस विवरण में हल की जा रही क्षति का संबंध केवल विचाराधीन उत्पाद से है।

55. इस अनुरोध के संबंध में प्राधिकारी को विद्यमान कर और व्याज दर ढांचे को ध्यान में रखते हुए 22% आरओसीई लागू करने की परिपाटी में संशोधन करना चाहिए, यह नोट किया जाता है कि एनआईपी निर्धारण के प्रयोजन के लिए अनुमत 22% आरओसीई विभाग में सतत परिपाटियों के अनुसार है और यह परिपाटी वर्तमान मामले में भी उचित मानी जाती है।

**i. घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव**

**क. मांग/स्पष्ट खपत का आकलन**

56. भारतीय उत्पादक घरेलू बिक्री की मात्रा के रूप में भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत के संबंध में चूंकि केवल एक उत्पादक है और सभी स्रोतों से आयात हैं, अतः इस प्रकार आंकी गई मांग क्षति अवधि के दौरान बढ़ी है।

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
चीन जन.गण. (संबद्ध देश) से आयात	लाख पीस	1,108	1,146	1,169	1,846
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	106	167
अन्य देशों से कुल आयात	लाख पीस	8	401	32	16
देश में कुल आयात	लाख पीस	1,115	1,547	1,201	1,862
याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्री	लाख पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	202	205	96
कुल मांग	लाख पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	146	118	159

57. जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है जांच की अवधि के दौरान भारत में संबद्ध सामानों की मांग आधार वर्ष में और तत्काल पूर्व वर्ष में भी बढ़ी है। वस्तुतः, मांग जांच की अवधि और आधार वर्ष के बीच 59% की वृद्धि से और जांच की अवधि तथा तत्काल पूर्व वर्ष के बीच 41% की वृद्धि से जांच की अवधि के दौरान उच्चतर स्तर पर रही है।

**ख. संबद्ध देश से आयात मात्रा**

58. पाटित आयातों की मात्रा के संबंध में प्राधिकारी को इस पर विचार करने की आवश्यकता होती है कि क्या पाटित आयातों में पूर्ण दृष्टि से अथवा भारत में उत्पादन या खपत के सापेक्ष काफी वृद्धि हुई है।

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
चीन जन.गण. (संबद्ध देश) से आयात	लाख पीस	1,108	1,146	1,169	1,846
कुल आयातों में संबद्ध देश का हिस्सा	%	99.31	74.09	97.36	99.14
कुल आयातों में अन्य देशों का हिस्सा	%	0.69	25.91	2.64	0.86
	कुल	100	100	100	100

59. यह देखा जाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों में आधार वर्ष में 1108 लाख पीस से बढ़कर जांच की अवधि में 1846 लाख पीस होकर वृद्धि हुई है जो पूर्ण दृष्टि से आयातों में वृद्धि दर्शाता है। प्रतिशत की दृष्टि से

भारत को समग्र आयातों में संबद्ध देश से आयातों का हिस्सा, जो आधार वर्ष में 99.31% था, जांच की अवधि में थोड़ा सा कम होकर 99.14% हो गया जबकि अन्य देशों से आयातों का हिस्सा आधार वर्ष में 0.69% से बढ़कर जांच की अवधि तक 0.86% हो गया। ध्यान देने योग्य यह है कि भारत के समग्र आयातों में प्रमुख हिस्सा पूरी क्षति अवधि में संबद्ध देश से आयातों ने ले रखा है।

**ग. सापेक्ष संदर्भ में संबद्ध देश से आयात**

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
संबद्ध देश से कुल आयात	लाख पीस	1,108	1,146	1,169	1,846
कुल मांग	लाख पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	146	118	159
घरेलू उद्योग (डीआई) की बिक्री	लाख पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	209	226	92
भारतीय खपत के संबंध में संबद्ध देश से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	71	89	105
घरेलू उद्योग के उत्पादन के संबंध में संबद्ध देश से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	50	47	181

60. यह नोट किया जाता है कि भारत में उत्पादन और खपत के संदर्भ में पाटित आयातों का हिस्सा जांच की अवधि और आधार वर्ष के बीच बढ़ा है और साथ ही जांच की अवधि और तत्काल पूर्व वर्ष के बीच भी बढ़ा है।

**ii. घरेलू उद्योग पर आयातों का कीमत प्रभाव**

61. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में यह विश्लेषण किए जाने की आवश्यकता होती है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में तथाकथित पाटित आयातों से काफी कीमत कटौती हुई है अथवा क्या इन आयातों का प्रभाव कीमतों को कम करने अथवा कीमत वृद्धि रोकने के लिए है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती। संबद्ध देश से पाटित आयातों के कारण घरेलू उद्योग की कीमतों पर प्रभाव की जांच कीमत कटौती और कम कीमत पर बिक्री, कीमत न्यूनीकरण और कीमत ह्रास, यदि कोई है, के संदर्भ में की गई है। इस विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की उत्पादन लागत, निवल बिक्री वसूली (एनएसआर) और गैर-क्षतिकारक कीमत (एनआईपी) की तुलना संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयातों की पहुंच कीमत से की गई है।

**क) कीमत कटौती**

62. कीमत कटौती विश्लेषण के प्रयोजन के लिए घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की तुलना संबद्ध देश से आयातों के पहुंच मूल्य के साथ की गई है। घरेलू उद्योग की निवल बिक्री कीमत की गणना करते समय सभी करों, छूटों, रियायतों और कमीशन को घटाया गया है और कार्यगत स्तर पर बिक्री वसूली पाटित आयातों के पहुंच मूल्य के साथ तुलना के लिए निर्धारित की गई है। तदनुसार, संबद्ध देश से पाटित आयातों के कीमत कटौती प्रभाव निम्नलिखित बनते हैं:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
निवल बिक्री वसूली	रु./पीस	***	***	***	***
पहुंच कीमत (एलवी)	रु./पीस	***	***	***	***
कीमत कटौती	रु./पीस	***	***	***	***
कीमत कटौती	एनएसआर का %	***	***	***	***
कीमत कटौती	रेंज	10-20	10-20	20-30	15-25

63. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से आयात घरेलू उद्योग की निवल बिक्री वसूली से कम कीमत पर भारतीय बाजार में आ रहे हैं जिससे सकारात्मक कीमत कटौती हो रही है। यह भी नोट किया जाता है कि यद्यपि आयातों की पहुंच कीमत कुछ वर्षों में बढ़ी है, तथापि पाटित आयातों की पहुंच कीमत और घरेलू उद्योग के एनएसआर के बीच अंतराल काफी अधिक रहा है जिसके परिणामस्वरूप जांच की अवधि के दौरान 15-25% की रेंज में कीमत कटौती हुई है।

**ख) कीमत न्यूनीकरण/ह्रास**

64. ह निर्धारित करने के लिए क्या पाटित आयात घरेलू कीमतों का न्यूनीकरण कर रहे हैं और क्या इन आयातों का प्रभाव काफी मात्रा तक कीमतों का न्यूनीकरण करना अथवा कीमत वृद्धि रोकना है जो अन्यथा सामान्य प्रक्रिया में हुई होती, क्षति की अवधि में लागतों और कीमतों में परिवर्तनों की तुलना निम्नलिखित रूप में पाटित आयातों की पहुंच कीमत के आलोक में की गई थी:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
बिक्री लागत	रु./पीस	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	82	103	136
घरेलू बिक्री कीमत	रु./पीस	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	110	138	141
पहुंच मूल्य-संबद्ध देश	रु./पीस	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	107	120	134
प्रति यूनिट पीबीआईटी लाभ और हानि	रु./पीस	(***)	(***)	(***)	(***)
	सूचीबद्ध	(100)	(16)	(22)	(124)

65. यह यह पाया जाता है कि यद्यपि घरेलू उद्योग उत्पादन लागत और बिक्री कीमत आयातों की पहुंच कीमत में वृद्धि के साथ-साथ जांच की अवधि और आधार वर्ष के बीच वृद्धि हुई है, तथापि जांच की अवधि सहित क्षति की अवधि के दौरान संबद्ध आयातों का पहुंच मूल्य घरेलू उद्योग की बिक्री लागत और घरेलू बिक्री कीमतों से कम रहा है। अतः, यह नोट किया जाता है कि संबद्ध देश से संबद्ध सामानों के आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमतों का न्यूनीकरण कर रहे हैं क्योंकि बिक्री लागत में वृद्धि घरेलू उद्योग की कीमत में वृद्धि से अधिक है और साथ ही

आयातों के इस पहुंच मूल्य के अभाव में कीमत वृद्धि अधिक हुई होती ताकि घरेलू उद्योग लाभप्रद स्तरों पर बिक्री कर पाता।

### iii. घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंड

66. पाटनरोधी नियमावली के अनुबंध-II में यह अपेक्षित है कि क्षति के निर्धारण में उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव की वस्तुपरक जांच शामिल होगी। उन उत्पादों के घरेलू उत्पादकों पर पाटित आयातों के परिणामी प्रभाव के संबंध में पाटनरोधी नियमावली में यह भी प्रावधान है कि घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच में सभी संगत आर्थिक कारकों और तत्वों का वस्तुपरक और निष्पक्ष मूल्यांकन शामिल होना चाहिए जो बिक्री, लाभ, उत्पादन और बाजार हिस्सा, उत्पादकता, निवेश पर आय अथवा क्षमता के उपयोग, घरेलू कीमतों पर प्रभाव डालने वाले कारकों, पाटन मार्जिन की मात्रा, नकद प्रवाह पर वास्तविक और संभावित प्रभावों, मालसूची, रोजगार, मजदूरी, वृद्धि, पूंजीगत निवेश जुटाने की क्षमता सहित घरेलू उद्योग की स्थिति पर प्रभाव डालने वाले कारक शामिल हैं।
67. क्षति और कारणात्मक संपर्क संबंधी अनिवार्य तथ्यों का प्रकटन करते समय प्राधिकारी ने इस जांच में सभी हितवद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए वस्तुपरक रूप से क्षति मानदंडों की भी जांच की है ताकि उन सभी अनुरोधों को भी हल किया जा सके।

### क) उत्पादन, क्षमता, बिक्री और क्षमता उपयोग

68. उत्पादन, घरेलू बिक्री, क्षमता और क्षमता उपयोग के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन निम्नलिखित था:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
संस्थापित क्षमता	लाख पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
उत्पादन	लाख पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	209	226	92
क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	209	226	92
घरेलू बिक्री	लाख पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	202	205	96

69. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि क्षति की अवधि में क्षमता स्थिर रही, तथापि घरेलू उद्योग की उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री में आधार वर्ष अर्थात् 2019-20 और तत्काल पूर्व वर्ष अर्थात् 2021-2022 के बीच वृद्धि हुई और जांच की अवधि के दौरान इसमें काफी गिरावट आई। इस संदर्भ में यह भी देखा जाता है कि भारत में उत्पादन और मांग/खपत के संबंध में संबद्ध देश से आयातों में जांच की अवधि और तत्काल पूर्व वर्ष के बीच काफी वृद्धि हुई।
70. यह भी देखा जाता है कि जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की कम बिक्री का उत्पादन, क्षमता उपयोग आधार वर्ष के दौरान स्तरों से कम रही है और घरेलू उद्योग का क्षमता उपयोग तब भी बहुत कम रहा है जब ये दावा है कि भारत में उत्पाद के लिए मांग और आपूर्ति अंतराल है। घरेलू उद्योग द्वारा यह दावा किया गया है कि संबद्ध सामानों के लिए हमेशा बढ़ते हुए बाजार में स्वल्प क्षमता उपयोग प्रतिशतता भारत की तरह पाटित आयातों की सीधी गिरावट है और उपयोग का यह प्रतिशत घरेलू उद्योग को हो रही मात्रात्मक क्षति दर्शाता है।



**घ. मांग में बाजार हिस्सा**

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
चीन जन.गण. (संबद्ध देश) से आयात	लाख पीस	1,108	1,146	1,169	1,846
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	104	106	167
अन्य देशों से आयात	लाख पीस	8	401	32	16
देश में कुल आयात	लाख पीस	1,115	1,547	1,201	1,862
याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्री	लाख पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	202	205	96
कुल मांग	लाख पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	146	118	159
<b>भारतीय मांग में उसका हिस्सा;</b>					
चीन जन.गण.(संबद्ध देश) से आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	71	89	105
अन्य देशों से कुल आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	3,576	348	130
देश में कुल आयात	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	95	91	105
याचिकाकर्ता की घरेलू बिक्री	%	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	139	173	60
भारतीय उत्पादकों की घरेलू बिक्री	%	***	***	***	***
	सूचीबद्ध	100	139	173	60

71. प्राधिकारी नोट करते हैं कि संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा आधार वर्ष और जांच की अवधि के बीच 100 आधार सूचकांक से बढ़कर जांच की अवधि में 105 सूचकांक हो गया। तथापि, मांग में घरेलू उद्योग का हिस्सा उसी अवधि में घटकर आधार वर्ष में 100 सूचकांक से जांच की अवधि में 60 सूचकांक हो गया। वस्तुतः, जांच की अवधि और तत्काल पूर्व वर्ष के बीच घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट उच्चतम स्तरों पर रही है। जैसा कि उपर्युक्त अवधि में लगभग 113 सूचकांक की गिरावट से नोट किया जा सकता है। संबद्ध आयातों का बाजार हिस्सा इसी अवधि में 16 सूचकांक तक बढ़ा। घरेलू उद्योग ने दावा किया है कि उस समय घरेलू उद्योग के बाजार हिस्से में गिरावट रही है जब मांग में वृद्धि रही है, उसी अवधि में संबद्ध देश से भारत में संबद्ध सामानों के पाटित आयातों के हिस्से में वृद्धि के कारण गिरावट आई।

**ख) लाभप्रदता निवेश पर आय और नकद लाभ**

72. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की लाभप्रदता, निवेश पर आय और नकद लाभ निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:-

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
लाभ/हानि	रु.पीस	(***)	(***)	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(16)	(22)	(124)
ब्याज और कर पूर्व लाभ/(हानि) (पीबीआईटी)	रु.पीस	(***)	(***)	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(5)	11	(98)
नकद लाभ	लाख रु.	(***)	***	(***)	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	17	(3)	(124)
औसत नियोजित पूंजी	लाख रु.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	106	106	96
नियोजित पूंजी पर आय	%	(***)	(***)	***	(***)
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	(100)	(9)	22	(96)

73. उपर्युक्त तालिका से यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के प्रमुख लाभप्रदता मानदंड 2021-22 तक सुधार की ओर रहे हैं, यद्यपि वास्तविक संख्याएं नकारात्मक क्षेत्र में थीं और फिर इन मानदंडों में एक बार फिर जांच की अवधि में गिरावट आई, जिसके परिणामस्वरूप सभी प्रमुख लाभप्रदता मानदंडों के संदर्भ में पर्याप्त हानियां हुईं। समग्र रूप से घरेलू उद्योग को नकारात्मक आरओसीई सहित जांच की अवधि के दौरान वित्तीय हानियां हुईं।
74. विरोधी पक्षकारों के तर्क के संबंध में कि निवल अचल परिसंपत्ति आंकड़ों, औसत नियोजित पूंजी, मूल्यहास और संस्थापित क्षमता के बीच कोई सह-संबंध नहीं है और आवेदक की वार्षिक रिपोर्ट तथा आर्थिक मानदंडों के बीच कोई सह-संबंध नहीं है, प्राधिकारी नोट करते हैं कि आवेदक ने गैर-विचाराधीन उत्पाद मर्दे भी प्रस्तुत की हैं और वार्षिक रिपोर्ट में सूचना अकेले संबद्ध सामानों के सीधे ही संबंध रखने वाली नहीं होगी। तथापि, अकेले संबद्ध सामानों पर लागू अलग की गई सूचना पर क्षति जांच में विश्वास किया गया है।
75. नियोजित पूंजी और कार्यशील पूंजी में वृद्धि संबंधी तर्कों के संबंध में, जब क्षमता वही रही हो, घरेलू उद्योग के प्रत्युत्तर अनुरोध से यह नोट किया जाता है कि आधार वर्ष के लिए याचिका में सूचित की गई नियोजित पूंजी में त्रुटि थी जिसे आवेदक द्वारा ठीक कर दिया गया था। उसके बाद, आवेदक द्वारा दावा किए गए अनुसार नियोजित पूंजी, कार्यशील पूंजी आदि संबंधी सूचना सत्यापन के अधीन रखी गई है और इस विवरण के लिए केवल उन्हीं सत्यापित आंकड़ों पर विचार किया गया है जो विरोधी पक्षकारों द्वारा उठाई गई चिंताओं का हल करते हैं।

**ग) रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी**

76. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग के रोजगार, उत्पादकता और मजदूरी निम्नलिखित तालिका में दिए गए हैं:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
रोजगार	सं.	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	147	165	109
मजदूरी	लाख रु./पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	65	70	123
प्रति कर्मचारी उत्पादकता	लाख पीस/व्यक्ति	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	142	137	85

क) यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग के रोजगार स्तर में गिरावट हुई है और प्रवृत्ति उत्पादन में गिरावट के अनुरूप थी। प्रति यूनिट मजदूरी क्षति की अवधि में बढ़ी हुई नोट की जाती है और उत्पादन में कमी से भी घरेलू उद्योग की उत्पादकता में गिरावट आई है।

**घ) पाटन मार्जिन की मात्रा**

77. पाटन की मात्रा उस सीमा का संकेतक है जहां तक भारत में आयात पाटित किए जा रहे हैं। जांच ने यह दर्शाया है कि पाटन मार्जिन सकारात्मक है और जांच की अवधि में काफी है।

**ड.) मालसूची**

78. क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग की मालसूची की स्थिति निम्नलिखित तालिका में दी गई है:

विवरण	यूनिट	2019-20	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
मालसूची	लाख पीस	***	***	***	***
प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	108	231	85

79. यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग में मालसूची जांच की अवधि तक अर्थात् आधार वर्ष तक कम हुई।

**च) वृद्धि**

80. प्राधिकारी नोट करते हैं कि प्रमुख मात्रात्मक और लाभप्रदता मानदंडों के संबंध में घरेलू उद्योग की वृद्धि जांच की अवधि के दौरान नकारात्मक रही है, जैसा कि निम्नलिखित तालिका से देखा जा सकता है:

विवरण	इकाई	2020-21	2021-22	जांच की अवधि
उत्पादन	%	108.82	8.21	(59.28)
घरेलू बिक्री मात्रा	%	101.82	1.41	(52.99)
क्षमता उपयोग	%	108.82	8.21	(59.28)
मालसूची	%	10.50	112.11	(63.54)
रोजगार	%	47.17	12.35	(34.16)
प्रति पीस बिक्री कीमत	%	9.66	25.73	2.12
प्रति पीस बिक्री लागत	%	(18.34)	26.31	31.53

नियोजित पूंजी पर आय	%	90.58	329.57	(544.16)
प्रति यूनिट लाभ	%	83.86	(35.47)	(465.61)
प्रति यूनिट पीबीआईटी	%	94.89	323.40	(962.79)

### छ) पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

81. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए संयंत्र स्थापित करने हेतु पूंजी निवेश किए हैं। तथापि, घरेलू उद्योग का निष्पादन क्षति की अवधि के दौरान कम हुआ है और घरेलू उद्योग को जांच की अवधि के दौरान हानियां हुई हैं। यह उल्लेख किया गया है कि घरेलू उद्योग की क्षमता का विस्तार करने की योजनाएं थीं परंतु उनको हो रही क्षति के कारण उन्होंने उसे रोक दिया। तथापि, यह नोट किया जाता है कि घरेलू उद्योग एक बहु-उत्पाद कंपनी है और इसीलिए पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता अकेले विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) के निष्पादन के आधार पर नियंत्रित नहीं हो सकती।

### ज) घरेलू कीमतों को प्रभावित करने वाले कारक

82. संबद्ध देशों से आयात कीमतों की जांच लागत ढांचे में परिवर्तन, घरेलू बाजार में प्रतिस्पर्धात्मकता, पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारक जो घरेलू बाजार के घरेलू उद्योग की कीमतों को प्रभावित कर सकते हैं, दर्शाते हैं कि संबद्ध देश से आयातित सामग्री का पहुंच मूल्य बिक्री कीमत और बिक्री लागत से कम है जो काफी कीमत कटौती और कीमत न्यूनीकरण कर रहा है। यह भी नोट किया जाता है कि संबद्ध सामानों के लिए मांग क्षति की अवधि के दौरान काफी वृद्धि दर्शा रही थी और इसीलिए वह घरेलू उद्योग को प्रभावित करने वाला कारक नहीं हो सकता। इस प्रकार, यह नोट किया जा सकता है कि घरेलू कीमतों का प्रभावित करने वाला प्रमुख कारक संबद्ध देश से संबद्ध सामानों का पाटित आयात हैं।

### झ) क्षति मार्जिन/कम कीमत पर बिक्री की मात्रा

83. प्राधिकारी ने यथा-संशोधित अनुबंध-III के साथ पठित इस नियमावली में निर्धारित सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए गैर-क्षतिकारक कीमत (एनआईपी) का निर्धारण किया है। विचाराधीन उत्पाद की गैर-क्षतिकारक कीमत का निर्धारण घरेलू उद्योग द्वारा दी गई उत्पादन लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपनाकर और जांच की अवधि के लिए प्रैक्टिसिंग लागत लेखाकार द्वारा विधिवत प्रमाणित आंकड़ों को अपनाकर किया गया है। गैर-क्षतिकारक कीमत पर क्षति मार्जिन का परिकलन करने के लिए संबद्ध देश से पहुंच कीमत की तुलना करने के लिए विचार किया गया है। गैर-क्षतिकारक कीमत निर्धारित करने के लिए क्षति की अवधि में घरेलू उद्योग द्वारा कच्ची सामग्री के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यही व्यवहार यूटिलिटियों के साथ किया गया है। क्षति की अवधि में उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उत्पादन लागत के कोई असाधारण अथवा गैर-आवर्ती खर्च नहीं लगाए जाते हैं। विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी पर उपयुक्त आय (कर-पूर्व 22% की दर से) (अर्थात् औसत निवल निर्धारित परिसंपत्ति योग औसत कार्यशील पूंजी) की अनुमति इस नियमावली के अनुबंध-III में यथा-निर्धारित गैर-क्षतिकारी कीमत तय करने के लिए कर पूर्व लाभ की अनुमति दी गई थी और उसे अपनाया जा रहा है। प्रत्येक किस्म के उत्पाद के लिए पृथक एनआईपी निर्धारित की गई है।
84. संबद्ध देश से सभी असहयोगी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी ने उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पहुंच कीमत निर्धारित की है।
85. उपर्युक्तानुसार निर्धारित पहुंच कीमत और गैर-क्षतिकारी कीमत के आधार पर उत्पादकों/निर्यातकों के लिए प्राधिकारी द्वारा क्षति मार्जिन निर्धारित किया गया है।

**क्षति मार्जिन**

क्र.सं.	देश	उत्पादक	व्यास/ पीसीएन	एनआईपी अम.डा./लाख प्रति पीस	पहुंच मूल्य अम.डा./लाख प्रति पीस	क्षति मार्जिन अम.डा./लाख प्रति पीस	क्षति मार्जिन %	क्षति मार्जिन (रेंज %)
1	चीन जन.गण.	कोई	300	***	***	***	***	15-25
			401	***	***	***	***	15-25
			भारत औसत	***	***	***	***	15-20

**झ. गैर-आरोप्य विश्लेषण**

86. पाटनरोधी नियमावली के अनुसार प्राधिकारी के लिए अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों को छोड़कर किन्हीं जांच कारकों की जांच करना अपेक्षित होता है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं ताकि इन अन्य कारकों के कारण हुई क्षति पाटित आयातों के कारण न हों। इस संबंध में संगत कारकों में अन्य बातों के साथ साथ पाटित कीमतों पर न बेचे गए आयातों की मात्रा और कीमतें, खपत के पैटर्न में मांग में संकुचन अथवा परिवर्तन, व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां और विदेशी तथा घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा, प्रौद्योगिकी में विकास और घरेलू उद्योग का निर्यात निष्पादन तथा उत्पादकता शामिल है। नीचे यह जांच की गई है कि क्या पाटित आयातों को छोड़कर अन्य कारकों का घरेलू उद्योग को क्षति में योगदान हो सकता है।

**क) तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत**

87. संबद्ध देश को छोड़कर अन्य देशों से आयात बहुत ही नगण्य रहे हैं (भारत में विचाराधीन उत्पाद के कुल आयातों के 1% से कम) और वे संबद्ध देश से काफी अधिक कीमत पर रहे हैं।

**ख) निर्यात निष्पादन**

88. प्राधिकारी ने अपने क्षति विश्लेषण के लिए केवल घरेलू प्रचालनों के लिए आंकड़ों पर विचार किया है। वस्तुतः, जांच की अवधि के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा कोई निर्यात नहीं किए गए थे।

**ग) खपत के पैटर्न में मांग परिवर्तनों में संकुचन**

89. यह नोट किया जाता है कि संबद्ध सामानों की मांग क्षति की अवधि में बढ़ी है।

**घ) व्यापार प्रतिबंधात्मक परिपाटियां तथा विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा**

90. संबद्ध सामानों का आयात किसी भी तरह प्रतिबंधित नहीं है और वे देश में स्वतंत्र रूप से आयात किए जा सकते हैं। हितबद्ध पक्षकारों को यह बताना है कि विदेशी और घरेलू उत्पादकों के बीच प्रतिस्पर्धा की स्थितियों में कोई परिवर्तन हुआ है।

**ड.) प्रौद्योगिकी में विकास**

91. किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने प्रौद्योगिकी में काफी परिवर्तन दर्शाने के लिए कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिनसे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है। कच्ची सामग्री के उत्पादन के लिए अर्थात् संबद्ध सामानों का उत्पादन करने के लिए टिनप्लेट के उत्पादन के लिए प्रौद्योगिकी में अंतर की चिंताओं को यहां ऊपर विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु भाग में हल किया गया है।

**च) खपत के पैटर्न में परिवर्तन**

92. घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित संबद्ध सामान और भारत में आयातित संबद्ध सामान तुलनीय हैं और अंतिम प्रयोक्ता इन सामानों को परस्पर परिवर्तनीय पाते हैं।

**छ) अन्य उत्पादों के संबंध में घरेलू उद्योग का निष्पादन**

93. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित किए जा रहे और बेचे जा रहे अन्य उत्पादों का निष्पादन संबद्ध सामानों से संबंधित घरेलू उद्योग के निष्पादनों के संबंध में प्राधिकारी द्वारा किया गया मूल्यांकन प्रभावित नहीं होता है। प्राधिकारी द्वारा मानी गई सूचना केवल विचाराधीन उत्पाद के संबंध में है।

**ज) घरेलू उद्योग की उत्पादकता**

94. जैसा कि मूल्यांकन किया गया है प्रति कर्मचारी उत्पादकता में उसी अवधि के दौरान उत्पादन में गिरावट के अनुरूप जांच की अवधि तक थोड़ी सी गिरावट आई है। इस प्रकार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पादकता में गिरावट घरेलू उद्योग को क्षति का कोई कारण नहीं रहा है।

**ज. भारतीय उद्योग के हित और अन्य मुद्दे**

**ज.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध**

95. जांच प्रक्रिया के दौरान अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- शुल्क लगाए जाने से प्रयोक्ता उद्योग, जो कि एमएसएमई और सामान्य जनता में है, का हित प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा।
- विचाराधीन उत्पाद का प्रयोग निचले स्तर का (टिन कैन) के विनिर्माण में किया जाता है, जो मुख्य रूप से डेयरी उत्पादों, प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों आदि की पैकिंग के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तदनुसार, शुल्क लगाए जाने से सीधे ही और प्रतिकूल रूप से सामान्य जनता प्रभावित होगी और उस खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए हानिकारक भी होगी, जो क्षेत्र सरकार की प्राथमिकता सूची में है।
- प्रयोक्ता उद्योग प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से 1,00, 000 से अधिक लोगों को रोजगार देता है और मुख्य रूप से एमएसएमई क्षेत्र में संकेन्द्रित है तथा पूरे देश में फैला हुआ है। शुल्क लगाए जाने से एमएसएमई उद्यमों में रोजगार प्रत्यक्ष और प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा।
- आवेदक भारतीय मांग का केवल लगभग 15% पूरा कर सकता है। अतः, अधिकतर मांग आयातों से पूरी की जानी होती है क्योंकि आवेदक (एकमात्र भारतीय उत्पादक) की उत्पादन क्षमता भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है तथा आवेदक द्वारा विनिर्मित विचाराधीन उत्पाद की गुणवत्ता भी घटिया है। ऐसी स्थिति में शुल्क लगाए जाने से प्रयोक्ता उद्योग प्रतिकूल रूप से प्रभावित होगा।
- निचले स्तर के उत्पाद (टिन कैन) की कुल लागत में विचाराधीन उत्पाद की लागत का काफी हिस्सा है अर्थात् 20% से 30% तक का हिस्सा है। आवेदक ने 300 व्यास पर 45% - 55% रेंज और 401 व्यास पर 50%-60% की रेंज में पाटनरोधी शुल्क का अनुरोध किया है। अतः शुल्क लगाए जाने से निचले स्तर के उत्पाद की लागत काफी अर्थात् लगभग 10% तक घट जाएगी। इससे निचले स्तर के उत्पाद के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी बढ़ेगी।
- इस जांच में पाटनरोधी उपाय लागू करना कुल मिलाकर और भारतीय घरेलू उद्योग के समग्र हित के असंगत होगा।

**ज.2. घरेलू उद्योग द्वारा अनुरोध**

96. जांच प्रक्रिया के दौरान घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

- आवेदक द्वारा दावा किए गए अनुसार किसी पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव संबंधी सूचना यह दर्शाती है कि अंतिम प्रयोक्ता पर प्रभाव 0.10% से 1.10% पर बहुत ही नगण्य होगा और इस प्रतिशतता को बहुत अधिक नहीं माना जाना चाहिए।

- ii. आवेदक ने सामान्य रूप से उन प्रयुक्त उत्पादों के लिए अंतिम उपभोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव का अपना दावा प्रस्तुत किया है जिनमें ईओई निम्नलिखित रूप में प्रयुक्त किया जाता है और दावा किया कि यह प्रभाव 0.10-1.10% की रेंज में होगा।

	यूनिट	रेडकाऊ डेयरी पनीर- 401	हल्दीराम गुलाबजा मुन -401	अमूल चीज-401	हेक्सागन फाइबर- 401	पारस घी- 401	डेलमोट स्वीड कार्न- 300	नेस्ले मिल्कमेड- 300
उपभोक्ता को अंतिम उत्पाद की कीमत	रु./कैन	235.00	240.00	238.00	878.00	1,326.00	115.00	144.00
ईओई की पहुंच कीमत	रु./पीस	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	2.51	2.51
दावा किए गए अनुसार क्षति मार्जिन	रु./पीस	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	1.24	1.24
पाटनरोधी शुल्क के बाद पहुंच कीमत	रु./पीस	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	3.75	3.75
पाटनरोधी शुल्क के बिना अंतिम उत्पाद में संबद्ध सामानों का हिस्सा	%	1.60	1.57	1.58	0.43	0.28	2.18	1.74
पाटनरोधी शुल्क के साथ अंतिम उत्पाद में संबद्ध सामानों का हिस्सा	%	2.48	2.43	2.45	0.66	0.44	3.26	2.60
लागत में अनुमानित निवल वृद्धि (अंतिम उपभोक्ता/ जनता पर प्रभाव	%	0.88	0.86	0.87	0.24	0.16	1.08	0.86

- iii. अंतिम प्रयोक्ता पर असर प्रभाव विश्लेषण में संगत है और यह दर्शाने के लिए कुछ नहीं किया जाता कि संबद्ध सामानों के निचले स्तर के प्रयोक्ता अंतिम उपभोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क के कारण लागत में वृद्धि को आगे नहीं बढ़ाएंगे।
- iv. प्राधिकारी को अकेले संबद्ध सामानों के प्रयोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की जांच करने के लिए जनहित की जांच सीमित नहीं करनी चाहिए। ईओई उत्पादक के लिए उचित व्यापारी क्षेत्र सुनिश्चित करने की आवश्यकता की व्यापक तस्वीर पर भी जनहित की जांच करते समय, विचार किया जाना चाहिए।
- v. ईओई उत्पादन आधार पैकेजिंग आवश्यकताओं पर ज्यादा जोर देकर देश के लिए बहुत संगत है। निर्यातक इस उपयोग को शुरुआत में ही काटने का प्रयास कर रहे हैं ताकि निर्यातक भारतीय बाजार में अपना प्रभाव जारी रख सकें। पाटनरोधी शुल्क लगाने से ऐसे अनुचित प्रयासों और स्थितियों को खतरा होगा।
- vi. यद्यपि भारत में ईओई का केवल एक उत्पाद है, तथापि भारत में कैनों के लगभग 10 उत्पादक होने का दावा किया जाता है जो यह दर्शाता है कि ईओई उद्योग के बीच अधिक उत्पादकों के प्रवेश और विद्यमान उत्पादक द्वारा क्षमता विस्तार की गुंजाइश है।

- vii. संबद्ध सामानों की भारत में भारी मांग है और फिर भी यह बाजार चीन जन.गण. से पाटित आयातों द्वारा प्रभाव में है। संबद्ध सामानों का उत्पादन करने के लिए कच्ची सामग्री भारत में प्रचूर मात्रा में उपलब्ध है और कम से कम आगामी समय में इस उत्पाद के लिए मांग को पूरा करने के लिए आयातों पर निर्भर रहने के लिए भारत को कोई आवश्यकता नहीं है।
- viii. आयात कम करने के लिए, भारत में वर्तमान विनिर्माण आधार को बने रहने और आगे बढ़ने के लिए भी सहायता करना अनिवार्य है। आज की स्थिति के अनुसार, संबद्ध सामानों की मांग लगभग 20-25 करोड़ पीस है और वर्तमान क्षमता लगभग 6-9 करोड़ पीस है, और यहां तक कि उपर्युक्त क्षमता 20-30% की रेंज में व्यापक रूप से अप्रयुक्त है। केवल पाटनरोधी शुल्क की बाजार में इन असंतुलनों को समाप्त कर सकता है।
- ix. संबद्ध सामान पैकेजिंग उद्योग में प्रयुक्त किया जाता है और एक बार ही प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिक की समाप्ति पर सरकार के जोर के साथ उत्पाद के लिए मांग आगामी वर्षों में बढ़ी हुई दरों पर बढ़ती जाएगी। भारत के लिए इस उत्पाद पर आत्मनिर्भर न रहने का कोई कारण नहीं है और देश ईओई के आयात के कारण काफी धनराशि का बहिर्गमन रोक सकता है, यदि पाटन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए उपाय लगाकर भारत में संबद्ध सामानों के लिए मजबूत उत्पादन आधार विकसित करने में वह मदद करे।
- x. संबद्ध सामान टिन प्लेट के मूल्यवर्धित उत्पाद है जिसका अर्थ यह है कि भारत में संबद्ध सामान इस्पात क्षेत्र का पूरक बनता है और ईओई के लिए एक मजबूत उत्पादन आधार ईओई के उत्पादन की सीमा तक पूरी इस्पात मूल्य श्रृंखला की बेहतर स्थिति सुनिश्चित करेगा।
- xi. संबद्ध सामानों के उत्पादन के लिए निवेश की आवश्यकता होती है जो एमएसएमई क्षेत्र आदि में छोटी यूनिटों को भी वहनीय होगा और देश छोटे से समय के अंतर्गत संबद्ध सामानों का उत्पादन करने के लिए क्षमताओं में वृद्धि देख सकता है, यदि भारत में आयातों और घरेलू उत्पादों के बीच उचित प्रतिस्पर्धा हो। इस समय, उचित संतुलन पाटित आयातों की मौजूदगी के कारण कम हो गया है।
- xii. भारत में ईओई के उत्पादकों की भारी संख्या के उभरने से आयात पर निर्भरता कम होगी और भारत को ईओई के अधिक उत्पादक ही भविष्य में प्रयोक्ताओं को लाभान्वित करेंगे। एल्युमिनियम रोड व्हील्स, विट्रीफाइड टाइल्स आदि जैसे मामलों में पाटनरोधी शुल्क लगाकर सुनिश्चित किया गया उचित व्यापारिक क्षेत्र में भारी संख्या में उत्पादकों का प्रवेश देखा और अब भारत के पास एक मजबूत निर्माण आधार है। पाटनरोधी शुल्क लगाकर ईओई विनिर्माण के लिए उचित व्यापारिक क्षेत्र इस उत्पाद के भी व्यापार में ऐसे विकास देखेगा।
- xiii. भारत विश्व में इस्पात के सबसे बड़े उत्पादकों और प्रयोक्ताओं में से एक है तथा यह दावे कि टिन प्लेट से भारत में उत्पादित मूल्यवर्धित उत्पाद अच्छी गुणवत्ता का नहीं है, पाटित आयातों को बनाए रखने का केवल एकमात्र बहाना है जो सही जनहित में अच्छी रणनीति नहीं हो सकती।
- xiv. यह उद्योग गुणवत्ता और अन्य प्रचालनात्मक पहलुओं के संदर्भ में पहले से ही स्थिर है और केवल चिंता यह है कि उत्पादक उपयुक्त स्तरों तक कीमतें बढ़ाने में सक्षम नहीं है जो पाटन के अभाव में ही संभव हुआ होता। इस प्रकार की स्थिति का समाधान करने के लिए पाटनरोधी शुल्क निश्चित रूप से व्यापक जनहित में होगा।
- xv. तर्क किए गए मांग आपूर्ति अंतराल का भी जनहित के संदर्भ में कोई अर्थ नहीं है क्योंकि आवेदक के पास क्षमता अत्यधिक अप्रयुक्त है और यह कम उपयोग पाटित आयातों की मौजूदगी का परिणाम था।
- xvi. भारत के पास वित्तीय वर्ष 2021-22 के अनुसार लगभग 3,00, 000एमटीपीए तक नियोजित क्षमता अभिवृद्धियों के साथ टिन प्लेटों का उत्पादन करने के लिए लगभग 7,49,000 एमटीपीए क्षमता है



(टीसीआईएल -379000 एमटीपीए, जेएसडब्ल्यू वल्लभ टिनप्लेट -120000, जेएसडब्ल्यू तारापुर संयंत्र-250000 एमटीपीए) क्षमता है। उसके एक छोटे भाग की ही भारत में पूरी मांग की पूर्ति के लिए ईओई उद्योग द्वारा अपेक्षित है। इस प्रकार, भारत में भीतर कच्ची सामग्री के लिए ईओई उद्योग की उचित पहुंच है और ऐसी स्थिति में भारत में ईओई के पाटन की अनुमति देना भारत में सामूहिक जनहित में नहीं होगा।

- xvii. आयातक कम समय में ही पाटित आयातों से भारी लाभ ले सकते हैं और वे चाहते हैं कि ऐसे पाटित आयात जारी रहें, जैसा कि उनके दावों से सिद्ध है परंतु यह देश के लिए अच्छा नहीं होगा। मुद्रा आयातों का नहीं है बल्कि क्षतिकारक स्तरों पर पाटित आयातों का है। पाटन के प्रभाव को समाप्त करने के लिए पाटनरोधी शुल्क किसी भी तरह से जनहित के विरुद्ध नहीं होगा।
- xviii. निर्धारित कम क्षति एवं पाटन मार्जिन के आधार पर पाटन के ह्रासमान प्रभावों को समाप्त करने के लिए पाटनरोधी शुल्क लगाना किसी भी तरह से जनहित के विरुद्ध नहीं होगा। इसकी बजाए, ऐसे कदम भारत में मजबूत ईओई विनिर्माण आधार स्थापित करने के लिए भारी सशक्त कदम होगा और यह विनिर्माण आधार भारत के व्यापक जनहित में होगा।

### अ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

97. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से विचार आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्क के संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए उपभोक्ताओं के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की। प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की परस्पर परिवर्तनीयता, स्रोत बदलने के लिए उपभोक्ता की क्षमता, उपभोक्ताओं पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव, पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने से होने वाली नई स्थिति में समायोजन बढ़ाने अथवा विलंब करने की संभावना वाले कारकों के संबंध में सूचना मांगी।
98. यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क से आयात प्रतिबंधित नहीं होते बल्कि यह सुनिश्चित करते हैं कि आयात उचित कीमतों पर बाजार में आए। इस प्रकार, प्रयोक्ताओं को व्यापक विकल्प और उचित कीमतों पर संबद्ध सामानों के आयात की स्वतंत्रता बनी रहेगी, जो बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित करेगी। इसके अतिरिक्त, जैसा कि पूर्व के पैराओं में उल्लेख किया गया है, यदि कोई उपाय प्राधिकारी द्वारा प्रस्तावित किए जाते हैं तो वे जांच की अवधि में उत्पादित उन उत्पाद किस्मों पर लागू होंगे जिनको वास्तविक क्षति हो रही है।
99. गुणवत्ता और मांग आपूर्ति अंतराल के संबंध में यह नोट किया जाता है कि पाटनरोधी शुल्क लगाया जाना आयातों पर प्रतिबंध के रूप में कार्य नहीं करता। पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने का प्रयोजन सामान्य रूप में खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति पुनः स्थापित करने के लिए अनुचित व्यापार परिपाटियों से होने वाले व्यापार के ह्रास के मुद्दे को हल करना है। किसी भी दशा में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि यदि देश में मांग-आपूर्ति अंतराल है तो विदेशी उत्पादक उचित कीमत पर उत्पाद लाकर देश में अंतराल को निश्चित रूप से पूरा कर सकते हैं। तथापि, मांग-आपूर्ति अंतराल की मौजूदगी उत्पाद के पाटन का औचित्य नहीं बनाती। ऊपर यह पहले ही नोट किया गया है कि आवेदक द्वारा उत्पादित उत्पाद की गुणवत्ता प्रयोक्ताओं को स्वीकार्य नहीं है और प्रयोक्ता घरेलू उद्योग से भी खरीददारी करते रहे हैं।
100. प्रयोक्ता उद्योग पर प्रभाव के संबंध में, घरेलू उद्योग ने अंतिम प्रयोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा बताई है और वह 0.16-1.10% की रेंज में है। अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने अंतिम प्रयोक्ता पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव की मात्रा नहीं बताई है और इसकी बजाए आयातकों के लिए प्रभाव की मात्रा बताई है। इसके अतिरिक्त प्राधिकारी घरेलू उद्योग के अनुरोध को नोट करते हैं कि संबद्ध सामान आसानी से खोले जाने वाले सिरों वाले हैं जिनका प्रयोग विभिन्न खाद्य और दैनिक प्रयोग की मर्दों आदि की पैकिंग तथा भंडारण के लिए कैनो के साथ किया जाता है और ईओई से जुड़ी पैकिंग की लागत उन कंटेनरों में भंडारित उल्लिखित सामानों के मूल्य का छोटा सा

भाग होता है जो ईओई से जुड़े होते हैं। अतः, नोट किए गए मार्जिन से कम के अनुरूप ईओई की लागत वृद्धि अंतिम प्रयोक्ता पर 1% से कम प्रभाव की होगी।

101. निचले स्तर के उन प्रयोक्ताओं जो एमएसएमई क्षेत्र में हैं, पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी नोट करते हैं कि भारत में केवल एक ही ईओई का उत्पादक है जो एमएसएमई यूनिट भी है जबकि भारत में टिन कैन उत्पादकों की भारी संख्या है, जैसाकि हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दावा किया गया है। साथ ही, संबद्ध सामान टिनप्लेट के मूल्यवर्धित उत्पाद हैं जो भारत में प्रचुर मात्रा में उत्पादित किए जाते हैं जिसका अर्थ यह है कि भारत में संबद्ध सामानों का विनिर्माण बहुत ही अर्थक्षम विकल्प है और उसमें देश में एकल प्रयोग प्लास्टिक पैकेजिंग विकल्पों को छोड़कर बढ़ते हुए संगत को ध्यान में रखते हुए प्रोत्साहित किए जाने की संभावनाएं हैं। यद्यपि, भारत में इस उत्पाद के लिए मांग और आपूर्ति अंतराल है तथापि, घरेलू उद्योग ने संबद्ध सामानों के लिए उपलब्ध क्षमता भारी मात्रा में अप्रयुक्त रही है। ऐसी स्थिति में, संबद्ध सामानों के घरेलू विनिर्माण के लिए उचित व्यापारिक क्षेत्र सुनिश्चित करने हेतु कोई कदम क्षति की वर्तमान स्थिति के विरुद्ध निचले स्तर के उत्पादकों सहित प्रयोक्ताओं के विरुद्ध एक अभियान के रूप में नहीं देखी जा सकती।

## ट. प्रकटन पश्चात टिप्पणियां

### ट.1 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

102. अन्य इच्छुक पार्टियों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं;
- एंटीडंपिंग शुल्क लगाने से घरेलू उत्पादक का एकाधिकार स्थापित हो जाएगा और यह सार्वजनिक हित में नहीं होगा।
  - अन्य कारण जैसे एनपीयूसी के उत्पादन में गिरावट, याचिकाकर्ता के निर्यात प्रदर्शन में गिरावट, पुरानी तकनीक का उपयोग, कच्चे माल के एकमात्र आपूर्तिकर्ता के कारण घरेलू उद्योग को नुकसान हो सकता है और याचिकाकर्ता याचिका में इसका उल्लेख करने में विफल रहा है।
  - YIWU ने तीन चैनलों के माध्यम से भारत को संबद्ध वस्तुओं का निर्यात किया है। सीधे और लैमी इंटरनेशनल लिमिटेड और विकट्री फूड स्पेशलिटीज़ FZE के माध्यम से विकट्री ने EQR भी दाखिल किया। इसलिए, यह स्पष्ट नहीं है कि प्राधिकरण ने यह निष्कर्ष क्यों निकाला है कि YIWU के असंबंधित निर्यातक, विकट्री ने भाग नहीं लिया है या अपनी प्रश्नावली के जवाब दाखिल नहीं किए हैं। इसलिए, प्राधिकरण को इस मामले पर तत्काल गौर करना चाहिए और सहयोगी उत्पादक/निर्यातक, YIWU के लिए व्यक्तिगत डंपिंग और क्षति मार्जिन पर काम करना चाहिए।
  - आवेदक ने स्पष्ट रूप से कुछ गलत चोटें दर्ज कराई हैं एंटी-डंपिंग की सुरक्षा की मांग के लिए गैर-मौजूद मामले को साबित करने के लिए जानकारी कर्तव्य. गलत जानकारी के तथ्य का सीधा असर डंपिंग, चोट आदि पर पड़ता है कॉजल लिंक।
  - कच्चे माल की उच्च लागत, हार्ड-स्पीड लाइन की कमी, गैर-एकीकृत संयंत्र आदि जैसे अंतर्निहित कारणों से आवेदक को चोट लगी है, यदि कोई हो। व्यवसाय व्यवहार्यता निर्धारित करने के लिए जिन विभिन्न मापदंडों पर भरोसा किया जाता है, उन्हें समझने के लिए प्राधिकरण आवेदक की परियोजना रिपोर्ट की गहन जांच कर सकता है।
  - शुल्क लगाने से एमएसएमई उद्यमों में रोजगार पर सीधा और प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।
  - अधिकांश मांग को आयात से पूरा करना पड़ता है क्योंकि आवेदक (एकमात्र भारतीय उत्पादक) की उत्पादन क्षमता भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और आवेदक द्वारा निर्मित पीयूसी की गुणवत्ता भी घटिया है। ऐसे में ड्यूटी लगाने से यूजर इंडस्ट्री पर बुरा असर पड़ेगा।

- viii. शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उत्पाद की लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी यानी लगभग 10%। इससे डाउनस्ट्रीम उत्पाद के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी बढ़ेगी।
- ix. प्राधिकारी को चोट, यदि कोई हो, का श्रेय उसे नहीं देना चाहिए चीन पीआर से किए गए आयात के लिए अन्य कारणों से आवेदक।

## ट.2. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुतियाँ

103. घरेलू उद्योग द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किये गये हैं:

- i. उत्पाद में पैकिंग की दो परतें होती हैं, प्रारंभिक पैकिंग उत्पाद को एक संकीर्ण-बुने हुए (एनडब्ल्यू) बैग में रखकर की जाती है और बैग की ऐसी श्रृंखलाओं को फिर एक बड़े कार्डबोर्ड बॉक्स में रखा जाता है। हालाँकि, एनआईपी में कार्डबोर्ड बॉक्स से संबंधित पैकिंग लागत की अनुमति नहीं है। प्राधिकरण इन दोनों मामलों में पैकिंग लागत को एनआईपी में शामिल कर सकता है। नियमों के अनुबंध III में एनआईपी का निर्धारण करते समय पैकिंग लागत को बाहर करने का प्रावधान नहीं है।
- ii. यदि एनआईपी में पैकिंग लागत को पूरी तरह से अनुमति नहीं दी गई है, तो आयात मूल्य में गैर-अनुमत पैकिंग के लिए समायोजन किया जाना चाहिए ताकि डंपिंग और क्षति मार्जिन का निर्धारण करते समय सेब की तुलना सुनिश्चित की जा सके।
- iii. वर्तमान मामले के तथ्य विषयगत देश से विषयगत वस्तुओं की अत्यधिक मात्रा में डंपिंग और परिणामस्वरूप ऐसे डंप किए गए आयात के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली भौतिक क्षति को दर्शाते हैं।
- iv. इस तरह की डंपिंग से होने वाली क्षति को दूर करने और भारतीय बाजार में घरेलू उद्योग के लिए समान अवसर स्थापित करने के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क बहुत आवश्यक है, जहां अब तक डंप किए गए आयात का प्रभुत्व है।
- v. वर्तमान में भारत में संबद्ध वस्तुओं का केवल एक ही उत्पादक है और भारत में और अधिक क्षमताएं विकसित होने की संभावना है। यह उत्पाद पैकेजिंग उद्योग और भारत में टिनप्लेट मूल्य श्रृंखला के लिए अच्छा संकेत होगा, जिसमें टिनप्लेट यानी ईओई के लिए प्रमुख कच्चा माल प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। उत्पाद के लिए समान अवसर निश्चित रूप से देश के व्यापक सार्वजनिक हित में होंगे और भारत में इस उभरते उद्योग के अस्तित्व को सुनिश्चित करने के लिए एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने के माध्यम से समान स्तर का अवसर बहुत आवश्यक है जैसा कि तथ्यों से पता लगाया जा सकता है। खुलासा.
- vi. प्राधिकरण ईजी ओपन एलआईडी इंडस्ट्री कॉर्प यिवू को व्यक्तिगत मार्जिन नहीं देने के अपने फैसले की पुष्टि कर सकता है क्योंकि भारत में इसके निर्यात के महत्वपूर्ण हिस्से पर विचार करने वाले निर्यातक प्रभावली का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है। निर्यातक ने अपने एनसीवी ईक्यूआर में कोई खुलासा नहीं किया है कि मूल्य श्रृंखला में शामिल अन्य निर्यातकों ने कोई प्रतिक्रिया दर्ज नहीं की है। यदि किसी पक्ष द्वारा निर्यात का बड़ा हिस्सा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया जाता है, तो प्रतिवादी उत्पादक/निर्यातक की प्रतिक्रिया को अस्वीकार करना प्राधिकरण की एक सतत प्रथा है।

## ट.3. प्राधिकारी द्वारा परीक्षा

104. यह नोट किया गया है कि प्रकटीकरण विवरण के बाद इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए अधिकांश अनुरोध उनके पिछले अनुरोधों की पुनरावृत्ति और पुनरुत्पादन हैं जिन्हें प्रकटीकरण विवरण जारी करने के समय ही उचित रूप से संबोधित किया गया है। चूंकि प्रकटीकरण विवरण के बाद रिकॉर्ड पर कोई नया तथ्य नहीं लाया गया है, ऐसे मुद्दों पर प्रकटीकरण विवरण में लिए गए विचारों की इस अंतिम निष्कर्ष में पुष्टि की गई है। हालाँकि, कुछ विशिष्ट दावों का समाधान यहां नीचे दिया गया है।

105. इस तर्क के संबंध में कि एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने से घरेलू उत्पादक का एकाधिकार स्थापित हो जाएगा और एंटी-डंपिंग शुल्क उपयोगकर्ताओं के खिलाफ होगा, प्राधिकरण नोट करता है कि एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने का उद्देश्य, सामान्य तौर पर, डंपिंग की अनुचित व्यापार प्रथाओं के कारण घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को खत्म करना है ताकि भारतीय बाजार में खुली और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा की स्थिति फिर से स्थापित हो सके, जो देश के सामान्य हित में है। एंटी-डंपिंग उपाय लागू करने का उद्देश्य किसी भी तरह से संबद्ध देश से आयात को प्रतिबंधित करना नहीं है।
106. इस तर्क के संबंध में कि क्षति अन्य कारणों से हुई है, प्राधिकरण ने अन्य पक्षों द्वारा किसी अन्य कारक पर किए गए अनुरोधों की जांच की है जिससे घरेलू उद्योग को क्षति हो सकती है और इसे इस विवरण में दर्ज किया गया है। यह पाया गया कि कोई अन्य कारक घरेलू उद्योग को चोट नहीं पहुंचाता जैसा कि एंटी-डंपिंग नियमों में परिकल्पित किया गया है।
107. ईजी ओपन एलआईडी इंडस्ट्री कॉर्प यिवू, जो संबद्ध सामानों का उत्पादक एवं निर्यातक है, के निर्यातक प्रश्नावली के उत्तर से यह नोट किया जाता है जांच की अवधि के दौरान कंपनी के अपनी असंबद्ध कंपनी अर्थात् मै. विकट्री फूड स्पेशलिटीज एफजेडई के माध्यम से \*\*\* अम.डालर मूल्य के सीधे ही और अप्रत्यक्ष रूप से भारत को \*\*\* लाख पीस का निर्यात किया है और एंड मै. लैमी इंटरनेशनल लिमिटेड ने \*\*\* अम.डालर मूल्य के भारत को \*\*\* लाख पीस का निर्यात किया।
108. यह पाया गया है कि निर्माता/निर्यातक की असंबद्ध कंपनियों ने निर्धारित समय के भीतर प्राधिकरण के समक्ष कोई 'निर्यातक प्रश्नावली प्रतिक्रिया' दाखिल नहीं की। आगे यह नोट किया गया है कि मेसर्स विकट्री फूड स्पेशलिटीज एफजेडई द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी संबंधित वस्तुओं के निर्यातकों के लिए प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रारूप में नहीं है। यह आगे नोट किया गया है कि प्राधिकरण ने 7 जून, 2023 को <sup>अ</sup> इच्छुक पार्टियों की एक सूची प्रकाशित की, जिन्होंने प्राधिकरण को ऐसे इच्छुक पार्टियों द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण की प्रकृति और उक्त सूची के प्रकाशन के समय, इच्छुक पार्टियों के साथ जवाब दिया है। निम्नलिखित पंक्तियों में इच्छुक पार्टियों की उक्त सूची की तैयारी में किसी भी विसंगति के मामले में प्राधिकरण को वापस भेजने का निर्देश दिया गया था;
- 3. यदि किसी इच्छुक पार्टी ने अपना नाम या कोई सुधार किया है, जिसने आवेदन किया है, लेकिन उसका नाम या ईमेल आईडी सूची में उल्लिखित नहीं किया गया है, तो कृपया ऊपर उल्लिखित ईमेल आईडी पर प्राधिकरण को सूचित करें ताकि सूची को अपडेट करके यह सुनिश्चित किया जा सके। कोई भी इच्छुक पक्ष एनसीवी प्रस्तुतियों के आदान-प्रदान की उपरोक्त प्रक्रिया से वंचित नहीं है।*
109. 7 जून, 2023 को प्रकाशित इच्छुक पार्टियों की सूची में एक आयातक के रूप में मेसर्स विकट्री फूड स्पेशलिटीज FZE की भागीदारी निर्धारित की गई। इसके बाद, जांच के दौरान कोई संचार/भागीदारी प्राप्त नहीं हुई। प्राधिकारी द्वारा यह भी कहा गया है कि चूंकि निर्धारित समय के भीतर निर्धारित प्रारूप में जानकारी प्रदान नहीं की गई थी, इसलिए उक्त पक्ष को अस्वीकार कर दिया गया।
110. इसे ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण मेसर्स विकट्री फूड स्पेशलिटीज एफजेडई द्वारा प्रस्तुत की गई जानकारी को प्रासंगिक निर्यातक प्रश्नावली प्रतिक्रिया के रूप में नहीं मान सकता है ताकि ईजी ओपन एलआईडी इंडस्ट्री कॉर्प यिवू के लिए व्यक्तिगत मार्जिन निर्धारित किया जा सके। प्राधिकरण नोट करता है कि ईजी ओपन एलआईडी इंडस्ट्री कॉर्प यिवू द्वारा किए गए निर्यात का महत्वपूर्ण हिस्सा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है और उपलब्ध प्रतिक्रियाओं के आधार पर ईजी ओपन एलआईडी इंडस्ट्री कॉर्प यिवू के लिए कोई व्यक्तिगत मार्जिन निर्धारित नहीं किया जा सकता है।
111. इस तर्क के संबंध में कि अधिकांश मांग को आयात से पूरा किया जाना है क्योंकि आवेदक (एकमात्र भारतीय उत्पादक) की उत्पादन क्षमता भारतीय मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है और आवेदक द्वारा निर्मित

पीयूसी की गुणवत्ता भी घटिया है और ऐसे मामले में, शुल्क लगाने से उपयोगकर्ता उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, इस मुद्दे को पहले ही ऊपर संबोधित किया जा चुका है। फिर भी, प्राधिकरण का मानना है कि मांग और आपूर्ति में अंतर घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचाने वाले डंप आयात के खिलाफ निवारण की मांग करने से वंचित करने का कारण नहीं हो सकता है।

112. भारत में संबद्ध वस्तु के निर्माता, जो एक एमएसएमई भी है, ने भारत में संबद्ध वस्तु के उत्पादन में निवेश किया है और एकमात्र उत्पादक की अनुपस्थिति में, भारतीय उपयोगकर्ता पूरी तरह से आयात पर निर्भर होंगे। प्राधिकरण आगे नोट करता है कि भारत में टिनप्लेट की पर्याप्त आपूर्ति है और जैसा कि ऊपर दर्ज किया गया है, अनुकूल बाजार परिदृश्य में विषय वस्तु की आपूर्ति के लिए अतिरिक्त क्षमता आ सकती है। घरेलू उद्योग के लिए समान अवसर उपलब्ध होने से संबद्ध वस्तुओं के भारतीय उत्पादन की संभावनाएं बेहतर होंगी, जिससे अंततः बड़े पैमाने पर उपयोगकर्ताओं को लाभ होगा।
113. इस तर्क के संबंध में कि शुल्क लगाने से डाउनस्ट्रीम उत्पाद की लागत में काफी वृद्धि होगी यानी लगभग 10% और डाउनस्ट्रीम उत्पाद के लिए कार्यशील पूंजी की आवश्यकता भी बढ़ जाएगी, यह ध्यान दिया जाता है कि दावा किसी भी आधार पर प्रमाणित नहीं है। दस्तावेजी साक्ष्य. इसके विपरीत, सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कीमत की जानकारी के आधार पर आवेदक द्वारा किए गए दावों से पता चलता है कि किसी भी एंटीडंपिंग शुल्क के रूप में मार्जिन के कम होने का प्रभाव अंतिम उपयोगकर्ता के अंत में 1% से अधिक नहीं होगा। एंटी-डंपिंग शुल्क आयात को प्रतिबंधित नहीं करता है, बल्कि यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित मूल्य पर बाजार में आए। उपयोगकर्ताओं को उचित मूल्य पर विषय वस्तु का आयात करने के लिए व्यापक विकल्प और स्वतंत्रता मिलती रहेगी, जिससे बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी और किसी भी एंटीडंपिंग शुल्क के प्रभाव को इस संदर्भ में देखा जाना चाहिए।
114. घरेलू उद्योग के इस तर्क के संबंध में कि एनआईपी में पैकिंग लागत की पूरी तरह से अनुमति नहीं है और घरेलू और आयातित उत्पाद के बीच पैकिंग के समान स्तर पर निष्पक्ष तुलना की जानी चाहिए, प्राधिकरण नोट करता है कि एनआईपी का निर्धारण नियमों के अनुलग्नक III में और प्राधिकरण की सुसंगत प्रथाओं में भी निर्धारित सिद्धांतों के अनुसार किया गया है।

### ठ. निष्कर्ष

115. किए गए निवेदनों, हितबद्ध पक्षों द्वारा प्रदान की गई प्रमाणित जानकारी और प्राधिकरण के समक्ष उपलब्ध तथ्यों के आधार पर, जैसा कि उपरोक्त पैराग्राफ में दर्ज और जांचा गया है और डंपिंग के निर्धारण और घरेलू उद्योग को परिणामी क्षति के आधार पर, प्राधिकरण निम्नलिखित निष्कर्ष पर पहुंचता है:
- वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद (पीयूसी) "टिन प्लेट के आसान खुले सिरे हैं, जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ईटीपी) शामिल है, जिसका आयाम 401 व्यास (99 मिमी) और 300 व्यास (73 मिमी) है"। पीयूसी के दायरे में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं:
    - आसान खुले सिरे जो टिन प्लेट के अलावा अन्य सामग्रियों से निर्मित होते हैं, जैसे एल्यूमीनियम, टिन मुक्त शीट आदि।
    - किसी भी मेक/इनपुट सामग्री के 401 व्यास (99एमएम) और 300 व्यास (73एमएम) के अलावा अन्य आयाम वाले आसान खुले सिरे।
    - किसी भी बनावट और आयाम के आंशिक या छोटे एपचर के आसान खुले सिरे।
  - विचाराधीन उत्पाद को संबद्ध देश से सामान्य मूल्य से कम कीमत पर निर्यात किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप डंपिंग हुई है। सभी उत्पादकों/निर्यातकों के लिए विषयगत देश में उत्पन्न या वहां से

निर्यातित विषय वस्तु के आयात के मामले में पाया जाने वाला डंपिंग मार्जिन न केवल न्यूनतम स्तर से ऊपर है, बल्कि महत्वपूर्ण भी है।

- iii. संबद्ध वस्तु के आयात की मात्रा की जांच से पता चलता है कि संबद्ध देश से संबद्ध वस्तु का आयात पीओआई तक पूर्ण रूप से और भारत में उत्पादन और खपत के संबंध में भी काफी बढ़ गया है।
- iv. हालांकि जांच अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की बाजार हिस्सेदारी में गिरावट आई है, लेकिन उसी अवधि में संबद्ध देश से आयात की बाजार हिस्सेदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है।
- v. आयात की पहुंच कीमत जांच अवधि में घरेलू उद्योग की शुद्ध बिक्री प्राप्ति से कम रही है और इसलिए, घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती कर रही है। इसके अलावा, पहुंच मूल्य भी घरेलू उद्योग की बिक्री लागत से कम रहा है।
- vi. घरेलू उद्योग का विक्रय मूल्य संपूर्ण क्षति अवधि के दौरान इसकी बिक्री लागत से कम रहा है जिसके कारण वित्तीय हानि हुई है।
- vii. घरेलू उद्योग के उत्पादन, क्षमता उपयोग और बिक्री जैसे सभी प्रमुख मात्रा मापदंडों में जांच अवधि में गिरावट आई है। जांच अवधि में क्षमता का उपयोग उल्लेखनीय रूप से बहुत कम रहा है और घरेलू उद्योग को जांच अवधि के दौरान काफी कम उपयोग वाली क्षमता के साथ छोड़ दिया गया है, जबकि यह तर्क दिया गया है कि घरेलू उद्योग अकेले भारतीय मांग को पूरा नहीं कर सकता है।
- viii. डंप किए गए आयात के परिणामस्वरूप घरेलू को क्षति हुई है। चोट का मार्जिन सकारात्मक और महत्वपूर्ण है।
- ix. प्राधिकरण ने किसी अन्य कारक पर अन्य पक्षों द्वारा की गई दलीलों की जांच की है जिससे घरेलू उद्योग को नुकसान हो सकता है। ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि किसी अन्य कारक के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है। प्राधिकरण का निष्कर्ष है कि घरेलू उद्योग को क्षति संबद्ध देश से संबद्ध वस्तुओं के डंप किए गए आयात के कारण हुई है।
- x. जनहित के संबंध में यह नोट किया गया है कि एंटी-डंपिंग शुल्क आयात को प्रतिबंधित नहीं करता है, बल्कि केवल यह सुनिश्चित करता है कि आयात उचित कीमतों पर बाजार में प्रवेश करे। उपयोगकर्ताओं को उचित मूल्य पर विषय वस्तु आयात करने के लिए व्यापक विकल्प और स्वतंत्रता मिलती रहेगी, जिससे बाजार में बेहतर प्रतिस्पर्धा सुनिश्चित होगी।

116. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण ने पाया कि इस बात के पर्याप्त सबूत हैं कि विचाराधीन उत्पाद को डंप किए गए मूल्यों पर संबद्ध देश से भारत में निर्यात किया गया है और संबद्ध देश से संबद्ध उत्पाद की इस तरह की डंपिंग से घरेलू उद्योग को वास्तविक क्षति हुई है।

#### ड. सिफारिश

117. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी और सभी इच्छुक पार्टियों को सूचित किया गया था और घरेलू उद्योग, विषयगत देश के दूतावास, निर्यातकों, आयातकों और अन्य इच्छुक पार्टियों को डंपिंग, क्षति और कॉजल लिंक के पहलू पर सकारात्मक जानकारी प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था।
118. नियमों के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार डंपिंग, क्षति और कारण लिंक की जांच शुरू करने और संचालित करने के बाद, प्राधिकरण का मानना है कि विषयगत देश से विषय वस्तु की डंपिंग और परिणामी क्षति की घरेलू उद्योग के लिए भरपाई के लिए एंटीडंपिंग शुल्क लगाना आवश्यक है। इसलिए, प्राधिकरण 5 वर्ष की अवधि के लिए यहां वर्णित रूप और तरीके से विषयगत देश से विषय वस्तु के आयात पर निश्चित एंटीडंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करना आवश्यक समझता है।

119. नियमों के नियम 4(डी) और नियम 17(1)(बी) में निहित प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए प्राधिकरण डंपिंग के मार्जिन और क्षति के मार्जिन के बराबर एंटी-डंपिंग शुल्क लगाने की सिफारिश करता है ताकि घरेलू उद्योग को लगी चोट को दूर करें। तदनुसार, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम 7 में उल्लिखित राशि के बराबर निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क विषय वस्तु के आयात पर केंद्र सरकार द्वारा चीन पीआर में उत्पन्न या वहां से निर्यातित शुल्क तालिका के कॉलम 3 में वर्णित जारी की जाने वाली अधिसूचना की तारीख से पांच (5) वर्षों के लिए लगाए जाने की सिफारिश की जाती है।

#### शुल्क तालिका

क्र. सं.	शीर्षक	विवरण	उद्गम देश	निर्यात का देश	निर्माता	शुल्क की राशि	इकाई	मुद्रा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	83099020	इलेक्ट्रोलाइटिक टिन प्लेट (ईटीपी) सहित टिन प्लेट के आसानी से खुलने वाले सिरे, आयाम में 401 व्यास (99 मिमी) और 300 व्यास (73 मिमी) *	चीन पीआर	चीन सहित कोई भी देश	कोई	741	लाख पीसी.	यूएसडी
2	-वही -	-वही -	किसी भी देश के अलावा अन्य चीन पीआर	चीन पीआर	कोई	741	लाख पीसी.	यूएसडी

**\*नोट-1:** पीयूसी के दायरे में निम्नलिखित शामिल नहीं हैं;

- क) आसान खुले सिरे जो टिन प्लेट के अलावा अन्य सामग्रियों से निर्मित होते हैं, जैसे एल्यूमीनियम, टिन मुक्त शीट आदि।
- ख) किसी भी मेक/इनपुट सामग्री के 401 व्यास (99एमएम) और 300 व्यास (73एमएम) के अलावा अन्य आयाम वाले आसान खुले सिरे।
- ग) किसी भी बनावट और आयाम के आंशिक या छोटे एपर्चर के आसान खुले सिरे।
120. इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए आयात का पहुंच मूल्य सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) के तहत सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित मूल्यांकन योग्य मूल्य होगा और इसमें धारा 3, 8 बी, 9, 9 ए के तहत उक्त अधिनियम कर्तव्यों को छोड़कर सभी सीमा शुल्क शामिल हैं।
121. इस अंतिम निष्कर्ष में नामित प्राधिकारी के निर्धारण के खिलाफ अपील अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण (सीईएसटीएटी) के समक्ष की जाएगी।

अनन्त स्वरूप, निर्दिष्ट प्राधिकारी

**MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY****(Department of Commerce)****(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)****NOTIFICATION****FINAL FINDINGS**

New Delhi, the 28th March, 2024

**Case No. AD (OI)-1/2023**

**Sub: Anti-dumping investigation concerning imports of “Easy open ends of tin plate, including electrolytic tin plate (ETP), measuring 401 Diameter (99MM) and 300 Diameter (73MM) in dimension” originating in or exported from China PR.**

**A. BACKGROUND OF THE CASE**

**F. No. 6/1/2023-DGTR.**—1. M/s Easy Openends India Private Limited (an MSME unit) (hereinafter also referred to as “applicant” or “petitioner”) filed an application/petition seeking initiation of an anti-dumping investigation concerning imports of “Easy open ends of tin plate, including electrolytic tin plate (ETP), measuring 401 Diameter (99MM) and 300 Diameter (73MM) in dimension” (hereinafter also referred to as “Subject goods” or “Product Under Consideration” or “PUC”) originating in or exported from China PR (also referred to as “subject country”) before the Designated Authority (hereinafter also referred to as the “Authority”) in accordance with Customs Tariff Act, 1975 as amended from time to time (herein also referred to as the “Act”) and Customs Tariff (Identification, Assessment and Collection of Antidumping Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury) Rules, 1995 (hereinafter also referred to as the “Rules”).

2. The Authority, on the basis of a sufficient *prima facie* evidence submitted by the applicant, issued a public notice vide notification file no. 6/1/2023-DGTR dated 31<sup>st</sup> March, 2023, published in the Gazette of India, Extraordinary, initiating the subject investigation in accordance with Section 9A of the Act read with Rule 5 of the Rules to determine the existence, degree and effect of the alleged dumping of the subject goods originating in or exported from the subject country and to recommend the amount of anti-dumping duty (ADD), which if levied, would be adequate to remove the alleged injury to the domestic industry.

**B. PROCEDURE**

3. The procedure described herein below has been followed with regard to the subject investigation:

- a. The Authority notified the embassy of the subject country in India about the receipt of the present anti-dumping application before proceeding to initiate the investigation in accordance with Sub-Rule (5) of Rule 5 supra.
- b. The Authority issued a public notice dated 31<sup>st</sup> March, 2023 published in the Gazette of India Extraordinary, initiating an anti-dumping investigation concerning imports of the subject goods from the subject country.
- c. The Authority sent a copy of the initiation notification dated 31<sup>st</sup> March, 2023, to the embassy of the subject country in India, the known producers and exporters from the subject country, known importers, importer/user associations, the domestic industry, and other interested parties, as per the addresses made available by the applicant. The interested parties were advised to provide relevant information in the form and manner prescribed and make their submissions known in writing within the prescribed time-limit, in accordance with Rules 6(2) and 6(4) of the Rules.
- d. The Authority provided a copy of the non-confidential version of the application to the known producers/exporters and to the Government of the subject country, through its embassy in India in accordance with Rule 6(3) of the Rules supra.
- e. The embassy of the subject country in India was also requested to advise the exporters/producers from their country to respond to the questionnaire within the prescribed time limit. A copy of the letter and questionnaire sent to the producers/exporters was also sent to them along with the names and addresses of the known producers/exporters from the subject country.
- f. The Authority issued economic interest questionnaire (EIQ) to all interested parties and the concerned ministry on 05.04.2023. Response to EIQ was submitted by the domestic industry and interested parties.



- g. The Authority sent questionnaires to the following known producers/exporters in the subject country in accordance with Rule 6(4) of the AD Rules;
  - i. Fujian Xiangda Import and Export Co Limited
  - ii. Guangdong Enpack Packaging Co Limited
  - iii. Zhejiang Changhong Can End Making Co Limited
- h. In response, the following exporters/producers from the subject country filed exporter's questionnaire response;
  - i. Easy Open LID Industry Corp Yiwu
- i. Apart from the producer/exporters, submissions were made by "China Chamber of Commerce for Import and Export of Machinery and Electronic Products (CCCME)" also.
- j. The Authority sent importer's questionnaire to the following known importers/users of the subject goods in India calling for necessary information in accordance with Rule 6(4) of the Rule.
  - i. Rgsk Easy Pack Private Limited
  - ii. Hindustan Tin Works Limited
  - iii. Shetron Limited
  - iv. Ace Cans Mfg Co
  - v. J J Enterprise
  - vi. A J Packaging Limited
  - vii. CCL Products India Limited
  - viii. Karshni Packs Private Limited
  - ix. Patson Foods India Private Limited
  - x. Indus Coffee Private Limited
  - xi. Kaira Can Company Limited
  - xii. Vimal Agro Products Private Limited
  - xiii. Haldiram Foods International Private Limited
- k. In response, the following importers/users who have responded within stipulated and extended time period and filed importer's questionnaire response were considered:
  - i. JJ Enterprise
  - ii. Kaira Can Company Limited
  - iii. Shetron Limited
  - iv. AJ Packaging Limited
  - v. Hindustan Tin Works Limited
  - vi. Victory Food Specialities FZE
- l. The Authority specifically provided an opportunity to propose product control number (PCN), if any, for fair comparison of the PUC in the initiation notification dated 31<sup>st</sup> March, 2023 by stipulating time lines to make the proposals.
- m. In response to the PCN proposal, the applicant reiterated that the facts of the case do not necessitate any PCN construction as such and requested the Authority to consider a model-to-model comparison as proposed in the application. However, some of the other interested parties only requested for extension of time to submit comments on PCN proposal. Considering such request, additional time of one week up to 27.04.2023 was granted to make PCN proposals.
- n. Even though extension of time was granted to propose any PCN, no such proposals were submitted by any of the interested parties.
- o. In the absence of any specific PCN proposal by the interested parties other than domestic industry, information on record found to be relevant for a PCN has been examined and a PCN method has been

determined by the Authority and communicated to all the interested parties vide communication dated 8<sup>th</sup> May, 2023.

- p. Interested parties were requested to file the questionnaire response in accordance with the PCN notified within two weeks from the date of communication of PCN i.e. 8<sup>th</sup> May, 2023. Thereafter, request for additional time were made by the interested parties and considering such requests, an extension was granted upto 5<sup>th</sup> June, 2023 to file the responses/submissions.
- q. The Authority made available non-confidential version of the evidence presented/made by the various interested parties to the other parties by directing the parties to exchange such submissions via e-mail based on the list of interested parties relevant for the subject investigation made available to all relevant parties on the website of the DGTR.
- r. A request was made to the Directorate General of Commercial Intelligence and Statistics (DGCI&S) to provide the transaction-wise details of imports of the subject goods for the past three years, and the period of investigation, which was received by the Authority. The Authority has, relied upon the DGCI&S transaction-wise details of imports data for computation of the volume of imports and its analysis after due examination of the transactions.
- s. The non-injurious price (NIP) has been determined based on the cost of production and the cost to make & sell the subject goods in India based on the information furnished by the domestic industry on the basis of Generally Accepted Accounting Principles (GAAP) and Annexure–III to the anti-dumping Rules so as to ascertain whether anti-dumping duty lower than the dumping margin would be sufficient to remove injury to the domestic industry.
- t. The period of investigation for the purpose of the present anti-dumping investigation is from 1st January 2022 to 31st December 2022 (12 months). The injury investigation period has, however, been considered as the period from 1<sup>st</sup> April 2019-31<sup>st</sup> March 2020, 1<sup>st</sup> April 2020-31<sup>st</sup> March 2021, 1<sup>st</sup> April 2021-31<sup>st</sup> March 2022 and the POI.
- u. Desk verification/verification of the information provided by the applicant, responding producer and exporter from the subject country to the extent deemed necessary, was carried out by the Authority. Only such verified information with necessary modification/rectification, wherever applicable, has been relied upon for the purpose of present notification.
- v. In accordance with Rule 6(6) of the Rules, the Authority also provided opportunity to all interested parties to present their views orally in a hearing held on hybrid mode on 21<sup>st</sup> July, 2023. All the parties who had attended the oral hearing were provided an opportunity to file written submissions by 28<sup>th</sup> July, 2023, followed by rejoinders, if any by 4<sup>th</sup> August, 2023.
- w. The submissions made by the interested parties during the course of this investigation so far, to the extent supported with evidence and considered relevant to the present investigation, have been appropriately considered and addressed by the Authority.
- x. Information provided by the interested parties on confidential basis was examined with regard to the sufficiency of the confidentiality claim. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims wherever warranted and such information has been considered as confidential and not disclosed to other interested parties. Wherever possible, parties providing information on confidential basis were directed to provide sufficient non-confidential version of the information filed on confidential basis.
- y. Wherever an interested party has refused access to, or has otherwise not provided necessary information during the course of the present investigation, or has significantly impeded the investigation, the Authority has considered such parties as non-cooperative and recorded the views/observations on the basis of the facts available.
- z. ‘\*\*\*’ in this final findings–represents information furnished by an interested party on confidential basis and so considered by the Authority under the Rules.
- aa. The exchange rate adopted by the Authority for the subject investigation is US\$1 = Rs.79.26.

#### C. PRODUCT UNDER CONSIDERATION AND LIKE ARTICLE

4. At the stage of initiation, the product under consideration and like article were defined as:

3. *The product under consideration (PUC) in the application is “Easy open ends of tin plate, including electrolytic tin plate (ETP), measuring 401 Diameter (99MM) and 300 Diameter (73MM) in dimension”.*

4. *The subject goods are essentially easy to open lids or open ends of cans/containers which are used in packaging of consumable and other items such as fresh and preserved foods and beverages etc. The subject goods cover easy open ends that are manufactured using tin plate including electrolytic tin plate (ETP) and are*

*full aperture or fully openable in nature and are normally lacquered and carry opening instructions printed on top side of the easy open ends/lid. The traditional lids to be used/stamped to the cans/containers in packaging requires an external tool or force to open the lid, whereas, easy open ends can be seamlessly opened by pulling the ring stamped on to the outer side of the easy open end itself.*

*5. Also, the subject goods cover only easy open ends that measures 401 Diameter (99MM) and 300 Diameter (73MM) in dimension wherein 401 Diameter stands for 4 inches and 1/16th of an inch and 300 Diameter stands for 3 inches. These dimensions are in line with the universal dimensions followed by can/container and lid producers at large to ensure proper seaming of lids with the cans/containers. The product is generally traded by quoting the Diameter of the product and instances of mentioning dimensions also in millimeter (MM) terms are very often.*

*6. For clarity, the following are not covered in the scope of PUC;*

*a) Easy open ends that are manufactured of materials other than tin plate, such as aluminium, tin free sheet etc.*

*b) Easy open ends having dimensions other than 401 Diameter (99MM) and 300 Diameter (73MM) of any make/input material.*

*c) Easy open ends of partial or short aperture of any make and dimension.*

*7. Product under consideration falls under Miscellaneous articles of base metal under Chapter 83 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under customs sub-heading no. 8309 90 20 which is not a dedicated classification for PUC. However, the applicant has claimed that there is a possibility of import of the product under consideration under any other heading / tariff item. The HS classification for the product under consideration is only indicative and in no way binding upon the product scope.*

#### **LIKE ARTICLE**

*8. The applicant has claimed that there is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported from the subject country. Both the goods are comparable in terms of physical & chemical characteristics, functions & uses, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The Authority notes that the two products are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two products interchangeably. Therefore, for the purpose of the present investigation, the subject goods produced by the domestic industry are being treated as 'like article' to the subject goods imported from the subject country.*

#### **C.1. Submissions by the other interested parties**

5. The following submissions have been made by the other interested parties with regard to the product under consideration and like article:
  - i. The PUC covers only EOE's of 401 and 300 Dia made from tinplate. However, the petitioner produces other diameters of EOE's and also EOE's of aluminium. It is not clear why all such EOE's are not covered in the PUC.
  - ii. The products manufactured by the applicant are not like article as it is of an inferior quality. Hence, the users have to import.
  - iii. The applicant uses Batch Annealing (BA) tinplate manufacturing process to manufacture the PUC while producers / exporters use Continuous Annealed (CA) tinplate manufacturing process. The tinplate (raw material for PUC) manufactured using CA technology is of superior quality as compared to BA technology tinplate used by the applicant.

#### **C.2. Submissions of the domestic industry**

6. The domestic industry has submitted as follows with regard to the product under consideration and like article:
  - i. The product under consideration (PUC) is "Easy open ends of tin plate, including electrolytic tin plate (ETP), measuring 401 Diameter (99MM) and 300 Diameter (73MM) in dimension" originating in or exported from China PR.
  - ii. The subject goods are essentially easy to open lids or open ends of cans/containers which are used in packaging of consumable and other items such as fresh and preserved foods, beverages, pan masala etc. The subject goods are also known as lids for cans, EOE's, Easy Opens or Ring Pulls in the market parlance.
  - iii. The following are not covered in the scope of PUC; a) Easy open ends that are manufactured of materials other than tin plate, such as aluminium, tin free sheet etc., b) Easy open ends having dimensions other than 401 Diameter (99MM) and 300 Diameter (73MM) of any make/input material, c) Easy open ends of partial or short aperture of any make and dimension.

- iv. With regard to any import of the product without the ring/tap attached to the lid, the ring (the ring to open the lid) is an integral and inherent part of the PUC and in the absence of a ring, the purpose of the EOE will not be met and even definition would be incomplete. The applicant is not aware of any import of EOE without the ring and the ring being placed on the subject goods after import into India at this juncture. However, petitioner cannot rule out any such activities in case of levy of any duties.
- v. With regard to the chances of circumventing the diameters in question i.e. 401 and 300 Diameters, the Diameters concerning EOE are sacrosanct and are universally followed by can manufacturers also. Hence, such chances can be ruled out at this juncture.
- vi. There is no known difference in the subject goods produced by the domestic industry and the subject goods imported from the subject country. Both the goods are comparable in terms of physical & chemical characteristics, functions & uses, pricing, distribution & marketing, and tariff classification of the goods. The two products are technically and commercially substitutable. The consumers have used and are using the two products interchangeably. The reason for preference for imported material is nothing, but the dumped prices offered by the exporters.
- vii. It has been contended that the products manufactured by the applicant are not like article as it is of an inferior quality and the applicant uses Batch Annealed (BA) tinplate to produce the PUC while producers / exporters use Continuous Annealed (CA) tinplate to produce the PUC and the tinplate (raw material for PUC) manufactured using CA technology is of superior quality as compared to BA technology. The contentions are without any basis.
- viii. Batch Annealing (BA) technology and Continuous Annealing (CA) technology pointed out pertains to the production of raw material to produce the subject goods i.e., tin plate and not to the manufacturing of the subject goods. Difference in technology to produce raw material is inconsequential on the subject goods nothing is brought on to show that the difference in technology to produce raw material has impacted the comparableness of the products in terms of physical properties, interchangeability or uses of the imported EOE and EOE produced by the domestic industry.
- ix. Mere difference in technology or input/production process does not make the product different, unless there is a change in the specifications in the final product to the extent that they do not remain interchangeable or substitutable. In the present matter, imported EOE and that produced domestically remain interchangeable or substitutable and any difference in technology to produce tin plate has no impact on EOE.
- x. The manufacturing technology and process adopted by the applicant and the producers in the subject country to produce the subject goods are comparable and it is not even claimed that the technology to produce the subject goods are different. When such manufacturing technology and process adopted to manufacture the subject goods are comparable, the difference in technology to produce the raw material to produce the PUC has no meaning or any material effect on the subject goods.
- xi. The response filed by the exporter says that there is no difference from the product under consideration in any way or has specific characteristics or uses which single out the product them. When the foreign producer has not claimed or substantiated any difference in the subject goods that produced and exported by them and that produced and sold by the applicant on account of technology or quality in the relevant part of the exporter questionnaire response, importers making claims about differences in the imported and domestically produced EOE has no evidentiary value.
- xii. The Authority has issued final findings in anti-dumping investigation concerning imports of Coated/Plated Tin Mill Flat Rolled Steel Products originating in or exported from the European Union, Japan, USA and Korea RP on 17th June, 2020 [F. No.6/9/2019-DGTR] and the said finding has not taken cognizance of any such technology involved in the production of tin plate in India and their importance in the end uses of tin plate. The PUC clearly covers subject goods of tin plate irrespective of the technology to produce tin plate since the technology to produce tin plate is not a determining factor in the production and consumption of EOE.
- xiii. The users who bought the subject goods from the applicant have never shown any preference for EOE produced from tin plate of a particular technology. EOE were produced and sold based on the properties, end user preferences and features relevant for the EOE. There has been no instance of consumer preferring EOE made of tin plate of CA technology alone and rejecting EOE made of tin plate from BA technology produced by the applicant. Also, the import data do not differentiate between EOE made from tin plate of BA or CA technology as the technology to produce tin plate is not any factor to describe the EOE which is a value-added product of tin plate irrespective of the technology involved in production of tin plate.

- xiv. Also, the Manual of Operating Practices for Trade Remedy Investigations published by the Authority says that the important characteristics required to be examined while determining “like article” are similarity of physical characteristics, end use of the product, consumer preference and tariff classification etc. Two products may look different in terms of technology of production, design, style, quality, etc., yet they could be considered alike for the purpose of an investigation as long as they are functionally substitutable and replaceable in the market, due to similar end use, and consumer preference.
- xv. The Authority in a plethora of cases has ruled that neither the difference in technology nor the alleged quality differences can per se be a ground for exclusion of any product or for the purposes of either the dumping margin or the injury analysis and technology or the process used to manufacture the subject goods is of little significance as long as the resultant product is the same. It has also been ruled that difference in process or technology cannot be considered as a ground to differentiate the product as the end uses of the imported product and that domestically produced are same and consumers are using the two interchangeably.
- xvi. The applicant has been purchasing tin plate from The Tinplate Company of India Limited (BA Technology) and the tin plate offered by the company meets the requirements to produce EOE. The Company in particular claims that they cater to about 47% demand for tin plate for processed food application where easy open ends also fall and it cannot be believed that processed food industry uses tin plate of poor quality. Thus, the contention that EOE made from BA technology tin plate is inferior in quality has no meaning.
- xvii. It is evident that difference in technology cannot be considered as any ground to differentiate the imported and domestic products as long as the PUC and like article have same end uses and are used interchangeably. When such has been the position on differences in the technology to produce the PUC itself, the alleged difference in technology to produce the raw material to produce the PUC has no tenability at all.
- xviii. When the applicant started production in 2016, Tin Plate Company of India was the only source available to buy tin plate domestically even though there are more producers of tin plate in India now even with CA technology. But the concern as stated is that the dumped imports are preventing price increases by the applicant to more reasonable levels.
- xix. Also, any alleged difference in quality is also not relevant in the determination of like article. The allegation that the EOE produced by the applicant are of inferior quality has no basis. There have not been any serious quality issues raised by any of our customers so far and products have been well accepted by the users. The domestic industry ensures that even the minutest concerns of the users are addressed and there has been no instance that the domestic industry lost order on account of any persisting quality concerns. The EOE produced and sold by the domestic industry are of good quality and are at par with the best products available in the world.
- xx. EOE produced by the applicant are used by reputed companies including MNCs in the food and consumables industry and such customers would not have placed repeat orders had the quality been inferior. It is not the quality but the dumped price which is attracting the importers to China PR and it is essential that some level playing field is ensured so that the domestic industry can also survive in the market by catering to the common customers in India.
- xxi. Finding by the Authority in the matter of Certain Flat Rolled Products of Aluminium that quality is not a factor for assessing the scope of the PUC and the difference in quality is not a sufficient justification for the exclusion of a product.
- xxii. The aspect of quality not being a factor for exclusion of a product from the scope of like article has been dealt with by the Hon’ble CESTAT in DSM Idemitsu Limited vs Designated Authority in which it was held that difference in quality will not make an article as different and Designated Authority was right in observing 'that the fact that qualities may be different, does not imply that the imported product and the domestic are not like articles'.
- xxiii. Tin plate purchased by the applicant hold quality accreditations. ETP- IS 1993/ISO 11949, Equivalent to JIS G 3303, EN 10202, ASTM A 624, ETP (SR), ASTM A 626- ETP (DR) seems to be the quality accreditations which the tin plate supplier holds which is relevant for EOE also. Thereafter, EOE produced from tin plate as per the applicable quality standards to produce tin plate cannot be of any inferior standards and the observation of the Authority in Anti-Dumping investigation concerning imports of Certain Flat Rolled Products of Aluminium originating in or exported from China PR- F. No. 6/27/2020-DGTR that if the government has prescribed certain standards of a product and the product supplied by the domestic industry conforms to such standards, the consumers cannot contend that the product type produced by the domestic industry does not meet the desired standards.

- xxiv. When tin plate bought by the applicant has been produced as per the standards prescribed for producing tin plate, EOE, a value-added product produced using such tin plate, cannot become of poor quality or unusable quality by the users on account of poor quality of tin plate.
- xxv. The domestic industry considers tin plate and aluminum EOE as two distinct products and hence aluminum EOE is not included in the scope of present application. EOE of aluminum and tin plate are different in terms of physical properties, basic raw materials, end uses, pricing etc., and EOE of tin plate and aluminum are not interchangeably used and must be treated as distinct products within the meaning of Rule 2 (d). Also, there has been no production of 307 Dia during the POI.

### C.3. Examination by the Authority

7. The product under consideration (PUC) in the present investigation is *“Easy open ends of tin plate, including electrolytic tin plate (ETP), measuring 401 Diameter (99MM) and 300 Diameter (73MM) in dimension”*.
8. The subject goods are essentially easy to open lids or open ends of cans/containers which are used in packaging of consumable and other items such as fresh and preserved foods and beverages etc. The subject goods cover easy open ends that are manufactured using tin plate including electrolytic tin plate (ETP) and are full aperture or fully openable in nature and are normally lacquered and carry opening instructions printed on top side of the easy open ends/lid. The traditional lids to be used/stamped to the cans/containers in packaging requires an external tool or force to open the lid, whereas, easy open ends can be seamlessly opened by pulling the ring stamped on to the outer side of the easy open end itself.
9. Also, the subject goods cover only easy open ends that measures 401 Diameter (99MM) and 300 Diameter (73MM) in dimension wherein 401 Diameter stands for 4 inches and 1/16th of an inch and 300 Diameter stands for 3 inches. These dimensions are in line with the universal dimensions followed by can/container and lid producers at large to ensure proper seaming of lids with the cans/containers. The product is generally traded by quoting the Diameter of the product and instances of mentioning dimensions also in millimeter (MM) terms are very often.
10. It is further clarified that the followings are not covered in the scope of PUC;
  - a) *Easy open ends that are manufactured of materials other than tin plate, such as aluminium, tin free sheet etc.*
  - b) *Easy open ends having dimensions other than 401 Diameter (99MM) and 300 Diameter (73MM) of any make/input material.*
  - c) *Easy open ends of partial or short aperture of any make and dimension.*
11. Product under consideration falls under miscellaneous articles of base metal under Chapter 83 of the Customs Tariff Act, 1975 and further under customs sub-heading no. 8309 90 20 which is not a dedicated classification for PUC. The HS classification for the product under consideration is only indicative and in no way binding upon the product scope.
12. It is also noted that though there has been no proposal for any PCN methodology from any of the interested parties even after providing adequate opportunities, the Authority vide communication dated 8th May, 2023 determined a PCN methodology considering the significant variation between the prices of the PUC of 401 and 300 diameter. Accordingly, the diameter of the product covered i.e., 401 Diameter (99MM) and 300 Diameter (73MM) has been considered as the basis to determine the PCN relevant for determination of dumping and injury margins and the PCN determined has been as follows;

Sl. No.	Diameter	PCN
1.	401 Diameter (99MM)	401
2.	300 Diameter (73MM)	300

13. The Authority has also considered the arguments of the interested parties regarding the scope of the PUC and has examined the same based on the relevant information available on record and by calling further from the interested parties as found necessary.
14. With regard to the contention of the opposing parties that the petitioner produces other diameters of EOE and also EOE of aluminium and all such OE are not covered in PUC, the Authority notes that the scope of the PUC is limited to easy open ends of tin plate, including electrolytic tin plate (ETP), measuring 401 Diameter (99MM) and 300 Diameter (73MM) in dimension. Also, the imported product and that produced and sold by the petitioner are also comparable in terms of basic product properties, uses, raw materials, manufacturing process etc.
15. With regard to the issue of the quality of the goods manufactured by the domestic industry, the Authority notes that quality, per-se is not an issue in an anti-dumping investigation to contemplate exclusion of a product from

the scope of the PUC. The Hon'ble CESTAT in DSM Idemitsu Limited vs Designated Authority upheld that the fact that qualities may be different, does not imply that the imported product and the domestic are not like articles. It is noted from the submissions that the users have been procuring the subject goods from the applicant and also from the subject country and the applicant has submitted that there has been no instance of rejection of the subject goods produced by the applicant by the users for quality issues.

16. With regard to the contention that the applicant uses tinplate produced by using Batch Annealing tinplate manufacturing process whereas the imported products are of tinplate produced through Continuous Annealing technology which is claimed to be superior, the Authority notes that the difference in technology as contended by the opposing parties pertains to the production of tinplate which is only a raw material to produce the subject goods and not to the subject goods itself. Also, it is not demonstrated that the difference in the technology to produce the raw material has rendered the EOE's produced from such raw materials two incomparable products in terms of end uses. The subject goods produced and sold by the domestic industry and that imported from the subject country are noted as functionally substitutable and replaceable in the market, due to similar end use, and consumer preference. It has also been claimed by the applicant, that the applicant procured tinplate from one of the largest producers of tinplate in India i.e. The Tin Plate Company of India and the evidences shows that the tinplate supplied by the said producer meets the quality requirements to produce tinplate. In view of the same, difference in technology to produce raw material as claimed cannot be treated as any ground to distinguish between imported product and that produced by the applicant.
17. With regard to like article, Rule 2(d) of the Anti-Dumping Rules provides as under:  
*"like article" means an article which is identical or alike in all respects to the article under investigation for being dumped in India or in the absence of such article, another article which although not alike in all respects, has characteristics closely resembling those of the articles under investigation;*
18. After considering the information on record, the Authority holds that the product under consideration produced by the domestic industry and imported from the subject country are comparable in terms of physical & chemical characteristics, functions & uses, product specifications, pricing, distribution & marketing and tariff classification of the goods. The goods produced by the domestic industry and imported from the subject country are like articles in terms of the Rules. The two are technically and commercially substitutable. Thus, the Authority holds that the subject goods produced by the domestic industry are like article to the product under consideration imported from the subject country within the scope and meaning of Rule 2(d) of Anti-Dumping Rules.

#### **D. SCOPE OF THE DOMESTIC INDUSTRY AND STANDING**

##### **D.1. SUBMISSION OF THE OTHER INTERESTED PARTIES**

19. The submissions on the aspect of the domestic industry and the standing as filed by other interested parties are as follows;
  - i. The applicant has admitted in its application that it has imported the product under consideration from China PR. In such a case, the Authority should not consider the applicant as a domestic industry in terms of Rule 2(b) and terminate the investigation outright.

##### **D.2. Submissions made by the domestic industry**

20. The submissions made by the domestic industry with regard to scope of the domestic industry & standing are as follows:
  - i. The application on the basis of which the present investigation was initiated has been filed M/s. Easy Openends India Private Limited (an MSME unit). The applicant is the sole producer of the subject goods in India. The applicant is also not related to any exporter or producer of the subject goods in the subject country or any importer of the PUC in India.
  - ii. There has been one instance of import of 401 DIA EOE (PUC) in the POI as decided at the time of initiation. The miniscule import made was for assessing the factual position of import and the products offered by the exporters at dumped levels. The applicant has no plan to continue the import nor continued it and its credentials as a producer is still intact and the import made was only an exception to holistically assess the situation of large increase in dumped products. Nevertheless, the import made was very insignificant which should not lead to disqualification of the applicant as an eligible domestic industry.
  - iii. It would be evident that the imports made by the applicant is less than \*\*\*% of the total imports of the subject goods from China PR into India and such import is not significant. To substantiate the claim that the imports made by the applicant is not significant, reliance is placed on a decision by the Authority in the matter of Anti-dumping Investigation concerning imports of "Natural Mica based Pearl Industrial Pigments excluding cosmetic grade" originating in or exported from China PR. [F. No. 6/8/2020 - DGTR,

8th June, 2021] wherein imports by the domestic industry in the said matter has been about 5% of total imports from the subject country.

- iv. The petitioner fulfils the criteria under Rule 2 (b) to be considered as the domestic industry concerning the subject goods.

### **D.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY**

21. Rule 2 (b) of the AD rules defines the “domestic industry” as under:

*“(b) “domestic industry” means the domestic producers as a whole engaged in the manufacture of the like article and any activity connected therewith or those whose collective output of the said article constitutes a major proportion of the total domestic production of that article except when such producers are related to the exporters or importers of the alleged dumped article or are themselves importers thereof in such case the term ‘domestic industry’ may be construed as referring to the rest of the producers”*

22. It is noted that the application has been filed by M/s. Easy Openends India Private Limited and the certification as has been submitted shows that the applicant is an MSME unit. The applicant has claimed that they are the sole producer of the subject goods in India and this claim of the applicant is not rebutted with counter facts by any of the other interested parties. In view of the same, the applicant is considered as the sole producer of the subject goods in India.
23. It is further noted that the applicant is not related to any exporter or producer of the subject goods in the subject country or any importer of the PUC in India. However, it is noted that the applicant has imported the subject goods from the subject country during the POI as admitted in the application.
24. The Authority considered the arguments of the interested parties regarding the imports made by the applicant and notes that the imports made by the applicant during the period of investigation, accounts for \*\*\*% of the total demand and \*\*\*% of the total imports into India which is not significant so as to disentitle the applicant from being treated as domestic industry.
25. Therefore, considering the information on record, the Authority holds that the applicant/petitioner as eligible domestic industry within the meaning of Rule 2(b) of the Rules, and that the application satisfies the criteria of standing in terms of Rule 5(3) of the Rules.

### **E. ISSUES ON CONFIDENTIALITY**

#### **E.1. Submissions made by other interested parties**

26. The following submissions have been made by other interested parties with regard to confidentiality issues:
- i. The applicant has claimed confidentiality in gross violation of Trade Notice No. 10/2018 dated 07 September, 2018 and Rule 7 of the Anti-dumping Rules.
- ii. NIP not provided +-10% and details of self-imports as a % of total imports +-5% not provided in violation of the trade notice.
- iii. The decision of the Hon’ble Supreme Court of India with respect to confidentiality in anti-dumping duty cases in *Sterlite Industries (India) Ltd. v. Designated Authority* 2003 (158) E.L.T. 673 (S.C.) is directly applicable in the present case. In the said case, on the issue of treatment of confidential information, the Hon’ble Supreme Court held that confidentiality was not to be granted automatically and should be based on thorough scrutiny.
- iv. It appears in the present case that the claim for confidentiality has been granted automatically without a thorough evaluation of the information to which the confidentiality claim pertains.
- v. The excessive confidentiality in this case has violated the rights of the interested parties to defend their interest properly while violating the law declared by the Supreme Court, CESTAT judgments, the Authority’s own Trade Notice as well as the principles of natural justice.
- vi. The applicant has sourced import data from secondary source and the data cannot be held confidential as it pertains to exports made by the Chinese exporters.

#### **E.2. Submissions made by the domestic industry**

27. The following submissions have been made by the domestic industry with regard to confidentiality issues:
- i. The opposing parties have resorted to excessive confidentiality in this matter which has limited that ability of the applicant to offer adequate rebuttals on their claims.



- ii. Importers/users have not provided any indexed summary of information pertaining to volume and price detail of EOE's imported. This is when the applicant has provided a summary of its injury parameters in an indexed form.
- iii. The applicant has clearly quantified and provided a range of its claims on the impact of anti-dumping duty on down-stream users and the details of the claims also have been provided so that it is easily understood by everyone. But the response by the importers/users have held such claims confidential even without a summary.
- iv. The NCV response does not allow the applicant to understand the role of PUC in their product so that effective rebuttals can be provided on claims of any impact of anti-dumping duty.
- v. Involvement of any other exporters in the exports by Easy Open LID Industry Corp Yiwu to India needs to be checked in view of the excessive confidentiality adopted in the response.
- vi. Though the applicant has claimed confidentiality on transaction wise import data as permissible in the rule, a summary of the same showing volume and value of the imports for the entire injury period has been provided to the other interested parties. Hence, there has been no violation of confidentiality provision.
- vii. It has been contended that the applicant claimed excess confidentiality in violation of TN 10/2018 dt. 07 September 2018). The contention has no basis as the applicant claimed certain information as confidential by adducing valid reasons as permissible under the rule read with the settled jurisprudence in this regard and a summary wherever possible has been provided to other parties.

### **E.3. Examination by the Authority**

28. With regard to confidentiality of information, Rule 7 of the Rules provides as follows:

*"Confidential information: (1) Notwithstanding anything contained in sub-rules (2), (3) and (7) of rule 6, sub-rule (2) of rule 12, sub-rule (4) of rule 15 and sub-rule (4) of rule 17, the copies of applications received under sub-rule (1) of rule 5, or any other information provided to the designated authority on a confidential basis by any party in the course of investigation, shall, upon the designated authority being satisfied as to its confidentiality, be treated as such by it and no such information shall be disclosed to any other party without specific authorization of the party providing such information.*

*(2) The designated authority may require the parties providing information on confidential basis to furnish non-confidential summary thereof and if, in the opinion of a party providing such information, such information is not susceptible of summary, such party may submit to the designated authority a statement of reasons why summarization is not possible.*

*(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), if the designated authority is satisfied that the request for confidentiality is not warranted or the supplier of the information is either unwilling to make the information public or to authorise its disclosure in a generalized or summary form, it may disregard such information."*

29. The Authority notes that the information provided by the domestic industry and other interested parties on confidential basis was examined with regard to sufficiency of the confidentiality claims in accordance with Rule 7 of the Rules. On being satisfied, the Authority has accepted the confidentiality claims, wherever warranted, and such information has been considered confidential.
30. With regard to the contention that the petitioner has not provided range of their import as a percentage of total imports into India and a range of NIP, it is noted that such information is disclosed to the extent permissible under Rule 7 in this notification.

## **F. MISCELLANEOUS SUBMISSIONS**

### **F.1. Submissions made by the other interested parties**

31. The following submissions have been made by the exporter/ producer/ other interested parties with regard to various issues:
- i. The respondents earnestly request the Authority to thoroughly examine the project report of the applicant to understand the various parameters and analysis which was considered to arrive at a decision regarding the viability of the PUC business.
  - ii. As claimed by the applicant during the hearing, its capacity is only 60 million pieces. Accordingly, it is amply clear that the applicant can cater to only around 15% of the Indian demand.
  - iii. The applicant has classified manufacturing and salary / wages into fixed and variable expenses. We apprehend that the objective of the applicant is to get their certain manufacturing and salary / wages accepted as it is by claiming the same as variable i.e., without optimization.

- iv. Initiation of the present investigation is totally baseless as the petitioner has not brought forth any substantive evidences to establish the conditions for initiation.
- v. Import data considered by the applicant is from unreliable sources and the Authority should have called in import data as per DGCI&S at the time of initiation.
- vi. Levy of anti-dumping duty will establish a monopoly of domestic producer which will not be in public interest.

### **F.2. Submission made by the domestic industry**

32. The following miscellaneous submissions have been made by the domestic industry:

- i. Even though the demand has been so robust and the capacity available with the applicant was not sufficient to meet the entire demand, the domestic industry could not increase its capacity utilization to any meaningful levels and the capacity utilization during the POI was very meagre in comparison to the demand in India.
- ii. The domestic industry should not have been left with huge unutilized capacities when the available capacity is not sufficient to meet the entire Indian demand. Thus, the contentions on demand supply gap have no merit and is only an alibi to justify dumping.
- iii. The domestic industry can cater to more Indian demand and there will be capacity additions should there be some level playing field established by arresting the dumped imports. It is a settled jurisprudence that the demand - supply gap cannot justify dumped imports and ruling of the Hon'ble CESTAT in DSM Idemitsu Ltd Vs DA matter in this regard is applicable in this matter also.
- iv. The anti-dumping duty has been imposed in numerous cases wherein the demand supply gap was found as very significant even in very recent findings. Thus, the present case is not about demand supply gap, but about the inability of the Indian producer to utilize its capacity to any prudent level even when the demand is very robust in India.
- v. The applicant had to rely on import data as per secondary available sources as the data as per DGCI&S could not be procured by it on account of regulatory reasons.
- vi. Submission of CCCME shows that CCCME has not shown their status as an interested party since CCCME has merely stated that they represent the interest of three parties. CCCME has not shown how many producers, exporters of the PUC are their members and a majority of them is being represented by CCCME. Until and unless CCCME shows its credentials as an interested party by satisfying the conditions of Rule, submissions of CCCME must not be taken on record as bona fide views and concerns.
- vii. The contention that the application filed by the lone producer in the country suffers from a host of defects is bereft of any merit and must be rejected. The application contained factually correct information on all aspects relevant for an anti-dumping investigation.
- viii. The contention that there is a need for thorough examination of the project report of the domestic industry and the primary reason for the applicant to put up an unviable project was some business arrangement which either did not materialize or fell apart is the cause of injury has no merit. The project report has no relevance in case of a claim of material injury since actual injury suffered by the domestic industry during the POI is the contentious issue in this case. It has been decided in Nippon Zion matter by Hon'ble CESTAT that the question of injury to domestic industry cannot be decided by assuming ideal conditions, but has to be decided on prevailing conditions though giving reasonable adjustments. When the actual injury suffered by the domestic industry during the POI along with injury information for the entire injury period is presented before the Authority, the project report has no role to play as contended by the importers.

### **F.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY**

33. The Authority has considered the views of the interested parties, as follows;

- i. With reference to the argument of demand-supply gap, the Authority considers that a gap in demand and supply cannot be a reason for depriving the domestic industry from seeking redressal against dumped imports causing injury. It is noted from the facts of the present case that the demand for the product during the POI was \*\*\* lakh pieces against which the production of the domestic industry has been \*\*\*lakh (capacity utilization at \*\*\*) pieces wherein the capacity available with the petitioner/domestic industry is noted as \*\*\* lakh pieces. Thus, the Indian production and the total available capacity was not sufficient to meet the entire Indian demand during the POI. The given capacity can meet about \*\*\*\*% of the Indian demand found during the POI.

- ii. However, in this regard, the Authority notes that substantial part of the available capacity for the product in India have been significantly underutilized during the POI as evident from the \*\*\*% capacity utilization by the domestic industry. Even though the present capacity is not sufficient to meet the current Indian demand, it was explained by the domestic industry that it can achieve much higher output from the current capacity itself, should there be better take off in the subject goods produced by the domestic industry.
- iii. Currently, the capacity is determined based on machine hours considered at 12 operational hours per day at the efficiency rate of \*\*\*% whereas the industry can operate almost 24 hours and the current operational efficiency is also more than \*\*\*% against the conservative estimate of \*\*\*% efficiency considered for the purpose of capacity determination. The domestic industry claims that in such a scenario, the actual output could be almost double of the current capacity in hand. Also, it is claimed during the spot verification that the domestic industry will add new production facility in a very short span of time in the land available with it in case of conducive market situations.
- iv. With regard to the contention that the application contains incorrect and inconsistent information with regard to injury parameters including basis of the claims on wages, it is noted that the profitability and other claims were subjected to verification and scrutiny, and only such verified data pertaining to the subject goods alone is considered in the present disclosure statement.
- v. With regard to the contention that anti-dumping duty will lead to monopoly of the petitioner and any such measures shall be against public interest, it is recognized that the imposition of anti-dumping duty might affect the price levels of the product manufactured using the subject goods and consequently might have some influence on relative competitiveness of this product. However, fair competition in the Indian market will not be reduced by the anti-dumping measure, particularly if the levy of the anti-dumping duty is restricted to an amount necessary to redress the injury to the domestic industry. On the contrary, imposition of anti-dumping measure would remove the unfair advantages gained by dumping practices, prevent the decline in the performance of the domestic industry and help maintain availability of wider choice to the consumers of the subject goods.
- vi. With regard to the contention that the import data considered by the applicant is from unreliable sources and the Authority should have called in import data as per DGCI&S at the time of initiation, it is noted that the applicant relied upon secondary source for import data as it could not procure the said data from DGCI&S. However, the Authority relied upon DGCI&S data at the time of initiation itself and such data is used for this final finding also.

**G. MARKET ECONOMY TREATMENT (MET), NORMAL VALUE, EXPORT PRICE & DETERMINATION OF DUMPING MARGIN**

**G.1. SUBMISSION OF OTHER INTERESTED PARTIES**

34. The following submissions have been made by the other interested parties concerning determination of normal value, export price and dumping margin: -
- i. After 11<sup>th</sup> December, 2016, any member country will no longer be able to derogate from the standard rules on the determination of the normal value included in Article-2 of the AD Agreement while dealing with imports from China PR.
  - ii. The Authority may grant “market economy status” to China PR based on the development of market economy of China PR, conduct any normal value calculation in accordance with Article 2 of the AD Agreement and accordingly apply the data on cost and price provided by the responding Company in its response for the determination of normal value.

**G.2. SUBMISSIONS MADE BY THE DOMESTIC INDUSTRY**

35. The following submissions have been made by the domestic industry:
- i. The dumping margin is not only above the *de-minimis* threshold but is also very significantly positive for the PUC as a whole and individually for the PCNs devised.
  - ii. China PR should be treated as a non-market economy country and normal value in case of the producers/exporters from China PR should be determined in accordance with para-7 read with para 8 (2) and (3) of Annexure I of the Rules. In terms of Para8 in Annexure 1 to the Rules, it is presumed that the producers of the subject goods in China PR are operating under non-market economy conditions. Therefore, normal value of the subject goods in China PR has been estimated in terms of Para 7 of Annexure 1 to the Rules.

- iii. The Authority may note that the responding exporter has not claimed market economy treatment by filing applicable questionnaire replies and, in this context, determination of normal value based on paras 7 and 8 of Annexure-I to the AD Rules is very essential.
- iv. Normal value could not be determined on the basis of the price in a market economy third country or constructed value in a market economy third country or the price from such a third country to other country, including India on any reasonable basis is available. Determination of normal value on such basis requires specific data which is not available. Even imports into India have been primarily from China PR and there are no major imports from any other country apart from miniscule import from UAE. In view of the same, the applicant has to claim normal value on the basis of price actually paid or payable in India, duly adjusted to include a reasonable profit margin.

### **G.3. EXAMINATION BY THE AUTHORITY**

#### **NORMAL VALUE**

36. Under Section 9A (1)(c), normal value in relation to an article means:

(i) *the comparable price, in the ordinary course of trade, for the like article when meant for consumption in the exporting country or territory as determined in accordance with the rules made under sub-section (6); or*

(ii) *when there are no sales of the like article in the ordinary course of trade in the domestic market of the exporting country or territory, or when because of the particular market situation or low volume of the sales in the domestic market of the exporting country or territory, such sales do not permit a proper comparison, the normal value shall be either-*

(a) *comparable representative price of the like article when exported from the exporting country or territory or an appropriate third country as determined in accordance with the rules made under subsection (6); or*

(b) *the cost of production of the said article in the country of origin along with reasonable addition for administrative, selling and general costs, and for profits, as determined in accordance with the rules made under sub-section (6):*

*Provided that in the case of import of the article from a country other than the country of origin and where the article has been merely transshipped through the country of export or such article is not produced in the country of export or there is no comparable price in the country of export, the normal value shall be determined with reference to its price in the country of origin.*

#### **Market Economy Status for Chinese Producers**

37. Article 15 of China's Accession Protocol in WTO provides as follows: "Article VI of the GATT 1994, the Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 ("Anti-Dumping Agreement") and the SCM Agreement shall apply in proceedings involving imports of Chinese origin into a WTO Member consistent with the following:

(a) *"In determining price comparability under Article VI of the GATT 1994 and the Anti-Dumping Agreement, the importing WTO Member shall use either Chinese prices or costs for the industry under investigation or a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China based on the following Rules:*

(i) *If the producers under investigation can clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to the manufacture, production and sale of that product, the importing WTO Member shall use Chinese prices or costs for the industry under investigation in determining price comparability;*

(ii) *The importing WTO Member may use a methodology that is not based on a strict comparison with domestic prices or costs in China if the producers under investigation cannot clearly show that market economy conditions prevail in the industry producing the like product with regard to manufacture, production and sale of that product.*

(b) *In proceedings under Parts II, III and V of the SCM Agreement, when addressing subsidies described in Articles 14(a), 14(b), 14(c) and 14(d), relevant provisions of the SCM Agreement shall apply; however, if there are special difficulties in that application, the importing WTO Member may then use methodologies for identifying and measuring the subsidy benefit which take into account the possibility that prevailing terms and conditions in China may not always be available as appropriate benchmarks. In applying such methodologies, where practicable, the importing WTO Member should adjust such prevailing terms and conditions before considering the use of terms and conditions prevailing outside China.*

(c) *The importing WTO Member shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (a) to the Committee on Anti-Dumping Practices and shall notify methodologies used in accordance with subparagraph (b) to the Committee on Subsidies and Countervailing Measures.*

(d) *Once China has established, under the national law of the importing WTO Member, that it is a market economy, the provisions of subparagraph (a) shall be terminated provided that the importing Member's national law contains market economy criteria as of the date of accession. In any event, the provisions of subparagraph (a)(ii) shall expire 15 years after the date of accession. In addition, should China establish, pursuant to the national law of the importing WTO Member, that market economy conditions prevail in a particular industry or sector, the nonmarket economy provisions of subparagraph (a) shall no longer apply to that industry or sector."*

38. It is noted that while the provision contained in Article 15 (a) (ii) have expired on 11.12.2016, the provision under Article 2.2.1.1 of WTO read with obligation under 15 (a) (i) of the Accession protocol require criterion stipulated in para 8 of the Annexure I of the Rules to be satisfied through the information/data to be provided in the supplementary questionnaire on claiming the market economy status. It is noted that since the responding producer/ exporter from China PR have not submitted response to questionnaire in the form and manner prescribed, the normal value computation is required to be done as per provisions of para 7 of Annexure I of the Rules.
39. Accordingly, the normal value for all the producers/exporters from the subject country have been determined as below.

#### **Normal Value for all Producers in China PR**

40. As none of the producers from China PR have claimed determination of normal value on the basis of their own data/information by providing the response in the prescribed questionnaires, the normal value has been determined in accordance with para 7 of Annexure I of the Rules which reads as under:

*In case of imports from non-market economy countries, normal value shall be determined on the basis of the price or constructed value in the market economy third country, or the price from such a third country to other countries, including India or where it is not possible, or on any other reasonable basis, including the price actually paid or payable in India for the like product, duly adjusted, if necessary, to include a reasonable profit margin. An appropriate market economy third country shall be selected by the designated authority in a reasonable manner, keeping in view the level of development of the country concerned and the product in question, and due account shall be taken of any reliable information made available at the time of selection. Account shall also be taken within time limits, where appropriate, of the investigation made in any similar matter in respect of any other market economy third country. The parties to the investigation shall be informed without any unreasonable delay the aforesaid selection of the market economy third country and shall be given a reasonable period of time to offer their comments.*

41. The Authority notes that normal value could not be determined on the basis of prices or constructed value of the product in an appropriate market economy third country or the prices from such third country to other countries, as the relevant information has neither been made available by the applicant or any interested party, nor is available with the Authority from any public source. Also, imports of the subject goods into India have been primarily from the subject country and there has been only some miniscule import from another country, therefore, it would not be feasible to consider price from market economy third country to India. Thus, the normal value can only be determined on the basis of price paid or payable in India, duly adjusted to include profit, which has been determined considering cost of production in India, after addition for selling, general & administrative expenses and reasonable profits. The Authority has, thus, constructed the normal value based on the optimized cost of production, considering prices of major raw materials and other costs paid in India, as per facts available and on the basis of PCN determined. Further, reasonable profit has been added to the cost of production for the purpose of determination of normal value. The normal value has been determined for all producers and exporters from China PR, and are mentioned in the dumping margin table.

#### **Determination of Export Price for cooperating producers and exporters**

##### **i. Export Price**

##### **a) Easy Open LID Industry Corp Yiwu**

42. From the exporters' questionnaire response of Easy Open LID Industry Corp Yiwu who is the producer cum exporter of the subject goods, it is noted that during the POI the Company has exported \*\*\* lakh pieces to India for value USD \*\*\* directly and indirectly through its unrelated company namely M/s Victory Food Specialities FZE and M/s Lamy International Limited exported \*\*\* lakh pieces to India for Value USD \*\*\*. It is found that the unrelated companies of the producer/exporter did not file any questioner responses before the Authority within the stipulated time. The Authority has verified the data and other supporting documents during desk verification. It is noted that the exports through unrelated companies during the POI, was \*\*\*% of the total

subject goods exported to India, which response has not been filled by the exporter/producer of the subject country.

43. It is also noted by the Authority that export to India made through such non-cooperative exporters is very significant in terms of total exports to India. Since no response has been filed by such other exporters, the value chain is not complete. Accordingly, the Authority does not accept the response of exporter/producer and determines the export price for the company on the basis of best available information and the same is shown in the Dumping Margin Table below.

**Determination of Normal Value and Export Price for all non-cooperating Producers and Exporters in China PR**

44. The normal value and export price for other non-cooperating exporters from China PR has been determined as per facts available taking into account the data examined for the co-operating exporters and the same is mentioned in the dumping margin table.

**Dumping Margin**

45. Considering the normal value and export price for the subject goods, the dumping margins for the subject goods from the subject country have been determined as follows;

**Dumping Margin Table**

S.No	Country	Producer	Diameter/ PCN	Normal Value US\$/Per Lakh Piece	Net Export Price US\$/ Per Lakh Piece	Dumping Margin US\$/ Per Lakh Piece	Dumping Margin %	Dumping Margin (Range %)
1	China PR	Any	300	***	***	***	***	15-25
			401	***	***	***	***	25-35
			Weighted Average	***	***	***	***	20-30

**H. INJURY ASSESSMENT AND CAUSAL LINK**

**H.1. Submissions made by other interested parties**

46. The submissions made by the other interested parties have been as follows:
- The applicant has made an attempt to project as if their problems are on account of the alleged dumping from China. This is not borne out from the facts of the case. The injury, if any, is clearly on account of other factors.
  - There has been significant decline in the NPUC production and export sales decreased to nil. It is apparent that the decline in the exports sales of the PUC and production of NPUC has adversely impacted other injury parameters and resulted in decline in the production of PUC, consequent decline in the capacity utilization, increased cost of production as decline in production directly increases the per unit fixed cost of production like depreciation, interest cost etc.
  - High cost of raw material is the primary cause of the alleged injury. Quality Control Order imposed mandatory BIS Certification on the major inputs of the industry like tinplate/tin-free steel. Since the imports of this principal raw material for EOE industry is facing this temporary hurdle.
  - The applicant is using rectangular sheet instead of scroll sheet, which results in the increase in tinplate consumption by 10% as compared to the usage of scrolled sheet being used by the producers / exporters from China PR.
  - The applicant does not have fully automated high speed production lines, which results into low productivity and high cost as compared to the integrated high-speed lines used by the producers / exporters from China PR.
  - The applicant is using Batch Annealed (BA) Tinplate while the producers / exporters from China PR are using Continuous Annealed (CA) Tinplate. Consistency in product quality is a concern in BA technology.
  - As per the market intelligence of the respondents, the applicant is using second-hand low speed old machines, which results in low productivity and high cost. This is the reason for injury, if any, suffered by the applicant.

- viii. The applicant does not have in-house lacquering and printing facilities, which increases their cost of production and decreases their competitiveness. The applicant gets its product lacquered and printed from the Jamshedpur plant of Tata while the applicant's factory is located in Noida.
- ix. Imports from China PR have moved in tandem with the demand and the imports have been to meet the demand.
- x. It can be noted that the increase in selling price has been higher than the increase in cost. This might have resulted in profits. Thus, there is no price effect during the POI.
- xi. There is steep decline in production of both PUC and non-PUC items. No reason given for decline in production of non-PUC.
- xii. It is not understood why the sales of the applicant declined when there has been increase in demand for the subject goods. The cause of injury must be some other reasons. Inventories declined during the POI in comparison to base year.
- xiii. The applicant has been in losses since its inception. Any losses prior to the commencement of production must be excluded. The applicant is producing PUC and non-PUC in the same plant. The Authority may examine whether cost of non-PUC is the cause of losses.
- xiv. There is no correlation between the net fixed asset figures, average capital employed, depreciation and installed capacity which needs examination. There is no correlation between annual report of the applicant and the economic parameters.
- xv. The products produced by the applicant cannot be used for critical segment. Therefore, more than 80% of the imports is in critical industry. The interest cost of the applicant has increased which needs explanation from the domestic industry.
- xvi. The domestic industry is relying on only one supplier of tin plate in India (The Tin Plate Company of India- TCIL) and the issue of the domestic industry is that the tin plate supplier earlier provided subsidies enabling the domestic industry to sell EOE's and the said company has now stopped subsidy and increased the rates and at the same time, Chinese cost has not increased could be the cause of injury.
- xvii. It seems that the increase in net fixed asset has been wrongly reported in order to claim abnormally high Non-injurious Price (NIP) and Constructed Normal Value (CNV) which directly affects the level of dumping as well as the injury margin.
- xviii. The Authority may modify the practice of applying 22% ROCE keeping in view the existing tax and interest rate structure.

## **H.2. Submissions made by the domestic industry**

47. The following submissions have been made by the domestic industry:
- i. The domestic industry suffered material injury as envisaged in the Rule, and volume and price injury of very significant nature stands demonstrated.
  - ii. Imports of the subject goods from the subject country has increased both in absolute terms as well as in relation to production and consumption in India by the POI over the base year and also in comparison to the immediate previous year.
  - iii. Market share of the dumped imports increased over the injury period and throughout the POI while that of the domestic industry declined in the POI as compared to the previous year and also the base year. Market share of the domestic industry was at the lowest level during the POI and that of the dumped imports has been at the highest level during the POI.
  - iv. Capacity of the domestic industry remained the same even though the demand for the product has seen robust increases. The domestic industry was left with significant unutilized capacities as the major market share was held by dumped imports.
  - v. Production, capacity utilization and sales of the domestic industry declined during the POI over the immediate previous year and also over the base year. Even the inventory level remained significant during the POI. This is when there have been increases in demand for the product in the country and the capacity in the country has been less than overall demand for the product.
  - vi. The landed prices have been at significantly positive undercutting levels and also created significant price suppression effects. The domestic industry was prevented from increasing the prices to reasonable levels so as to recover full cost and to earn reasonable profits.

- vii. The domestic industry suffered financial losses as reflected in negative PBT, negative PBIT, negative PBDIT and cash losses including negative ROI during the POI. In fact, ROI which has been on an improving trend between base year and immediate previous year once again turned significantly negative in the POI showing the very high magnitude of dumping and its effects on the domestic industry.
- viii. The level of employment with the domestic industry suffered as the domestic industry was forced to reduce employees with sharp fall in production. The domestic industry will have to cut more employees if the situation is not improving.
- ix. Growth can be noted as negative in majority of the injury parameters during the POI. In fact, growth which was positive on many parameters till the previous year once again turned very negative in the POI as an after effect of dumping of the subject goods from China PR. The ability of the domestic industry to raise capital investment has been significantly impacted and the investments already made have been suffering so seriously. Thus, both price and volume parameters show that the domestic industry has suffered material injury as envisaged in the AD Rules.
- x. It is also shown in the petition that the injury to the domestic industry has not been caused by any other factors and there is a direct causal relation between dumped imports and the injury suffered by the applicant.
- xi. With regard to the contention that lack of fully automated high speed production lines, which results into low productivity as compared to the integrated high-speed lines used by the producers / exporters from China PR, the production by the applicant is semi-automated and productivity of the domestic industry was not impacted because of lack of full automation.
- xii. With regard to the contention that use of obsolete technology (BA - Batch Annealing Processing), wherein the consistency in production/quality is a concern, it may be noted that the contention has no meaning. BA and CA technologies are available technologies to produce tin plates and not EOE's per se. Tin plate by BA technology is widely used in India for packaging purposes including food and tin plates bought by the applicant apparently met the standards prescribed to produce tin plates. The product of the domestic industry was never rejected because of the tinplate technology.
- xiii. With regard to the contention that usage of second-hand low speed old machines, resulting in low productivity, the applicant started the operations in 2016 with all brand-new machines and only a conversion press bought by the company in 2018 was not brand new which was primarily for enhancing the existing operational abilities of the company. Machine not being a brand new one does not mean that the machine was unfit for production or has been of inferior performance as being insinuated by the opposing parties. The said machine was bought because its technology complemented the production line very well and it was not prudent to go for a new machine at that juncture after testing the conditions of the machine. The machine has been delivering robust performance in the plant.
- xiv. With regard to the contention that no in-house lacquering and printing facilities, which increases the cost of production, it may be noted that the applicant had plans to integrate lacquering and printing line into its production line within the initial years of production itself. But further investments had to be delayed on account of aggressive dumping being practiced by the exporters from China PR. However, tin plate in lacquered and printed condition is available and the integration of these process will take place once the conditions of competition in the market is favorable by stopping injurious dumping.
- xv. With regard to the contention that the sole supplier of tin plate, which is using BA technology, which decreases the bargaining power of the applicant industry, and consequently, increases the cost of production, it may be noted that there is more than one producer of tin plate in India and the tinplate is available in India at competitive rates.
- xvi. With regard to the contention that the applicant does not have the yield advantage as they are not using scroll cut sheets, it may be noted that the raw material consumption factor for the entire injury period is provided and it can be noted that any anomalies in the use of raw material has not been the cause of injury to the applicant. Factor of usage of raw materials during the POI and previous years would show that the contention has no meaning.
- xvii. With regard to the contention that the capacity utilization of non-PUC also declined and no reason for this is provided by the domestic industry, the Authority may note that the information on capacity and capacity utilization of PUC is separately provided and trend of PUC alone is relevant in the injury examination since the injury pertaining to like article alone is relevant as per the AD Rules.
- xviii. With regard to the contention that why there has been a decline in sales when there has been an increase in demand and the decline in sales could be on account of other reasons, the Authority may note that it is precisely the case of the domestic industry that the domestic industry lost market share, was pushed to sit on idle/unutilized capacity by dumped imports and faced volume and price injury when there has been



- robust growth in demand for the product in the country and such adverse situation has been at play only on account of dumped imports taking place in the country in an unabated manner.
- xix. With regard to the contentions on injury based on annual report of the applicant procured from the website of Ministry of Corporate Affairs, the Authority may note that the data presented in the application and annual report are not the same due to other products as well.
  - xx. With regard to the contention that the interest cost of the applicant has increased which needs explanation from the domestic industry, the interest cost in absolute terms have significantly declined in the POI (about \*\*\*% decline as shown in proforma IVA) and the increase seen in interest cost on per unit production is on account of sharp decline in production during the POI which was on account of spike on dumped imports.
  - xxi. With regard to the contention that the average capital employed increased when there was no increase in capacity and there appears some error in the data, the Authority may note that the capital employed is not linked to capacity addition alone as contended and the existing capacity also require investments in plant and machinery etc. and in such a situation capital employed can vary even in the absence of any capacity enhancement since capital employed is the sum of net fixed assets and working capital.
  - xxii. With regard to the contention that the products by domestic industry can be used only for non-critical uses and people import from China PR for critical purposes, the supplies of easy open ends by domestic industry are made specifically for 'Retort Type' application where the filled can is put in retort conditions for 45-90 mins at a temp of 121 degrees as mentioned by our customers. domestic industry's products are fit for Retort to fill any critical products like fruits, vegetables, meat etc. In fact, retort test is the available method to assess whether the product is fit for critical use or not and our EOE's pass this test consistently and without any fail.
  - xxiii. With regard to the contention that the domestic industry is relying on only one supplier and the said supplier now stopped subsidy whereas Chinese cost has not increased, Chinese producers of EOE admittedly operate under non-market economy conditions and the statement that their cost has not increased has no persuasive value. Also, the tin plate company of India was the only supplier of tin plates when the domestic industry started production though there are more producers now and the domestic industry bought the tin plate from the tin plate Company of India based on market price of tin plate and the domestic industry never got any subsidy at any point in time. The real issue is how the exporters afford to sell EOE's at such low rates. Also, the price of tin plate offered to the domestic industry by TCIL moved in tandem with the price of HRC and other major raw material and it cannot be said that injury caused to the domestic industry has been on account of any unscrupulous pricing of raw material by TCIL.

### **H.3. Examination by the Authority**

48. The Authority has taken note of various submissions of the domestic industry and also opposing parties and has analyzed the same considering the facts available on record and applicable laws. The injury analysis made by the Authority hereunder *ipso facto* addresses the various submissions made by the interested parties.
49. Rule 11 of Antidumping Rules read with Annexure II provides that an injury determination shall involve examination of factors that may indicate injury to the domestic industry, “.... *taking into account all relevant facts, including the volume of dumped imports, their effect on prices in the domestic market for like articles and the consequent effect of such imports on domestic producers of such articles....*”. In considering the effect of the dumped imports on prices, it is considered necessary to examine whether there has been a significant price undercutting by the dumped imports as compared with the price of the like article in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices to a significant degree or prevent price increases, which otherwise would have occurred, to a significant degree. For the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry in India, indices having a bearing on the state of the industry such as production, capacity utilization, sales volume, inventory, profitability, net sales realization, the magnitude and margin of dumping, etc. have been considered in accordance with Annexure II of the Anti-Dumping Rules.
50. With regard to various contentions on injury and causal link, the substantial submission of the opposing parties is that the injury claimed by the applicant are on account of other reasons and the contention is not that the domestic industry did not suffer injury at all as envisaged in the Anti-dumping rules. It is argued that the quality issues of the product are mainly on account of difference in technology to produce the raw material to produce the subject goods i.e. tinplate has been the main cause of injury to the domestic industry. The Authority notes that neither the difference in such technology nor the alleged quality differences can per se be a ground for exclusion of any product for the purposes of either the dumping margin or the injury analysis. It is further noted that the domestic industry is supplying the subject goods to large numbers of customers and their quality has been accepted by the market as evident from the sales made by the domestic industry. In any case, none of the interested parties has provided any evidence to substantiate their claim that goods produced by the domestic industry with existing technology cannot be used by them due to quality and other technical issues. The

Authority, therefore, holds that the difference in technologies of producing law material for PUC cannot form the basis of any conclusion on injury as long as the products are technically and commercially substitutable.

51. It has also been contended that injury to the domestic industry is attributable to other reasons such as domestic industry's plant is not fully automated, domestic industry is using an old machine, domestic industry has no in-house lacquering and printing facilities, domestic industry is using imported raw materials/consumables, domestic industry does not have yield advantage as they are not using scroll cut sheets and domestic industry is reliable on only one supplier of tin plate in India, the Authority notes that the question of injury to domestic industry cannot be decided by assuming ideal conditions, but has to be decided on prevailing conditions though giving reasonable adjustments. The Authority has subjected the claims of the domestic industry including its financial data to strict scrutiny as per the Rules and only most efficient use of raw material, utilities etc. have been considered while deciding the injury.
52. Concerning the contention that high cost of raw material is the primary cause of the alleged injury, the Authority has noted the following. The major raw material in the production of the subject goods is tinplate and the domestic industry purchased tinplate in coated/lacquered and printed condition only from domestic supplier. It is further examined whether the alleged injury is on account of increase in cost of tinplate as contended based on the below given information;

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Key Raw Material Cost- Coated and Printed Tinplate	Rs Lakhs	***	***	***	***
Production	Pieces	***	***	***	***
Key Raw Material Cost- Coated and Printed Tinplate	Rs/Pc	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	102	136	146
Cost of Sales	Rs/Pc	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	82	103	136
Share of Tinplate cost in Total Cost	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	123	130	106
PBT (Profit before Tax)	Rs/Pc	(***)	(***)	(***)	(***)
Trend	Indexed	(100)	(16)	(22)	(124)
Landed Price (LV)	Rs/Pcs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	107	120	135

53. Selling price table as above shows that even when the share of tinplate, which is the key raw material, in total cost of the domestic industry declined between the POI and immediate previous year by 33 indexed points, the profits of the domestic industry declined by about 124 points. It is also noted in this regard that the landed price of imports during the POI has been lower than the cost of sales and also the selling price of the domestic industry. Thus, the drop in profits of the domestic industry during the POI cannot be linked to any increase in raw material cost alone as contended.
54. With regard to the contention of opposing parties that the cause of injury could be the fall in production of non-PUC items, the Authority notes that the injury being addressed in this statement concerns only the PUC.
55. With regard to the submission that the Authority must modify the practice of applying 22% ROCE keeping in view existing tax and interest rate structure, it is noted that the 22% ROCE allowed for the purpose of NIP determination is as per the consistent practices in the Department and such practice is considered as appropriate in the present matter also.

**i. Volume Effect of Dumped Imports on the domestic industry****a. Assessment of Demand/Apparent Consumption**

56. The demand or apparent consumption of the product in India as the sum of domestic sales of the Indian producer since there is only one producer and imports from all sources. The demand so assessed has increased during the injury period.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Imports from China PR (Subject Country)	Lakh Pcs	1,108	1,146	1,169	1,846
Trend	Indexed	100	104	106	167
Total Imports from Other Countries	Lakh Pcs	8	401	32	16
Total Imports into the Country	Lakh Pcs	1,115	1,547	1,201	1,862
Domestic Sales of Petitioner	Lakh Pcs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	202	205	96
Total Demand	Lakh Pcs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	146	118	159

57. As can be seen from the above table, the demand for the subject goods in India during the POI has increased over the base year and also over the immediate previous year. In fact, demand has been at the highest level during the POI with an increase of 59% between POI and the base year and 41% increase between POI and the immediate previous year.

**b. Import Volumes from subject country**

58. With regard to the volume of the dumped imports, the Authority is required to consider whether there has been a significant increase in dumped imports, either in absolute terms or relative to production or consumption in India.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Imports from China PR (Subject Country)	Lakh Pcs	1,108	1,146	1,169	1,846
Share of Subject Country in total Imports	%	99.31	74.09	97.36	99.14
Share of Other Countries in total imports	%	0.69	25.91	2.64	0.86
<b>Total</b>	<b>%</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>

59. It is seen that imports of the subject goods from the subject country has increased from 1108 Lakh PCs in the base year to 1846 Lakh PCs in the POI showing an increase in imports in absolute terms. In terms of percentage, the share of imports from subject country in overall imports into India which was 99.31% in the base year decreased slightly to 99.14% in the POI while the share of imports from other countries increased from 0.69% in the base year to 0.86% by the POI. Notably, major share in overall imports into India have been held by imports from subject country throughout the injury period.

**c. Subject Country Imports in relative terms**

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Total Imports from Subject Country	Lakh Pcs	1,108	1,146	1,169	1,846
Total Demand	Lakh Pcs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	146	118	159
Sales of domestic industry (DI)	Lakh Pcs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	209	226	92
Imports from subject country relative to Indian consumption	%	***	***	***	***

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Trend	Indexed	100	71	89	105
Imports from subject county relative to production of DI	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	50	47	181

60. It is noted that the share of dumped imports in relative terms to production and consumption in India has increased between the POI and the base year and also between the POI and the immediate previous year.

**ii. Price Effect of the imports on the domestic industry**

61. With regard to the effect of the dumped imports on prices, it is required to be analyzed whether there has been a significant price undercutting by the alleged dumped imports as compared to the price of the like product in India, or whether the effect of such imports is otherwise to depress prices or prevent price increases, which otherwise would have occurred in the normal course. The impact on the prices of the domestic industry on account of the dumped imports from the subject country has been examined with reference to price undercutting, price underselling, price suppression and price depression, if any. For the purpose of this analysis, the cost of production, net sales realization (NSR) and the non-injurious price (NIP) of the domestic industry have been compared with landed price of imports of the subject goods from the subject country.

**a) Price Undercutting**

62. For the purpose of price undercutting analysis, the net selling price of the domestic industry has been compared with the landed value of imports from the subject country. While computing the net selling price of the domestic industry all taxes, rebates, discounts and commissions have been deducted and sales realization at ex works level has been determined for comparison with the landed value of the dumped imports. Accordingly, the undercutting effects of the dumped imports from the subject country work out as follows:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Net Sales Realization	Rs./Pcs	***	***	***	***
Landed Price (LV)	Rs./Pcs	***	***	***	***
Price Undercutting	Rs./Pcs	***	***	***	***
Price Undercutting	% of NSR	***	***	***	***
Price Undercutting	Range	10-20	10-20	20-30	15-25

63. It is noted from the aforesaid table that imports from the subject country have been entering Indian market at a price below the net sales realization of the domestic industry, resulting in positive price undercutting. It is further noted that though the landed price of imports had increased over the years, the gap between landed price of dumped imports and NSR of the domestic industry remained very significant resulting in a price undercutting in the range of 15-25% during the POI.

**b) Price Suppression/Depression**

64. In order to determine whether the dumped imports are depressing the domestic prices and whether the effect of such imports is to suppress prices to a significant degree or prevent price increases which otherwise would have occurred in normal course, the changes in the costs and prices over the injury period, were compared in light of the landed price of dumped imports as below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Cost of Sales	Rs./Pcs	***	***	***	***
	Indexed	100	82	103	136
Domestic Selling Price	Rs./Pcs	***	***	***	***
	Indexed	100	110	138	141
Landed Value-Subject Country	Rs./Pcs	***	***	***	***
	Indexed	100	107	120	134

PBIT profit and loss per unit	Rs. /Pcs	(***)	(***)	(***)	(***)
	<i>Indexed</i>	(100)	(16)	(22)	(124)

65. It is observed that while the cost of production and selling price of the domestic industry has increased between POI and base year along with increases in landed price of imports, the landed value of the subject imports during the injury period including the POI has remained lower than cost of sales and domestic selling prices of the domestic industry. Therefore, it is noted that the imports of the subject goods from the subject country are suppressing the selling prices of the domestic Industry as the increase in cost of sales is higher than increase in selling price of the domestic industry and also the price increases would have been higher in the absence of such landed value of imports, even enabling the domestic industry to sell at profitable levels.

### iii. Economic Parameters of the domestic industry

66. Annexure-II to the Anti-Dumping Rules requires that the determination of injury shall involve an objective examination of the consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products. With regard to consequent impact of dumped imports on domestic producers of such products, the Anti-dumping Rules further provide that the examination of the impact of the dumped imports on the domestic industry should include an objective and unbiased evaluation of all relevant economic factors and indices having a bearing on the state of the industry, including actual and potential decline in sales, profits, output, market share, productivity, return on investments or utilization of capacity; factors affecting domestic prices, the magnitude of the margin of dumping; actual and potential negative effects on cash flow, inventories, employment, wages, growth, ability to raise capital investments.
67. While disclosing the essential facts on injury and causal link, the Authority has also examined the injury parameters objectively taking into account various submissions made by all the interested parties so far in this investigation so as to address all such submissions as well.

#### a) Production, Capacity, Sales and Capacity Utilization

68. The performance of the domestic industry with regard to production, domestic sales, capacity and capacity utilization was as follows:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Installed Capacity	Lakh Pcs.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	100	100	100
Production	Lakh Pcs.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	209	226	92
Capacity Utilization	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	209	226	92
Domestic Sales	Lakh Pcs.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	202	205	96

69. It is noted that while the capacity remained constant over the injury period, production, capacity utilization and sales of the domestic industry increased between the base year i.e. 2019-20 and the immediate previous year i.e. 2021-22 and declined considerably during the POI. It is also observed in this context that the imports from the subject country in relation to production and demand/consumption in India increased between the POI and the immediate previous year level at considerable rates.
70. It is also observed that production, capacity utilization and sales low of the domestic industry during the POI have been lower than the levels during the base year and capacity utilization of the domestic industry remained very low even when the claim is that there is a demand and supply gap for the product in India. It has been claimed by the domestic industry that the meager capacity utilization percentage in an ever-growing market for the subject goods like India is a direct fallout of dumped imports and such percentage of utilization indicate the volume injury being suffered by the domestic industry.

#### d. Market Share in Demand

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Imports from China PR (Subject Country)	Lakh Pcs.	1,108	1,146	1,169	1,846
Trend	Indexed	100	104	106	167

Total Imports from Other Countries	Lakh Pcs.	8	401	32	16
Total Imports into the Country	Lakh Pcs.	1,115	1,547	1,201	1,862
Domestic Sales of Petitioner	Lakh Pcs.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	202	205	96
Total Demand	Lakh Pcs.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	146	118	159
<b>Share in Indian Demand that of;</b>					
Imports from China PR (Subject Country)	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	71	89	105
Total Imports from Other Countries	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	3,576	348	130
Total Imports into the Country	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	95	91	105
Domestic Sales of Petitioner	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	139	173	60
Domestic sales of Indian producers	%	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	139	173	60

71. The Authority notes that the market share of the subject imports has increased between the base year and POI from 100 basis indexed points to 105 indexed points in the POI. However, the share of the domestic industry in demand has declined in the same period from 100 indexed points in the base year to 60 indexed points in the POI. In fact, the fall in market share of the domestic industry between the POI and immediate previous year has been of highest levels as can be noted from the fall of about 113 indexed points in the said period. Market share of the subject imports increased by 16 indexed points in the same period. The domestic industry has claimed that the decline in market share of the domestic industry at a time when there has been an increase in demand is the fall out of increase in share of dumped imports of the subject goods into India from the subject country in the same period.

**b) Profitability, return on investment and cash profits**

72. Profitability, return on investment and cash profits of the domestic industry over the injury period is given in the table below: -

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Profit/Loss	Rs. Pcs	(***)	(***)	(***)	(***)
Trend	Indexed	(100)	(16)	(22)	(124)
Profit/(Loss) before Int. & Tax (PBIT)	Rs. Pcs	(***)	(***)	***	(***)
Trend	Indexed	(100)	(5)	11	(98)
Cash Profit	Rs. Lacs	(***)	***	(***)	(***)
Trend	Indexed	(100)	17	(3)	(124)
Average Capital Employed	Rs. Lacs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	106	106	96
Return on Capital Employed	%	(***)	(***)	***	(***)
Trend	Indexed	(100)	(9)	22	(96)

73. From the above table, it is noted that the key profitability parameters of the domestic industry have been on an improving trajectory till 2021-22, though the actual numbers were in the negative territory, and then such

parameters once again declined in the POI resulting in substantial losses in terms of all key profitability parameters. Overall, the domestic industry suffered financial losses during the POI including negative ROCE.

74. With regard to the contention of the opposing parties that there is no correlation between the net fixed asset figures, average capital employed, depreciation and installed capacity and there is no correlation between annual report of the applicant and the economic parameters, the Authority notes that the applicant has produced non-PUC items also and information in the annual report will not be directly relatable to subject goods alone. However, segregated information applicable to subject goods alone have been relied upon in the injury examination.
75. With regard to the contentions on increase in capital employed and working capital when the capacity remained the same, it is noted from the rejoinder submission of the domestic industry that there was an error in the capital employed reported in the petition for the base year which was rectified by the applicant. Thereafter, information on capital employed, working capital etc. as claimed by the applicant have been subjected to verification and only such verified data is considered for this statement which addresses the concerns raised by the opposing parties.

**c) Employment, productivity and wages**

76. Employment, productivity and wages of domestic industry over the injury period are given in the table below.

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Employment	Nos	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	147	165	109
Wages	Rs. Lakh/Pcs	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	65	70	123
Productivity per employee	Lakh Pcs/Person	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	142	137	85

- a) It is noted that there has been some decline in the employment level of the domestic industry and the trend was in line with the decline in production. Wages per unit is noted as increased over the injury period and reduction in production also resulted in some decline in productivity of the domestic industry.

**d) Magnitude of Dumping Margin**

77. Magnitude of dumping is an indicator of the extent to which the imports are being dumped in India. The investigation has shown that dumping margin is positive and significant in the investigation period.

**e) Inventories**

78. Inventory position with the domestic industry over the injury period is given in the table below:

Particulars	Unit	2019-20	2020-21	2021-22	POI
Inventory	Lakh Pcs.	***	***	***	***
Trend	Indexed	100	108	231	85

79. It is noted that inventory with the domestic industry declined by the POI viz. the base year.

**f) Growth**

80. The Authority notes that growth of the domestic industry with regard to key volume and profitability parameters have been negative during the POI as can be seen from the table below;

Particulars	Unit	2020-21	2021-22	POI
Production	%	108.82	8.21	(59.28)
Sales Volume Domestic	%	101.82	1.41	(52.99)
Capacity Utilization	%	108.82	8.21	(59.28)
Inventory	%	10.50	112.11	(63.54)

Employment	%	47.17	12.35	(34.16)
Selling Price Per Pcs	%	9.66	25.73	2.12
Cost of Sales Per pcs	%	(18.34)	26.31	31.53
Return on Capital Employed	%	90.58	329.57	(544.16)
Profit per Unit	%	83.86	(35.47)	(465.61)
PBIT Per Unit	%	94.89	323.40	(962.79)

**g) Ability to raise capital investments**

81. The Authority notes that the domestic industry has made capital investments to set up the plant to produce the subject goods. However, the performance of the domestic industry has deteriorated during the injury period and the domestic industry have been in losses during the POI. It has been stated that the domestic industry had plans to expand the capacity but has been put on hold on account of injury being suffered by them. However, it is noted that the domestic industry is a multi-product company and therefore the ability to raise capital investment may not be governed based on the performance of the product under consideration (PUC) alone.

**h) Factors affecting domestic prices**

82. The examination of the import prices from the subject country, change in the cost structure, competition in the domestic market, factors other than dumped imports that might be affecting the prices of the domestic industry in the domestic market, etc. shows that the landed value of imported material from the subject country is below the selling price and cost of sales, causing significant price undercutting, and price suppression. It is also noted that the demand for the subject goods was showing significant increase during the injury period and therefore it could not have been a factor affecting domestic prices. Thus, it can be noted that the principal factor affecting the domestic prices is the dumped imports of the subject goods from the subject country.

**i) Magnitude of Injury Margin/Price Underselling**

83. The Authority has determined Non-Injurious Price (NIP) for the domestic industry on the basis of principles laid down in the Rules read with Annexure III, as amended. The non-injurious price of the product under consideration has been determined by adopting the information/data relating to the cost of production provided by the domestic industry and duly certified by the practicing cost accountant for the period of investigation. The non-injurious price has been considered for comparing the landed price from the subject country for calculating injury margin. For determining the non-injurious price, the best utilization of the raw materials by the domestic industry over the injury period has been considered. The same treatment has been carried out with the utilities. The best utilization of production capacity over the injury period has been considered. It is ensured that no extraordinary or non-recurring expenses were charged to the cost of production. A reasonable return (pre-tax @ 22%) on average capital employed (i.e. average net fixed assets plus average working capital) for the product under consideration was allowed as pre-tax profit to arrive at the non-injurious price as prescribed in Annexure III of the Rules and being followed. Separate NIP has been determined for each type of the product.
84. For all the non-cooperative producers/exporters from the subject country, the Authority has determined the landed price based on facts available.
85. Based on the landed price and non-injurious price determined as above, the injury margin for producers/exporters has been determined by the Authority.

**Injury Margin**

SN	Country	Producer	Diameter/PCN	NIP US\$/Lakh per Piece	Landed Value US\$/ Lakh per Piece	Injury Margin US\$/ Lakh per Piece	Injury Margin %	Injury Margin (Range %)
1	China PR	Any	300	***	***	***	***	15-25
			401	***	***	***	***	15-25
			Weighted Average	***	***	***	***	15-20



**I. NON-ATTRIBUTION ANALYSIS**

86. As per the AD Rules, the Authority, inter alia, is required to examine any known factors other than the dumped imports which at the same time are injuring the domestic industry, so that the injury caused by these other factors may not be attributed to the dumped imports. Factors which may be relevant in this respect include, inter alia, the volume and prices of imports not sold at dumped prices, contraction in demand or changes in the patterns of consumption, trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers, developments in technology and the export performance and the productivity of the domestic industry. It has been examined below whether factors other than dumped imports could have contributed to the injury to the domestic industry.

**a) Volume and price of imports from third countries**

87. The imports from countries other than the subject country have been very negligible (less than 1% of total imports of PUC into India) and have been taking place at much higher price than the subject country.

**b) Export Performance**

88. The Authority has considered the data for domestic operations only for its injury analysis. In fact, there were no exports made by the domestic industry during the POI.

**c) Contraction in demand Changes in pattern of consumption**

89. It is noted that the demand of the subject goods has increased over the injury period.

**d) Trade restrictive practices of and competition between the foreign and domestic producers**

90. The import of the subject goods is not restricted in any manner and the same are freely importable in the country. Interested parties to suggest that the conditions of competition between the foreign and the domestic producers have undergone any change.

**e) Developments in technology**

91. None of the interested parties have furnished any evidence to demonstrate significant changes in the technology that could have caused injury to the domestic industry. The concerns of difference in technology to produce the raw material i.e. tinplate to produce the subject goods is addressed under the PUC and like article section herein above.

**f) Changes in pattern of consumption**

92. The subject goods produced by the domestic industry and that imported into India are comparable and the end users find these goods interchangeable.

**g) Performance of the domestic industry with respect to other products**

93. The Authority notes that the performance of other products being produced and sold by the domestic industry has not affected the assessment made by the Authority of the domestic industry's performances concerning the subject goods. The information considered by the Authority is with respect to the product under consideration only.

**h) Productivity of the domestic industry**

94. Productivity per employee as assessed has slightly declined by the POI in line with decline in production during the same period. Thus, the Authority notes that deterioration in productivity as such has not been any cause of injury to the domestic industry.

**J. INDIAN INDUSTRY'S INTERESTS AND OTHER ISSUES****J.1. Submissions by other interested parties**

95. The following submissions have been made by the other interested parties during the course of the investigation;
- i. The imposition of the duty will adversely impact the interest of the user industry which is in MSME and common masses.
  - ii. Product under consideration is used in the manufacturing of downstream product (tin can), which are primarily used for packing of dairy products, processed foods etc. Accordingly, imposition of duty will directly and adversely impact the common masses and would also be detrimental to the food processing sector which is on the priority list of the government.

- iii. The user industry employs more than 1,00,000 people directly and indirectly and is mainly concentrated in MSME sector and scattered all over the country. Imposition of duty will directly and adversely impact the employment in the MSME enterprises.
- iv. The applicant can cater to only around 15% of the Indian demand. Therefore, majority of the demand has to be met from imports as the production capacity of the applicant (sole Indian producer) is not sufficient to meet the Indian demand and the quality of the product under consideration manufactured by the applicant is also substandard. In such a case, imposition of duty will adversely impact the user industry.
- v. The cost of product under consideration in the total cost of the downstream product account (tin can) accounts for a significant share i.e., in the range of 20% to 30%. The applicant has requested antidumping duty in the range of 45%-55% on 300 Dia and 50%-60% on 401 Dia. Therefore, imposition of duty will increase the cost of the downstream product significantly i.e., by around 10%. It will also increase the working capital requirement for the downstream product.
- vi. To apply anti-dumping measures in this investigation will be inconsistent with the long term and overall interest of the Indian domestic industry.

### **J.2. Submissions by the domestic industry**

96. The following submissions have been made by the domestic industry during the course of the investigation;
  - i. The information on effect of any anti-dumping duty as claimed by the applicant shows that the effect on ultimate end user shall be very negligible at 0.10% to 1.10% and such percentages must be noted as not very significant.
  - ii. The applicant has submitted their claim of possible impact of anti-dumping duty on the ultimate end consumer for commonly used products wherein EOE is used as follows and claimed that the impact will be in the range of 0.10-1.10%.

	Unit	Redcow Diary Panir- 401	Haldira m Gulabj amun - 401	Amul Cheese -401	Hexagon Fiber- 401	Paras Ghee- 401	Delmote Sweet Corn-300	Nestle Milkmaid- 300
Price of End Product to the consumer	Rs./Can	235.00	240.00	238.00	878.00	1,326.00	115.00	144.00
Landed Price of EOE	Rs./Pc	3.77	3.77	3.77	3.77	3.77	2.51	2.51
Injury Margin as claimed	Rs./Pc	2.06	2.06	2.06	2.06	2.06	1.24	1.24
Landed after anti-dumping duty	Rs./Pc	5.83	5.83	5.83	5.83	5.83	3.75	3.75
Share of Subject goods in End Product without anti-dumping duty	%	1.60	1.57	1.58	0.43	0.28	2.18	1.74
Share of Subject goods in End Product with anti-dumping duty	%	2.48	2.43	2.45	0.66	0.44	3.26	2.60
Estimated Net Increase in cost (Impact on the End Consumer/Public)	%	0.88	0.86	0.87	0.24	0.16	1.08	0.86

- iii. The effect on ultimate end user is relevant in the impact analysis and nothing is provided to show that the downstream users of the subject goods will not pass on the increase in cost on account of any anti-dumping duty to end consumer.
- iv. The Authority should not limit the examination of public interest to examining the effect of anti-dumping duty on users of the subject goods alone. The larger picture of the need for ensuring level playing field for the EOE producer also must be considered while conducting the public interest examination.
- v. EOE production base is very relevant for the country with much focus on packaging requirements. The exporters are trying to nip this industry in the very bud itself so that the exporters continue to enjoy dominance in Indian market. Levy of anti-dumping duty will thwart such unfair attempts and situations.

- vi. While there is only one producer of EOE in India, there is claimed to be about 10 producers of cans in India which shows EOE industry also has scope for entry of more producers and capacity expansion by the existing producer.
- vii. The subject goods have robust demand in India and, still the market is dominated by dumped imports from China PR. The raw material to produce the subject goods is available at abundance in India and there is no need for India to be dependent on imports to meet the demand for this product at least in the time to come.
- viii. To reduce imports, it is essential to help the current manufacturing base in India to sustain and also expand further. As of now, the demand for the subject goods is about 20-25 crore Pcs and the current capacity is about 6-9 Crore pieces, and even the said capacity is largely underutilized in the range of 20-30%. Only anti-dumping duty can remove such imbalances in the market.
- ix. Subject good is used in the packaging industry and with focus of the Governments on elimination of single use plastics, the demand for the product will continue to grow at increased rates in the years to come. There is no reason for India to be not self-reliant on this product and the country can stop out flow of substantial money on account of import of EOE, if it helps to develop a strong production base for the subject goods in India by levying measures to remove the effects of dumping.
- x. The subject goods are value added product of tin plate which means the subject goods complement the steel sector in India very well and a strong production base for EOE will ensure better health of the entire steel value chain to the extent of production of EOE.
- xi. Production of the subject goods require investments which will be affordable to even small units in the MSME sector etc. and the country may see ramping up of capacities to produce the subject goods within a short span of time, should there be fair competition between imports and domestic products in India. Currently, the fair balance is vitiated on account of presence of dumped imports.
- xii. Emergence of a greater number of producers of EOE in India will reduce any import dependency and more producers of EOE in India will only benefit the users in the long run. In cases like Aluminum Road Wheels, Vitrified Tiles etc. level playing field ensured by levy of anti-dumping duty saw entry of large number of producers and India now has a strong manufacturing base. Level playing field for EOE manufacturing with levy anti-dumping duty will see such developments in the business of this product as well.
- xiii. India is one of the largest producers and users of steel in the world and the claims that a value-added product produced in India from tin plate is not of superior quality is only an alibi to enjoy dumped imports which cannot be a tenable strategy in true public interest.
- xiv. The industry is already stable in terms of quality and other operational aspects and the only concern is that the producer is not able to increase the prices to reasonable levels which would have been possible in the absence of dumping. The anti-dumping duty to address such kind of situation shall certainly be in larger public interest.
- xv. The contended demand supply gap also has no meaning in the context of public interest as the capacity with the applicant has been largely underutilized and such underutilization was the result of presence of dumped imports.
- xvi. India has capacity of about 7,49,000 MTPA (TCIL- 379000 MTPA, JSW Vallabh Tinplate- 120000, JSW Tarapur plant- 250000MTPA) to produce tin plates with planned capacity additions by about 3,00,000 MTPA as of FY 2021-22. Only a small portion of that is required by EOE industry to meet the entire demand in India. Thus, EOE industry have fair access to raw material within India and in such a situation, allowing dumping of EOE to take place in India shall not be in the collective public interest in India.
- xvii. The importers may hugely benefit from dumped imports in the short run and they want such dumped imports to continue unabated as evident from their claims but it will not do any good to the country in the long run. The issue is not imports, but the dumped imports at injurious levels. The anti-dumping duty so as to remove the effects of dumping shall not be against public interest in any manner.
- xviii. Levy of anti-dumping duty to remove the distorting effects of dumping based on lower of the injury and dumping margin determined shall not go against the public interest in any manner. Rather, such steps will be huge stepping stone for establishing a strong EOE manufacturing base in India and such manufacturing base shall be in larger public interest of India.

### **J.3. Examination by the Authority.**

97. The Authority issued Gazette Notification inviting views from all the interested parties, including importers, consumers and other interested parties. The Authority also prescribed a questionnaire for the consumers to provide relevant information with regard to the present investigation, including possible effect of anti-dumping

duty on their operations. The Authority sought information on, *inter-alia*, interchangeability of the product supplied by various suppliers from different countries, ability of the consumers to switch sources, effect of anti-dumping duty on the consumers, factors that are likely to accelerate or delay the adjustment to the new situation caused by imposition of anti-dumping duty.

98. It is noted that anti-dumping duty does not restrict imports, but only ensures that the imports enter the market at fair prices. Thus, the users will continue to have the broader choice and liberty to import the subject goods at fair prices, which will ensure better competition in the market. Further, as stated in earlier paras, any measures if proposed the Authority, shall be applicable to the product varieties produced in the POI which faced material injury.
99. With regard to quality and demand-supply gap, it is noted that the imposition of anti-dumping duty does not act as a ban on imports. The purpose of imposition of antidumping duty, in general, is to address the issue of trade distortion caused by the unfair trade practices in order to re-establish the situation of open and fair competition. In any case, the Authority notes that if there is a demand supply gap in the country, the foreign producers can certainly fill the gap in the country by bringing the product at a fair price. However, existence of demand supply gap does not justify dumping of the product. It is already noted herein above that the quality of the product produced by the applicant has been acceptable to the users and the users have been buying from the domestic industry as well.
100. With regard to impact on user industry, the domestic industry has quantified the impact of impact of anti-dumping duty on the end user and that is in the range of 0.16-1.10%. The other interested parties have not quantified the impact of the anti-dumping duty on the end user and instead have quantified impact for the importers. Further, the Authority notes the submission of the domestic industry that the subject goods are easy open ends which is used along with the cans used for packing and storage of various edible and daily use items etc. and cost of packing associated with EOE's constitutes a miniscule portion of the value of the underlying goods stored in the containers to which EOE's are attached. Therefore, a cost increase of EOE's in line with the lower of the margins noted will have less than 1% impact on the end users.
101. With regard to the impact of any anti-dumping duty on the downstream users who are in the MSME sector, the Authority notes that there is only one producer of EOE's in India which is also an MSME unit while there are large number of tin can producers in India as claimed by the interested parties. Also, the subject goods are value added products of tinsplate which is abundantly produced in India which means the manufacturing of subject goods in India is a very viable option and have the potentials to be encouraged in view of the growing relevance of other than single use plastic packaging options in the country. Though there is a demand and supply gap for the product in India, the available capacity for the subject goods with the domestic industry have been largely unutilized. In such a situation, any steps for ensuring level playing field for domestic manufacturing of the subject goods as against the current situation of injury cannot be seen as a move against the interest of users including the downstream producers.

## **K. POST DISCLOSURE COMMENTS**

### **K. 1. Submissions by the other interested parties**

102. The following submissions have been made by the other interested parties;
  - i. Levy of anti-dumping duty will establish a monopoly of domestic producer and will not be in public interest.
  - ii. Other reasons such as decline in the production of NPUC, decline in the export performance of the petitioner, use of outdated technology, sole supplier of raw material might have caused injury to the domestic industry and the petitioner has failed to mention the same in the petition.
  - iii. YIWU has exported subject goods to India through three channels. Directly and through Lamy International Limited and Victory Food Specialities FZE out of which Victory also filed EQR. Hence, it is not clear why the Authority has concluded that the unrelated exporter, Victory, of YIWU has not participated or filed their questionnaire responses. Hence, the Authority may look into this matter urgently and work out individual dumping and injury margin for the co-operating producer/exporter, YIWU.
  - iv. The applicant has apparently filed certain incorrect injury information to prove a non-existent case for seeking protection of anti-dumping duties. The fact of incorrect information has a direct bearing on dumping, injury and causal link.
  - v. The applicant has suffered injury, if any, on account of its inherent reasons like high cost of raw material, lack of high-speed line, non-integrated plant etc. The Authority may thoroughly examine the project report of the applicant to understand the various parameters relied upon to determine the business viability.
  - vi. The imposition of duty will directly and adversely impact the employment in the MSME enterprises.

- vii. Majority of the demand has to be met from imports as the production capacity of the applicant (sole Indian producer) is not sufficient to meet the Indian demand and the quality of the PUC manufactured by the applicant is also substandard. In such a case, imposition of duty will adversely impact the user industry.
- viii. Imposition of duty will increase the cost of the downstream product significantly i.e., by around 10%. It will also increase the working capital requirement for the downstream product.
- ix. The Authority must not attribute the injury, if any, suffered by the applicant on account of other reasons to the imports made from China PR.

### **K.2. Submissions by the domestic industry**

103. The following submissions have been made by the domestic industry:

- i. The product has two layers of packing with the initial packing done by arraying the product in a narrow-woven (NW) bag and such arrays of bags are then placed in a larger cardboard box. However, packing cost concerning cardboard box is not allowed in the NIP. The Authority may include packing cost on both these counts in the NIP. Annexure III to the Rules does not provide for exclusion of packing cost while determining the NIP.
- ii. In case packing cost is not fully allowed in the NIP, adjustments for unallowed packing be made in the import price so that apple to apple comparison is ensured while determining dumping and injury margin.
- iii. The facts of the present case shows dumping of the subject goods from the subject country at very significant magnitude and consequent material injury to the domestic industry on account of such dumped imports.
- iv. Anti-dumping duties are very essential to remove the injuries caused by such dumping and also to establish level playing field for the domestic industry in the Indian market which is dominated by dumped imports as of now.
- v. There is only one producer of the subject goods in India currently and there is scope for more capacities to come up in India. The product would auger well for the packaging industry and for the tinplate value chain in India wherein the tinplate i.e. the major raw material for EOE is available at abundance. Level playing field for the product shall definitely be in the larger public interest of the country and such level playing field by way of levy of anti-dumping duties is very essential to ensure existence of this budding industry in India as can be ascertained from the facts disclosed.
- vi. The Authority may confirm its decisions to not grant individual margin to Easy Open LID Industry Corp Yiwu since exporter questionnaire response considering significant part of its exports to India has not been submitted. The exporter has not made any disclosure in its NCV EQR that the other exporters involved in the value chain has not filed any response. It is a consistent practice of the Authority to reject the response of a responding producer/exporter if substantial part of exports by such a party is not represented before the Authority.

### **K.3. Examination by the Authority**

- 104. It is noted that most of the submissions made by the interested parties post disclosure statement are reiteration and reproduction of their previous submissions which have been appropriately addressed at the time of issuance of the disclosure statement itself. Since there are no new facts brought on record post the disclosure statement, the views taken in the disclosure statement on such issues is confirmed in this final finding. However, certain specific claims are addressed herein below.
- 105. With regard to the contention that the levy of anti-dumping duty will establish a monopoly of domestic producer and the anti-dumping duty will be against the users, the Authority notes that the purpose of imposition of anti-dumping duty, in general, is to eliminate injury caused to the domestic industry by the unfair trade practices of dumping so as to re-establish a situation of open and fair competition in the Indian market, which is in the general interest of the country. Imposition of anti-dumping measures does not aim to restrict imports from the subject country in any way.
- 106. With regard to the contention that the injury has been caused on account of other reasons, the Authority has examined the submissions made by other parties on any other factors which could have caused injury to the domestic industry and it is noted as recorded in detail in this finding that no other factor that appear to have caused injury to the domestic industry as envisaged in the anti-dumping rules.
- 107. With regard to the claim of individual margin for Easy Open LID Industry Corp Yiwu, the Authority has looked into the claims of the exporter post disclosure statement comments. It is noted that during the POI the company has exported **118.59** lakh pieces to India for value USD **499685** directly and indirectly through its unrelated

companies namely M/s Victory Food Specialities FZE and M/s Lamy International Limited exported **303.63** lakh pieces to India for Value USD **848398**.

108. It is found that the unrelated companies of the producer/exporter did not file any 'exporter questionnaire response' before the Authority within the stipulated time. It is further noted that the information submitted by M/s Victory Food Specialities FZE are not in the format prescribed by the Authority for exporters of the subject goods. It is further noted that the Authority on 7<sup>th</sup> June, 2023 published a list of interested parties who has responded to the Authority along with the nature of submission made by such interested parties and at the time of publication of the said list, the interested parties were directed to revert to the Authority in case of any discrepancy in the preparation of the said list of interested parties in the following lines;

*3. In case name or any correction, of any interested party who has made submissions but its name or email id has not been mentioned in the list, may please inform the Authority at the email ID mentioned above so as to update the list to ensure that no interested party is deprived of the aforesaid process of exchange of NCV submissions.*

109. The list of interested parties published on 7<sup>th</sup> June, 2023 earmarked participation of M/s Victory Food Specialities FZE as an importer. Thereafter, no communication / participation received during the course of the investigation. It is further noted by the authority that since information was not provided in the prescribed format within the stipulated time, warranted rejection of the said party.
110. In view of the same, the Authority cannot consider the information submitted by M/s Victory Food Specialities FZE as relevant exporter questionnaire response so as to determine individual margin for Easy Open LID Industry Corp Yiwu. The Authority notes that significant share of exports made by Easy Open LID Industry Corp Yiwu is not represented before the Authority and no individual margin can be determined for Easy Open LID Industry Corp Yiwu based on the available responses.
111. With regard to the contention that majority of the demand has to be met from imports as the production capacity of the applicant (sole Indian producer) is not sufficient to meet the Indian demand and the quality of the PUC manufactured by the applicant is also substandard and in such a case, imposition of duty will adversely impact the user industry, the issue is already addressed herein above. Nevertheless, the Authority considers that a gap in demand and supply cannot be a reason for depriving the domestic industry from seeking redressal against dumped imports causing injury.
112. The producer of the subject goods in India which is also a MSME has invested in the production of the subject goods in India and in the absence of the lone producer, Indian users shall be dependable totally on imports. The Authority further notes that there is sufficient supply of tinsplate in India and additional capacity for the supply of the subject goods can come up in a conducive market scenario as recorded herein above. A level playing field for the domestic industry shall only better the prospects of Indian production of subject goods which will ultimately benefit the users at large.
113. With regard to the contention that the imposition of duty will increase the cost of the downstream product significantly i.e., by around 10% and will also increase the working capital requirement for the downstream product, it is noted that the claim is not substantiated based on any documentary evidences. On the contrary, the claims made by the applicant based on price information publicly available shows that the impact of the lower of the margins as any antidumping duty will not be more than 1% at the end of the end user. Anti-dumping duty does not restrict imports, but only ensures that the imports enter the market at fair prices. Users will continue to have the broader choice and liberty to import the subject goods at fair prices, which will ensure better competition in the market and the impact of any antidumping duty needs to be seen in this context.
114. With regard to the contention of the domestic industry that packing cost is not fully allowed in the NIP and fair comparisons at same level of packing needs to be done between domestic and imported product, the Authority notes that NIP has been determined as per the principles enshrined in Annexure III to the Rules and also consistent practices of the Authority.

## **L. CONCLUSIONS**

115. Based on the submissions made, substantiated information provided by the interested parties and the facts available before the Authority as recorded and examined in the aforementioned paragraphs and on the basis of determination of dumping and consequent injury to the domestic industry, the Authority concludes the following:
- i. The product under consideration (PUC) in the present investigation is "Easy open ends of tin plate, including electrolytic tin plate (ETP), measuring 401 Diameter (99MM) and 300 Diameter (73MM) in dimension". The followings are not covered in the scope of PUC;
    - a) Easy open ends that are manufactured of materials other than tin plate, such as aluminium, tin free sheet etc.

- b) Easy open ends having dimensions other than 401 Diameter (99MM) and 300 Diameter (73MM) of any make/input material.
  - c) Easy open ends of partial or short aperture of any make and dimension.
  - ii. The product under consideration has been exported from the subject country at a price below the normal value, thus, resulting in dumping. The dumping margin found in case imports of the subject goods originating in or exported from the subject country for all producers/exporters is not only above *de-minimis* level but also significant.
  - iii. The examination of volume of imports of the subject goods shows that the imports of the subject goods from the subject country have increased significantly by the POI in absolute terms and also in relation to production and consumption in India.
  - iv. While the market share of the domestic industry declined during the POI, market share of imports from the subject country has increased significantly in the same period.
  - v. The landed price of imports has been below the net sales realization of the domestic industry in the POI and has been, therefore, undercutting the prices of the domestic industry. Further, the landed price has also been below the cost of sales of the domestic industry.
  - vi. The selling price of the domestic industry has been below its cost of sales throughout the injury period leading to financial losses.
  - vii. All key volume parameters such as production, capacity utilization and sales of the domestic industry have declined in the POI. Capacity utilization has been notably very low in the POI and the domestic industry has been left with significant underutilized capacity during the POI even when the contention has been that the domestic industry cannot meet the Indian demand alone.
  - viii. The domestic has suffered injury as a result of dumped imports. The injury margin is positive and significant.
  - ix. The Authority has examined the submissions made by other parties on any other factors which could have caused injury to the domestic industry. No other factor appears to have caused injury to the domestic industry. The Authority concludes that the injury to the domestic industry has been caused by the dumped imports of the subject goods from the subject country.
  - x. It is noted with regard to public interest that anti-dumping duty does not restrict imports, but only ensures that the imports enter the market at fair prices. Users will continue to have the broader choice and liberty to import the subject goods at fair prices, which will ensure better competition in the market.
116. In view of the above, the Authority finds that there is sufficient evidence that the product under consideration has been exported to India from the subject country at dumped prices and such dumping of the subject product from the subject country has caused material injury to the domestic industry.

#### **M. RECOMMENDATION**

117. The Authority notes that the investigation was initiated and notified to all interested parties and adequate opportunity was given to the domestic industry, embassy of the subject country, exporters, importers and the other interested parties to provide positive information on the aspect of dumping, injury and causal link.
118. Having initiated and conducted the investigation into dumping, injury and causal link in terms of the provisions laid down under the Rules, the Authority is of the view that imposition of antidumping duty is required to offset dumping of subject goods from subject country and the consequent injury to the domestic industry. Therefore, the Authority considers it necessary to recommend imposition of definitive antidumping duty on the imports of the subject goods from the subject country in the form and manner described hereunder for a period of 5 years.
119. Having regard to the provision contained in Rule 4(d) and Rule 17(1) (b) of the Rules, the Authority recommends imposition of the anti-dumping duty equal to the lesser of margin of dumping and the margin of injury so as to remove the injury to the domestic industry. Accordingly, definitive anti-dumping duty equal to the amount mentioned in Column 7 of the Duty Table below is recommended to be imposed for five (5) years from the date of the Notification to be issued by the Central Government, on imports of the subject goods described at Column 3 of the Duty Table originating in or exported from China PR.

**DUTY-TABLE**

SN	Heading / Subheading	Description of Goods	Country of Origin	Country of Export	Producer	Amount	UoM	Currency
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	83099020	Easy open ends of tin plate, including electrolytic tin plate (ETP), measuring 401 Diameter (99MM) and 300 Diameter (73MM) in dimension*	China PR	Any country including China PR	Any	741	Lakh Pcs.	USD
2	-do-	-do-	Any country other than China PR	China PR	Any	741	Lakh Pcs.	USD

**\*Note-1:** The followings are not covered in the scope of PUC;

- a) Easy open ends that are manufactured of materials other than tin plate, such as aluminium, tin free sheet etc.
- b) Easy open ends having dimensions other than 401 Diameter (99MM) and 300 Diameter (73MM) of any make/input material.
- c) Easy open ends of partial or short aperture of any make and dimension.

120. The landed value of imports for the purpose of this notification shall be assessable value as determined by the Customs under the Customs Act, 1962 (52 of 1962) and includes all duties of customs except duties under Sections 3, 8B, 9, 9A of the said Act.

121. An appeal against the determination of the Designated Authority in this final finding shall lie before the Customs, Excise and Service Tax Appellate Tribunal (CESTAT) in accordance with the relevant provisions of the Act.

ANANT SWARUP, Designated Authority